तृतीय माला, खण्ड २१—अंक २८

गुरुवार, १९ सितम्बर, १९६३
२८ भाद्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(पांचवां सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड २१ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया

विषय सूची

[तृतीय माला, खण्ड २१—अंक २१ से ३०—१० से २१ सितम्बर, १९६३/१९ से ३० भाद्र, १८८५ (शक)]

अंक २१—मंगलवार, १० सितम्बर, १९६३/१९ भाद्र. १८८५ (शक) पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८० से ५८३, ५८६ से ५८९, ५९७, ५९१ और ५९२ . . . . . २५७५–२६००

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८४, ५८५, ५९०, ५९३ से ५९६ और ५९८ से ६०४ . . . . २६००–०६

अतारांकित प्रश्न संख्या १६६४ से १७४७ . . . २६०६–४२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कराची स्थित भारतीय उच्च आयोग के कुछ अधिकारियों को वापिस बुलाने की पाकिस्तान की कथित प्रार्थना . . २६४२–४४

वक्तव्य में कथित अशुद्धि के बारे में– . . २६४४–४५

विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के बारे में .. २६४५—४७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६४७

राज्य सभा से सन्देश २६४७

खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि और खाद्य-नीति के बारे में प्रस्ताव २६४८—५५

राष्ट्रीय आय के वितरण के बारे में चर्चा . . . . २६५५—८१

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . २६८१—९१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २६९२—९७

अंक २२—बुधवार, ११ सितम्बर, १९६३/२० भाद्र, १८८५(शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६१६ . . . . २६९९–२७२५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . २७२६–३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६१७ से ६२८ . . . . २७३३—३८

अतारांकित प्रश्न संख्या १७४८ से १८१७ . . . २७३८—७१

विषय	पृष्ठ
सभा के कार्य के बारे में	२७७१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२७७१
संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	२७७२—८६
आगरा के निकट हुई विमान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	२७८६—८८
चीनी की स्थिति के बारे में चर्चा	२७८८—२८१६
दैनिक संक्षेपिका	२८१७—२१
अंक २३—गुरुवार, १२ सितम्बर, १९६३/२१ भाद्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६२९, ६३५, ६३० से ६३४ और ६३६ से ६४०	२८२३—४७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४१ से ६५१	२८४७—५४
अतारांकित प्रश्न संख्या १८१८ से १८२३ और १८२५ से १८६३	२८५४—७१
अनिवार्य जमा योजना के बारे में	२८७१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
स्वर्ण नियंत्रण आदेश	२८७२—७७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२७७७—७८
राज्य सभा से सन्देश	२८७८—७९
भेषज तथा चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) संशोधन विधेयक—	२८७९
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—सभा पटल पर रखा गया	२८७९
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
छठा प्रतिवेदन	२८७९
चीनी की स्थिति के बारे में चर्चा	२८७९—८८
संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	२८८८—२९०७
भेषज तथा श्रृंगार सामग्री (संशोधन) विधेयक	२९०७—१४
संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य सभा की सिफ़ारिश से सहमति देने का प्रस्ताव	२९०७—१४
आगरा के निकट हुई विमान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	२९१४—१६
संनिक संक्षेपिका	२९१७—२२

†किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

विषय पृष्ठ

अंक २४—शुक्रवार, १३ सितम्बर, १९६३/२२ भाद्र, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६५२ से ६५५, ६५७ से ६६६, ६६८ से ६७३ और ६७५ . . . . . २९२३—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६५६, ६६७ और ६७४ . . . २९५५–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८६४ से १८९६ और १८९८ से १९०० .. . . . . २९५६—७३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना— २९७३—८०

(१) एक मजिस्ट्रेट द्वारा फौजदारी के एक मुकदमे के स्थानान्तरण के बारे में एक शपथ पत्र दायर किये जाने के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा कही गई न्याय संबंधी बातें

(२) चीनी दूतावास के पदाधिकारियों द्वारा दिल्ली में सरकारी सम्पत्ति पर साम्यवादी झण्डों के फोटो लिये जाने की कथित घटना

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९८०–८१

राज्य सभा से सन्देश २९८१

लोक लेखा समिति—

तेरहवां प्रतिवेदन २९८१

याचिका का उपस्थापन . २९८१

सभा का कार्य . . . २९८१—८६

भेषज तथा श्रृंगार सामग्री (संशोधन) विधेयक— २९८६—३००१

राज्य सभा की संयुक्त समिति को सौंपने की सिफारिश से सहमति देने का प्रस्ताव

संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६३ (अनुच्छेद १७१ का संशोधन)—(श्री सेझियान का)—पुरःस्थापित . . ३००१–०२

समवाय (संशोधन) विधेयक (धारा १५, ३० आदि का संशोधन)—(श्री प० ला० बारूपाल का)—वापिस लिया गया—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ३००२—११

विषय	पृष्ठ
दंड विधि (संशोधन) विधेयक--(श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा का)--परिचालित-	
विचार करने का प्रस्ताव	३०११—२४
परिचालन के लिए संशोधन--स्वीकृत .	३०२२—२४
संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६२ (अनुच्छेद १३६, २२६ आदि का संशोधन)--(श्री श्रीनारायण दास का)--विचाराधीन--	
विचार करने का प्रस्ताव	३०२५
विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	३०२५—२७
दैनिक संक्षेपिका . .	३०२८—३२
अंक २५—सोमवार, १६ सितम्बर, १९६३/२५ भाद्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७६ से ६८४ और ६८६ . . .	३०३३—५६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . .	३०५६—५८
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८५, ६८७ से ६९०-क और ६९१ से ६९९ .	३०५९—६६
अतारांकित प्रश्न संख्या १९०१ से १९७४ . .	३०६६—९६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना--	३०९६—३१०२
(१) चीनी दूतावास के पदाधिकारियों द्वारा दिल्ली में सरकारी सम्पत्ति पर साम्यवादी झण्डों के फोटो लिये जाने की कथित घटना	
(२) अनिवार्य जमा योजना पर कथित पुनर्विचार	
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	३१०२—०३
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति .	३१०३
समिति के लिये निर्वाचन--	
भारतीय केन्द्रीय जूट समिति .	३१०३—०४
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव .	३१०४—३०
दैनिक संक्षेपिका	३१३१—३५
अंक २६—मंगलवार, १७ सितम्बर, १९६३/२६ भाद्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०० से ७०२, ७०४ से ७१० और ७१३ .	३१३७—६०

विषय	पृष्ठ
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ और ७ . . .	३१६०—६३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०३, ७११, ७१२, ७१४ से ७१६, ७१६-क, और ७२० से ७२७	३१६४—७२
अतारांकित प्रश्न संख्या १६७५ से २००६, २००८ से २०७३, २०७३-क और २०७३-ख	३१७२—३२१७
दिनांक १६ अप्रैल, १६६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६५१ के उत्तर में शुद्धि . . .	३२१८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
देश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति	३२१८–१६
स्थगन प्रस्तावों और ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में . .	३२१६–२०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३२२०–२१
लोक लेखा समिति—	
चौदहवां प्रतिवेदन	३२२१
आक्कलन समिति—	
अड़तीसवां प्रतिवेदन . .	३२२१
अनुपस्थिति की अनुमति	३२२१—२३
गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित	३२२३
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . .	३२२३—५७
दैनिक संक्षेपिका . . .	३२५८—६४
अंक २७—बुधवार, १८ सितम्बर, १६६३/२७ भाद्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२८, ७३०, ७३१, ७३३, ७३५, ७३७ से ७४०, ७४२ और ७४३ . .	३२६५—६०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ और ६	३२६०—६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२६, ७३२, ७३४, ७३६, ७४१, ७४४ से ७५३, ७५३-क और ७५५	३२६६—३३०३
अतारांकित प्रश्न संख्या २०७४ से २१४० और २१४२ से २१६१	३३०४—३६

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	३३४०–४५
(१) नागा विद्रोहियों द्वारा सुरक्षा सेना के छै व्यक्तियों के मारे जाने की कथित घटना	
(२) लाटीटीला में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाये जाने की कथित घटना	
एक समाचार पत्र द्वारा सभा की कार्यवाहियों का अशुद्ध प्रकाशन किये जाने के बारे में . .	३३४५–४६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३३४६–४७
राज्य सभा से सन्देश	३३४७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति-- छब्बीसवां प्रतिवेदन . .	३३४७
भेषज तथा शृंगार सामग्री (संशोधन) विधेयक—	३३४७–६१
राज्य सभा की संयुक्त समिति को सौंपने की सिफारिश से सहमति देने का प्रस्ताव .	३३४७
समय नियत करने के बारे में प्रस्ताव	३३६०—६१
संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६३—	३३६१–७९
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . .	३३६१
देश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति	३३७९—८३
दैनिक संक्षेपिका	३३८४–९०
अंक २८—गुरुवार, १९ सितम्बर, १९६३/२८ भाद्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७५६ से ७६६ . .	३३९१–३४१४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० और ११	३४१४–१८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७६७ से ७८१ . . .	३४१८–२४
अतारांकित प्रश्न संख्या २१६२ से २२१७ और २२१७-क .	३४२४–४९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	३४५०–५१
चीन में रहने वाले भारतीयों के साथ किया गया कथित अमानवीय व्यवहार	
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	३४५२

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३४५२–५३
संसदीय समिति के कार्यवाही सारांश . . .	३४५३–५४
लोक लेखा समिति—	
पद्रहवां प्रतिवेदन . . .	३४५४
संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६३—	३४५४—८६
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . .	३४५४
तारांकित प्रश्न संख्या ७६० के बारे में वक्तव्य—	
विदेशी बैंकों में मंत्रियों के खाते	३४५८–५९
नेफा जांच के बारे में चर्चा . .	३४८६—९२
आकाशवाणी से प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३४९२—३५००
दैनिक संक्षेपिका .	३५०१–०६

अंक २९—शुक्रवार, २० सितम्बर, १९६३/२९ भाद्र, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८२ से ८५, ७८७, ७८९, ७९० तथा ७९२ से ७९८	३५०७—३२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ तथा १३ .	३५३२—३६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८६, ७८८, ७९१, ७९९ तथा ८०० से ८०४ .	३५३६—४०
अतारांकित प्रश्न संख्या २२१८ से २२७३ .	३५४०—६३
स्थगन प्रस्ताव और ध्यान दिलाने के प्रस्ताव की सूचना के बारे में	३५६३–६४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	३५६४—६६, ३६०९—१२
(१) पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के निकट चांगसानी स्टेशन के यार्ड में एक माल डिब्बे में से गेलेटाइन बक्सों की चोरी	
(२) पश्चिम बंगाल में खाद्य तथा चीनी की स्थिति	
(३) कलकत्ता में कपड़े की कीमतों में वृद्धि .	
सभा पटल पर रख गये पत्र .	३५६७—६९
प्राक्कलन समिति	
सिफारिशों के उत्तर	३५६९

विषय	पृष्ठ
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	३५६९
कार्यवाही सारांश . .	३५६९
सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक प्रबन्ध के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा गया . .	३५६९
गौहाटी तेल शोधक कारखाने के बारे म वक्तव्य . . .	३५६९–७०
सरकारी आश्वासनों के बारे में	३५७१
नेफा जांच के बारे में चर्चा तथा "हमारी प्रतिरक्षा तैयारी" के बारे में प्रस्ताव	३५७१—९१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन . . .	३५९२
भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . .	३५९२—३६००
सशस्त्र सेनाओं के लिये निवृत्ति-वेतन के बारे में संकल्प . .	३६००—१२
मौरिस कारों के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३६१२—१७
दैनिक संक्षेपिका	३६१८—२४

अंक ३०—शनिवार, २१ सितम्बर, १९६३/३० भाद्र, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ से १८ . . .	३६२५—३२
आसाम–पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर गोली चलाना बन्द किये जाने के बारे में वक्तव्य	३६३२—३६
स्वर्ण-नियंत्रण तथा अनिवार्य जमा योजनाओं के बारे में वक्तव्य . .	३६३६—४१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३६४१
याचिका समिति	
कार्यवाही-सारांश .	३६४ १
राज्य सभा से सन्देश	३६४१
मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में	६६४२
नेफा जांच संबंधी प्रतिवेदन पर चर्चा के बारे में . .	३६४२
नेफा जांच के बारे में चर्चा तथा "हमारी प्रतिरक्षा तैयारी" के बारे में प्रस्ताव	३६४३—८३

विषय	पृष्ठ
सरकारी उपक्रमों सबंधी समिति के बारे में प्रस्ताव . .	३६८३—८५
तारांकित प्रश्न संख्या ७४३ के उत्तर में शुद्धि	३६८५
दैनिक संक्षेपिका	३६८६–८७
पांचवे सत्र का कार्यवाही संक्षेप . . .	३६८८—९०, १–९

नोट :–मौखिक उत्तर वाले प्रश्न मे किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III 1305 (Ai) LSD—28-10-63—160.

लोक-सभा

गुरुवार, १९ सितम्बर, १९६३
२८ भाद्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भांडागार रसीदों पर पेशगी

†*७५६. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के रक्षित बैंक ने इस वर्ष के आरंभ में जारी किये गये अपने उस निदेश में परिवर्तन कर दिया है जिस में खाद्यान्नों (गेहूं के अतिरिक्त) सम्बन्धी भांडागार रसीदों पर दी जाने वाली पेशगी की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो "देश में भांडागार सुविधाओं की सुस्थिर तथा नियमित वृद्धि के हित में" भांडागार रसीदों पर अधिक पेशगी किस रूप में दी जायेगी; और

(ग) नये भांडागारों के प्रयोग पर ऋण नियंत्रण के भार को दूर करने के लिये उपाय किये गये हैं ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत):** (क) हां।

(ख) और (ग). पेशगी दी जाने वाली राशि की उच्चतम सीमा पुनःनिर्धारित की गई है, ताकि भाण्डागारों की रसीदों पर पिछले वर्ष की तत्स्थानी सीमा तक या अन्य पेशगियों में हुए एकीकरण के बराबर अधिक पेशगी दी जा सके। उन भाण्डागारों द्वारा दी गई रसीदों पर जो केन्द्रीय या राज्य भाण्डागारों निगमों द्वारा १ अप्रैल, १९६२ को या उसके बाद बनाये गये हैं, पेशगी उच्चतम सीमा से अधिक दी जा सकती है।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** भाण्डागार सुविधाओं की निरन्तर प्रगति की आवश्यकता को ध्यान में रख कर क्या सरकार इस कार्य के लिए एक अन्य वित्तीय एजेन्सी खोलने का विचार रखती है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** अभी कोई नई एजेन्सी नहीं बनेगी। बात यह है कि जैसे-जैसे भाण्डागार सुविधायें बढ़ रही है, वैसे ही प्रयास किया जा रहा है कि उनमें वित्ताभाव के कारण बाधा न पड़े। परन्तु यदि यह महसूस किया जाता है कि अधिक धन की आवश्यकता है और एक निगम या अन्य एजेन्सी बनानी है, तो इस पर विचार किया जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

1?00 (Ai) LSD—1.

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : राज्य सहकारी बैंक तथा जिला इकाइयां, अर्थात् केन्द्रीय सहकारी बैंक, जिनका संबंध सेवा सहकारी समितियों से है, इनकी कितनी सहायता कर रहे हैं ?

†श्री ब० रा० भगत : इस प्रश्न का संबंध भाण्डागार सुविधाओं तथा अनुसूचित बैंकों की पेशगी से है....

†अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि सहकारी समितियां, आदि कितनी सहायता कर रही हैं।

†श्री ब० रा० भगत : इसकी मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

गंडक परियोजना

\+

†७५७. श्री क० ना० तिवारी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री विश्व नाथ राय :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के चम्पारन जिले में गंडक परियोजना में १२ जून, १९६३ तक कितनी प्रगति हुई थी;

(ख) क्या यह सच है कि आपात के कारण गंडक परियोजना के निमित्त निर्धारित राशि में कमी कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी तथा इसके क्या कारण हैं ?

†सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है।

विवरण

गण्डक वान्ध का बनाने को, केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसन्धान केन्द्र, पूना में आवश्यक नमूना अध्ययन करने के बाद, अन्तिम रूप दे दिया गया है।

शिविर इमारत, उतरने के मैदान, टेलीफोन की लाइनों, आदि का निर्माण, जैसा आरम्भिक कार्य पूरा हो गया है। वधा से भाईसलों तान में कार्य स्थल तक रेल से सड़क तैयार हो गई है। निर्माण कार्य के लिए विजली देने के लिए वान्ध के स्थान पर बिजली घर का निर्माण हो गया है। बान्ध पूर्वी गाइड किनारे का निर्माण भी हो रहा है।

तिरहुट, सरन और दोन नहरों की अनेक शाखाओं का काम हो रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†श्री क० ना० तिवारी : इसके लिए बिहार सरकार को १९६३ में कितना आवंटन किया गया और कितना दिया गया?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० कु० ल० राव : इस योजना की इस परियोजना के कारण बिहार को २० करोड़ रुपये का आवंटन हुआ। इसमें से अबतक ३½ करोड़ व्यय हो गये हैं। इस वर्ष का आवंटन ७९ लाख रु० का है।

†श्री क० ना० तिवारी : अखबारों से हमारी जानकारी यह है कि १९६३–६४ का आवंटन दिया नहीं गया और जो कुछ दिया गया है वह मूल आवंटन से बहुत कम है। इस बारे में सरकार का क्या विचार है?

†डा० कु० ल० राव: यह ठीक है कि इसके लिए बिहार सरकार ने अधिक आवंटन मांगा है। उन्होंने २ करोड़ रु० का आवंटन मांगा था। परन्तु योजना आयोग केवल ७९ लाख रु० दे सका है।

†श्री शशिरंजन : अब तक कितना व्यय हुआ है, परियोजना में क्या प्रगति हुई है और क्या प्रगति अनुसूची के अनुसार है या नहीं।

†डा० कु० ल० राव : अब तक ४½ करोड़ रु० व्यय हुए हैं। मैं समझता हू कि परियोजना धनाभाव के कारण पिछड़ रही है?

†श्री शशिरंजन : परियोजना कितने पीछे है?

†डा० कु० ल० राव: मूल अनुसूची के अनुसार आशा है कि परियोजना १९५८ में पूरी होगी। मेरा ख्याल है कि अब यह १९८० तक बढ़ सकती है।

†श्री भक्त दर्शन: क्या इस नदी की पश्चिम की ओर, अर्थात्, उत्तर प्रदेश की ओर कोई प्रगति हुई है?

†डा० कु० ल० राव : कोई प्रगति नहीं हुई है। पश्चिमी नहर अभी आरम्भ होगी। इसका पहिला भाग नेपाल में है और हम भूमि के लिए नेपाल सरकार की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†श्री अ० प्र० शर्मा : केन्द्रीय सरकार अधिक धन के लिए बिहार सरकार की प्रार्थना को क्यों नहीं मान रही है?

†डा० कु० ल० राव: इस परियोजना के लिए विविध विकास निधि से धन लिया जा रहा था। अत: कोसी परियोजना का अधिक व्यय पूरा करने के लिए इस परियोजना का ६ करोड़ रुपये उसे दे दिया गया। अभी यह निश्चित हुआ है कि इसके बाद इस परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता परियोजनावार दी जायेगी। अत: फिर राशि को और किसी कार्य के लिए नहीं दिया जा सकेगा।

†श्री शिव नारायण : क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नैपाल से अब तक जो बातें हुई उन में क्या प्रोग्रैस हुई ?

†डा० कु० ल० राव : भूमि अर्जन के लिये हमने नैपाल सरकार से प्रार्थना की है। भूमि के लिये अपेक्षित राशि नैपाल सरकार को दे दी गई है। मुझे आशा है कि इसका निर्णय इस वर्ष आरम्भ हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्यालयों का दिल्ली से बाहर ले जाया जाना

+

†*७५८. { श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के जिन १७ कार्यालयों को दिल्ली से बाहर ले जाने का प्रस्ताव था क्या इस बीच उन्हें बाहर भेज दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्यालयों के क्या नाम हैं तथा उन्हें किन स्थानों पर भेजा गया है ?

†**निर्माण आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) दिल्ली बाहर भेजने के लिए २० कार्यालयों के बारे में निश्चय किया गया है और उन में से सात कार्यालय पूर्णतया या आंशिक रूप में बाहर चले गये हैं।

(ख) एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	जहां जायेंगे उन स्थानों के नाम
१	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग	अधिकतर देहरादून
२	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग	लखनऊ
३	भारतीय-उर्वरक निगम	अधिकतर गोरखपुर
४	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	फरीदाबाद
५	अनुसंधान . डिजाइन तथा मानक संगठन का बाढ़ तथा पुल निदेशालय	लखनऊ
६	भाखड़ा तथा व्यास बान्ध डिजाइन निदेशालय .	नंगल
७	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर — . ४ का कार्यालय	नागपुर

श्री ओंकार लाल बेरवा : श्रीमन्. मैं यह जानना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आफिसेज को जो दिल्ली के बाहर अन्य स्थानों में भेजा जा रहा है वह किस उद्देश्य से किया गया था ? ऐसा मकानों की कमी की वजह से किया गया या लड़ाई की वजह से किया गया ?

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सरकारी दफ्तरों को दिल्ली से हटा कर बाहर ले जाने का सवाल यह बहुत अर्से से चल रहा है । उसको लेकर काफ़ी बातें और झगड़ा वगैरह भी हो चुका है और काफी डिस्कशन के बाद एक फैसला हम ने इस बारे में किया था ।

†**श्री ओंकार लाल बेरवा** : यह सरकारी दफ्तरों का स्थान बदलने का क्या कारण था ? मकानों की कमी की वजह से इनको दिल्ली के बाहर भेजा जा रहा है या लड़ाई की की वजह से ऐसा किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मकानों की कमी की वजह से किया गया है ।

†**श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या यह सच नहीं है कि अफसरों ने दिल्ली के बाहर जाने से इंकार कर दिया ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : कार्यालयों को दिल्ली से बाहर भेजना केवल आपात के कारण ही नहीं हो रहा है । यह प्रश्न १९५८ से सरकार के सामने है । कुछ ऐसे कार्यालय हैं जो दिल्ली से बाहर रहकर अच्छा काम कर सकते हैं । अतः सरकार ने ऐसे दफ्तरों को बाहर भेजने का निश्चय किया जो दिल्ली के बाहर रह कर भी अच्छा काम कर सकते हैं ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : कितने आफ़िस गये और कितने नहीं गये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : स्टेटमेंट में वह सब दिया हुआ है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जो आफिसेज़ यहां से शिफ्ट हुए हैं उन में कितने कर्मचारी थे और कितनों के पास मकानात थे ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : यह ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या भारत की राजधानी कहीं देश के केन्द्र के पास बनाने का विचार पूर्णतया छोड़ दिया गया है या यह अब भी विचाराधीन है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : यह प्रश्न इस से उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या राजधानी दिल्ली से बाहर हटाई जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर इतना व्यय करने के बाद क्या वह इसे हटाना चाहेंगे ?

श्री कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आफिसेज़ यहां से हटाने गये वे किन किन राज्यों के अन्दर चले गये हैं और उन के अन्दर यहां जितने कर्मचारी काम करते थे, क्या उतने ही कर्मचारी वहां पर भी काम करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ।

†**श्री कपूर सिंह** : एक औचित्य के प्रश्न पर । यदि आप किसी प्रश्न की अनुमति देते हैं, तो क्या यह कहना सरकारी मंत्री का काम है कि क्या यह पैदा होता है या क्या यह ग्राह्य है या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह इस पर मेरा ध्यान दिला सकते हैं इसका निर्णय मुझे करना पड़ता है । यदि मैं उन के विचार से सहमत न हूं, तो मैं उन से उत्तर देने को कहूंगा, परन्तु यदि मैं उन से सहमत हूं तो मैं दूसरा अनुपूरक प्रश्न ले लूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद** : जिन २० दफ्तरों को सरकार दिल्ली से बाहर भेजना चाहती थी, उन में से केवल ७ दफ्तर आंशिक रूप से या पूर्णतया दिल्ली से बाहर गये हैं। सरकार शेष १३ दफ्तरों को कब तक दिल्ली से बाहर भेज़ सकेगी, या सरकार इस प्रश्न पर पुनः विचार कर रही है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : कठिनाई यह है कि हम दिल्ली से बाहर जहां भी दफ्तर भेजना चाहते हैं, वहां हमें उपयुक्त स्थान ढूंढ़ना पड़ता है। कुछ मामलों में उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं है। कुछ मामलों में जो स्थान हम ने प्राप्त किया है, वह संबंधित कार्यालय को स्वीकार्य नहीं होता। अतः अब मैं यह कर रहा हूं कि मैं इस मामले पर संबंधित मंत्री से बात कर रहा हूं और पूछ रहा हूं कि मैं ने जो स्थान ढूंढ़ा है यदि वह उपयुक्त नहीं है तो क्या उनका कार्यालय उसी स्थान पर कोई और उपयुक्त स्थान ढूंढ़ने का प्रयत्न करेगा ।

भाखड़ा विद्युत संयंत्र

+

†*७५९. { **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री बालकृष्ण वासनिक :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भाखड़ा के दायें किनारे के विद्युत् संयंत्र में पांचवें एकक के लगाये जाने की स्वीकृति दे दी है ;

(ख) क्या इस संयंत्र में चौथे एकक को पूरा कर लिया गया है ; और

(ग) क्या एककों के लिये आवश्यक विदेशी सामग्री की व्यवस्था कर ली गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव)**: (क) जी हां ।

(ख) आशा है कि चौथा एकक १९६६ में चालू हो जायेगा ।

(ग) जी हां ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : प्रश्न के पहिले भाग के बारे में इस एकक का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किया जा सकेगा ?

†**डा० कु० ल० राव** : यह एकक १९६७ में चालू होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ?

†**डा० कु० ल० राव** : अलग कोई निर्माण कार्य नहीं है। पांचवें एकक का स्थान वहां, पहिले से ही है । हम केवल मशीन चाहते हैं। मशीन लगाई जायेगी और विद्युत् जनन १९६७ के मध्य में आरम्भ होगा ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या इस एकक के लिए अपेक्षित मशीन देश में उपलब्ध होगी या विदेशों से मंगानी होगी और, यदि हां, तो वह हमें कब तक प्राप्त होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० कु० ल० राव** : मशीन इस देश में उपलब्ध नहीं है । यह रूस से सहायताधीन मंगाई जा रही है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : यह कब तक उपलब्ध होगी ?

†**डा० कु० ल० राव** : यह १९६६ के अन्त तक, अर्थात्, चालू होने से छः महीने पहिले आयेगी ।

†**श्री ब० कु० दास** : क्या आजकल बान्ध में उपलब्ध जल इस संयंत्र को चलाने के लिए पर्याप्त है ?

†**डा० कु० ल० राव** : हां, ऐसा ही है । इस एकक की अधिष्ठापना के लिये पर्याप्त जल है । मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि भाखड़ा में अधिकतम और न्यूनतम में बहुत अन्तर है । यह अन्तर २४४ फीट है । अतः १२० मैगावाट की मशीन न्यूनतम स्तर पर केवल ७० मैगावाट बिजली बना सकती है । अतः हमें मितव्ययता की अपेक्षा कुछ अधिक मशीनों की आवश्यकता है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : पांचवां एकक चालू होने पर कुल उत्पादन कितना होगा और भाखड़ा नंगल नियंत्रण बोर्ड बनाने वाले राज्यों में उसका कैसे वितरण किया जायगा ?

†**डा० कु० ल० राव** : कुल ६५० मैगावाट बिजली प्राप्त होगी और इस में दोनों दाहिने तथा बायें विंग और नहर व्यवस्था शामिल है । बिजली १५.२२ प्रतिशत राजस्थान को, १०० मैगावाट दिल्ली को, १० मैगावाट हिमाचल प्रदेश को और बाकी पंजाब को दी जायगी ?

†**श्री स० चं० सामन्त** : चौथे और पांचवें एकक के लिए अपेक्षित मशीनों में कितनी देशीय होगी ?

†**डा० कु० ल० राव** : देशीय कुछ नहीं है । दोनों एककों के लिए रूस से मशीने मंगाई जा रही हैं ।

विदेशी बैंकों में मंत्रियों के खाते

†*७६०. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री उमा नाथ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कुछ मंत्रियों ने विदेशी बैंकों में अपने खाते खोले हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन मंत्रियों के क्या नाम हैं ;

(ग) उन के खातों में कितना कितना रुपया जमा है ; और

(घ) उनके खातों को जब्त करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग) : केवल एक मंत्री ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया को अपने विदेशी-मुद्रा के खाते के बारे में बताया है । बैंक-ग्राहक के संबंध को ध्यान में रखकर, उनका नाम तथा उनके नाम में जमा राशि बताना उचित न होगा ।

(घ) यह खाता देश में विनिमय नियंत्रण लागू होने से पहले से है । इसे बनाये रखना विनिमय नियंत्रण विनियमों के अधीन रखा जा सकता है । अतः उसे जब्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**श्री दाजी** : एक औचित्य के प्रश्न पर । मंत्री केवल 'लोक-हित' के आधार पर जानकारी देने से मना कर सकते हैं और माननीय मंत्री ने यहां जो आधार बताया है वह 'लोक हित" का नहीं है, परन्तु बैंक-प्रथा का है जिसका लोक-हित से कोई संबंध नहीं है। गोपनीयता की बैंक प्रथा बैंक तथा खाते दार के बीच है, और उस से हमारा कोई संबंध नहीं है । हमें सर्वसत्ताधारी संसद् के रूप में इसे जानने का अधिकार है बशर्ते कि लोकहित आड़े न आये ।

†**श्री त्यागी** : मंत्री महोदय का नाम न बताना उन पर आक्षेप होगा ? क्योंकि वह मंत्री होने से पहले भी यह खाता रखते थे, इसलिए मैं नहीं समझता कि उनका नाम बताने में कोई आपत्ति हो सकती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बैंक-प्रथा में खातेदार तथा बैंक के बीच अवश्य लागू होनी चाहिये । यदि बैंक कोई जानकारी नहीं देता है, तो वह भिन्न बात है । परन्तु यदि बैंक ने जानकारी दे दी है और सरकार को वह मालूम है, तो सरकार बैंक प्रथा के आधार पर विशेषाधिकार मांग सकती है या नहीं, मैं इस बारे में जानना चाहूंगा ? (**अन्तर्बाधा**) ।

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : बैंक तथा ग्राहक के बीच का संबंध वास्तव में प्रथा पर आधारित नहीं है अपितु विधि पर आधारित है । बैंकों के खाते के बारे में साक्ष्य अधिनियम है और वह बैंक को खातेदारों के नाम बताने से रोकता है । इसी प्रकार, आयकर अधिनियम की धारा ५४ में और अन्य अधिनियम में ऐसा ही उपबन्ध है जो करदाता की आय बताने से रोकता है । यह एक रहस्य है । यह जानकारी प्राप्त करने के सरकार के ढंग हैं, क्योंकि हमें यह प्राप्त करनी होती है । परन्तु हमें व नियम मानने चाहिये या नहीं, जो जानकारी देने वाले पर लागू हैं, यह निर्णय करने की बात है । मेरा खयाल है और सविनय निवेदन है कि हम भी उन्हीं नियमों से बन्ध हैं जिन से जानकारी देने वाले बंध हैं ।

मेरे माननीय मित्र ने प्रश्न उठाया है कि क्या चलाया जाने वाला खाता पूर्णतया अहानिकर है । यह वाणिज्यिक खाता नहीं है । यह बड़ा ही साधारण खाता है । यह १६४७ से वर्षों पहले से चल रहा है जब से कि हम खाता बताने और धन के प्रत्यावर्तन के इस उपबन्ध को बनाये हुये हैं। मैं यह भी बता दूं कि १६६१ तक एक विदेशी बैंक में मेरी बहुत थोड़ी सी राशि थी। यह केवल कुछ अंशदान देने के लिये थी । मुझ से कहा गया कि यदि मैं खाता रखना चाहता हूं तो मुझे विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी । मैं ने यह खाता १६४६ में बन्द किया, १६४८ में पुनः खोला और फिर १६६१ में बन्द किया । मुझे धन, लगभग ७०० रु० वापस मिल गये । ये खाते इसी प्रकार के हैं। मैं सभा से सविनय निवेदन करता हूं कि इस प्रथा को न तोड़ना ही अच्छा है । मैं आश्वासन दे सकता हूं कि यह खाता ऐसा है जिस में वाणिज्यिक बात जरा भी नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी :** ऐसी स्थिति में नाम बताये बिना ही खाते में जमा पूंजी बताई जा सकती है . . . **(अन्तर्बाधा)** ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** जब कि इस सभा में इस ओर से आपत्ति होने पर भी एक संसद्-सदस्य का नाम बता दिया गया था, तो इस मामले में, जिस में कोई केन्द्रीय या राज्य मंत्री शामिल है, वे नाम बताने से क्यों लजाते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** फिर यह वही बात है . . . **(अन्तर्बाधा)** । मैं ने कहा था कि वह प्रथा या विधान है . . . कहा जाता है कि इस बारे में कोई निश्चित विधान है --बैंक और खाते दार के बीच है । यदि यह जानकारी सरकार को बैंक से मिली है तो इसे बताने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । यदि यह जानकारी सरकार को अन्य ढंगों से मिली है और यदि बैंक ने वह जानकारी नहीं दी है, तो मैं समझता हूं कि यह उचित है कि सरकार भी इसे न बताये ।

†**श्री त्यागी :** क्या मैं एक निवेदन करूं ? रहस्य संबंधी यह खंड खातेदार के नाम के लिए है, न कि बैंक के लाभ के लिये । यदि संबंधित सज्जन यह जानकारी देते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि कोई भी कह सकता है कि उसके पास इतना धन है और बैंक इस में बाधा नहीं बनेगा । अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह रहस्य बैंक के हित में रखा जा रहा है या संबंधित व्यक्ति के हित में रखा जा रहा है ।

†**श्री रंगा :** राशि के बारे में माननीय मंत्री ने कहा कि वह अधिक नहीं है । अतः इस बारे में हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु मंत्री का नाम बताने में उन्हें क्या आपत्ति हो सकती है ? उन्होंने बताया कि स्वयं उनका भी छोटा सा खाता था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्हें श्री त्यागी के कथनानुसार यह भेद अवश्य करना चाहिये कि यह उनका अपना खाता है और उन्हें इसे बताने का पूर्ण अधिकार है ?

†**श्री रंगा :** मंत्री महोदय का नाम बताया जाना चाहिये क्योंकि यह मामला बैंक और मंत्री तथा मंत्रालय और, संसद् के बीच है ।

†**श्री दाजी :** माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया है उसके साथ आपका निर्णय इस मामले सम्बद्ध है । वास्तव में माननीय मंत्री ने कहा था कि उन्हें यह जानकारी बैंक से मिली और इस कारण वह बैंक नियमों से आबद्ध हैं । यह कहने के बाद, आपके निर्णय के साथ, पसन्द की कोई बात नहीं है और न ही विचार विनिमय की कोई बात है । सिवाय इसके कि माननीय मंत्री नाम बता दें । वह पहिले ही कह चुके हैं कि उन्हें नाम बैंक से विदित हुआ इस लिए बैंक नियम इस सभा पर भी लागू होते हैं । आपने उन के मत के विरुद्ध निर्णय दिया । अतः मेरा निवेदन है कि मामला अब समाप्त हो गया और आपके निर्णयानुसार माननीय मंत्री को सभा में नाम बताने के लिए कहा जाय ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मैं समझता हूं कि मैं एकदम ठीक हूं और वास्तव में उदाहरण स्वरूप मैं आप से यह मानने की प्रार्थना करता हूं । यदि किसी संस्था से मुझे कोई जानकारी मिलती है तो रहस्य के बारे में मैं उन्हीं नियमों तथा प्रथाओं

---

†मूल अंग्रेजी में

से बंधा हूं जिन से वह संस्था बंधी है। मान लीजिये कि मैं अभी नाम बता दूं, तो भी मैं इसे उदाहरण बनाना नहीं चाहता, क्योंकि यदि बैंक से मुझे किन्हीं नामों का पता लगता है, तो मैं उन्हें बताना नहीं चाहता । मैं इस पर ध्यान नहीं देता कि यह लोक हित है या नियमों को तोड़ना है । अब, कल मैं आयकर अधिनियम का एक संशोधन रखता हूं और कहता हूं कि धारा ५४ लागू नहीं होगी । तब, यह मामला और हो जाता है । यदि हम कहते हैं, कि बैंकों को उन के नाम बताने होंगे, तो यह बात और है । जब तक नियम है, तब तक मैं आपको निवेदन करता हूं कि इसे उदाहरण न बनाया जाये । यदि इस से सारा मतभेद समाप्त हो जाये तो मैं नाम बताने को तैयार हूं ।

†**श्री रंगा:** श्रीमान, यह ठीक है। वह जैसा चाहें करें। फल यह होगा कि प्रत्येक मंत्री पर सन्देह होगा । यह कठिनाई है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : माननीय सदस्य थोड़ी तसल्ली रखें.... (**अन्तर्बाधा**) । मैंने निवेदन किया कि इसे उदाहरण न बनाया जाये.....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं मंत्री जी की बात सुन चुका हूं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : वह इसके विरुद्ध निर्णय नहीं देंगे । आपने स्पष्ट निर्णय दे दिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उनकी बात सुन सकता हूँ और वह प्रत्येक अन्य माननीय सदस्य की भान्ति मुझे बता सकते हैं। निश्चय ही मैंने मत प्रकट किया था कि यह लागू नहीं होना चाहिये। साधारणतया, यह बैंक और खातेदार पर लागू होना चाहिये। यदि यह जानकारी बैंक ने दी है, तो इसे आगे बताने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । मैं कुछ समय चाहता हूं और इस पर विचार करूँगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : हमें कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उन्हें अनुमति देता हूँ। (**अन्तर्बाधा**) श्री रंगा ।

†**श्री रंगा** : मेरा आपसे केवल यह निवेदन है... (**अन्तर्बाधा**)

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

†**श्री रंगा** : मैं आपसे केवल यह बात याद रखने का निवेदन करता हूं कि हमसे अनेक यह विचारने लगेंगे कि कौन मंत्री ऐसा है। सरकार के लिए यह बहुत बुरी बात है।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है । श्री त्यागी ।

†**श्री त्यागी** : आपसे मेरा निवेदन यह है कि आपका निर्णय सर्वथा स्पष्ट है और पूर्णतया ठीक व उचित है। परन्तु रहस्य की बात बैंक के साथ है। जिस व्यक्ति का बैंक में खाता है क्या वह भी यह नहीं कह सकता कि उसमें कितनी राशि है? आयकर नियम जानकारी देने से मना करते हैं परन्तु करदाता जानकारी दे सकता है। अतः स्वयं मंत्री अपना नाम बताना चाहें, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह मंत्री महोदय की बात है। यहां हमारा संबंध अन्य बात से है।

कुछ माननीय सदस्य उठे —

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। मैं इस चर्चा को अनिश्चित समय तक जारी नहीं रख सकता। यह प्रश्न काल है। हमें आगे बढ़ना चाहिये। मैंने सदस्यों को कहा है कि मैं इस पर विचार करूंगा। यदि मुझे और कोई सन्देह होता है, तो मैं इसे सभा के समक्ष रखूंगा और फिर सदस्यों को अवसर दूंगा कि वे अपना मत प्रकट करें। मैं अभी कोई निर्णय नहीं कर रहा हूं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : कुल कितने केन्द्रीय तथा राज्य मंत्रियों के खाते विदशों में हैं और उनमें कुल कितना धन जमा है?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कहते हैं....

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : यदि मैंने उनके उत्तर को ठीक समझा है, तो उन्होंने कहा है कि केवल एक मंत्री ने अपना खाता होने की सूचना दी है। हम अन्य मंत्रियों के खाते के बारे में जानना चाहते हैं।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : हमें केवल बताये गये मामलों की जानकारी हो सकती है। जो बताये नहीं गये, उनके बारे में हमें जानकारी नहीं हो सकती। वास्तव में, मैं जानता हूँ कि शायद अनेक व्यक्ति, जिनमें मंत्रियों के अतिरिक्त और व्यक्ति भी हैं, विदशों बैंकों में अपने खाते रखते हैं। इस बारे में, एक मंत्री ने बताया है। जैसा कि मैंने पहिले कहा था कि यदि अध्यक्षपीठ निर्णय देती है, और वह अन्य मामले पर निर्णय देगी, अर्थात्, यदि सरकार को जानकारी है तो वह इस बारे में नियम का पालन करे या नहीं, तो मैं इस अमुक मंत्री का नाम बताने को तैयार हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह समझा जाता है कि मैं यह निर्णय दूंगा कि नियम का पालन न किया जाये?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी**: इस अमुक मंत्री ने मुझे प्राधिकार दिया है कि मैं उनका नाम बता सकता हूँ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने केवल यह कहा है कि मैं देखूंगा कि क्या स्थिति है। यदि इस बारे में नियम निश्चित है, तो निश्चय ही माननीय मंत्री को अभी यह नहीं कहना या समझना चाहिये कि मैं ऐसा निर्णय दूंगा कि जो नियम-विरुद्ध हो।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं कह सकता हूं कि इस मामले में मंत्री महोदय इसके लिए तैयार हैं कि उनका नाम बता दिया जाये....

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि विधान है, तो सभा मुझसे उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की कैसे आशा कर सकती है? अतः इससे बात समाप्त होती है। मैं इसकी जांच करने को तैयार हूं। परन्तु यह समझना ठीक नहीं है कि मंत्री महोदय आशा करें कि मैं कभी भी ऐसा निर्णय दूंगा जो विधान के विरुद्ध हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि केवल एक मंत्री ने नाम बताया है। अतः जब तक कि कोई न बताये, तब तक वह यह बताने में असमर्थ हैं कि अन्य मंत्रियों या अन्य व्यक्तियों के खाते हैं या नहीं। क्या मैं यह समझूं कि यह जानकारी पाने के सरकार के और कोई साधन नहीं हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : बैंक यह जानकारी नहीं देता। उन्होंने यह प्रश्न पूछा है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं कुल धनराशि, और मंत्रियों की कुल संख्या जानना चाहता था....

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर दिया जा चुका है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं कुल राशि जानना चाहता था। मैं नाम नहीं जानना चाहता था।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय पहिले ही कह चुके हैं कि सरकार को केवल बताई गई जानकारी ही होती है और बताने वाले का नाम मालूम होता है। उन्हें अन्य खातों की जानकारी कैसे हो सकती है ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : वह क्या छिपा रहे हैं ? वह कहते हैं कि उन्हें जानकारी बैंक से मिली है और संबंधित व्यक्ति को अपना नाम बताये जाने पर आपत्ति नहीं है। उन्हें बैंक से किसका नाम मालूम हुआ है ? ऐसे कितने नाम हैं ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : रिजर्व बैंक को कुछ अनुदेश दिये गये थे कि जिनके विदेशी बैंकों में खाते हैं, उन्हें किसी अमुक तारीख तक उनके बारे में बता देना चाहिये। मेरा ख्याल है कि यह तारीख नवम्बर, १९६२ थी। क्या इन मंत्रियों ने अपने नाम उस तारीख से पहिले बताये थे या बाद में बताये। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि कुछ मंत्रियों ने अब भी विदेशी बैंकों में अपने खातों के बारे में नहीं बताया है, और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाही करने का विचार है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : प्रवर्तन निदेशालय से यह बात सुनिश्चित कर ली गई है कि केन्द्र या राज्य के किसी मंत्री के खाते के अवैध रूप से यह रहने की कोई शिकायत नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरा प्रश्न यह नहीं है। कृपया आप मेरी रक्षा कीजिये। इसी सभा में जब एक सदस्य के बारे में प्रश्न उठाया गया था....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछता हूं। वह कहते हैं कि मंत्री (और प्रत्येक अन्य व्यक्ति भी) से कहा गया कि वह बताये कि उनका विदेशी बैंकों में खाता है या नहीं। क्या यह ठीक है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार कहती है कि केवल एक मंत्री ने बताया है कि विदेशी बैंकों में उनका खाता है। माननीय सदस्य और क्या चाहते हैं ? उनके दूसरे प्रश्न का क्या अभिप्राय है ?

---

†मूल अंग्रेज में

†श्री स० मो० बनर्जी : दूसरा प्रश्न स्पष्ट है, अर्थात्, क्या उनमें से कुछ ने अपने खातों के बारे में नहीं बताया है। यह इस सभा की निरन्तर मांग है कि उन्हें अपने खाते बताने चाहिये। जिन लोगों ने अपने खाते नहीं बताये हैं उनके खिलाफ क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी? क्या कोई मंत्री ऐसे हैं, जिन्होंने अब तक इस बारे में नहीं बताया है?

†अध्यक्ष महोदय : यदि कोई मंत्री नहीं बताता कि उनका विदेशी बैंक में खाता है और उसके बारे में सरकार को पता लगता है, तब ही सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है। यदि कोई सचाई नहीं है या कोई साक्ष्य नहीं है.....

†श्री स०-मो बनर्जी : यदि रहस्य इस प्रकार रखा जाता है, तो हमें मंत्रियों या अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिलने में बड़ी कठिनाई होगी।

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। अब माननीय सदस्य बैठ जायें। श्री दाजी।

†श्री दाजी : विदेशी बैंकों में खातों के बारे में बताने के लिए वैधानिक उपबन्ध है। क्या यह सुनिश्चित करने के सरकार के पास संबंधित व्यक्तियों द्वारा बतायें जाने की बात को छोड़कर, अन्य कोई साधन यह जानने का है कि क्या विदेशी बैंकों में कोई राशि जमा है। क्या जानकारी न देने वालों का पता लगाने के लिए सरकार कोई उपाय अपना रही है?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : प्रवर्तन निदेशालय पत्र-व्यवहार की जांच करता है। विदेशी खातों के बारे में कभी कभी जिरह की जाती है। मैं अपने माननीय मित्र को यह आश्वासन अवश्य दे सकता हूं कि सरकार की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे यह बताये बिना ही जानकारी प्राप्त कर ले।

†श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने का कोई प्रयास किया है कि क्या केन्द्रीय या राज्य मंत्रियों के विदेशी बैंकों में बैनामी खाते हैं, और क्या उनके नाम में या उनके लाभ के लिये तथाकथित "शून्य" खाते हैं?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी: यदि हमको पता लगता है कि किसी व्यक्ति का, चाहे देश में उसकी स्थिति कुछ भी हो, जिसने अपने खातों के बारे में नहीं बताया है, कोई विदेशी खाता है, तो स्वाभाविक है कि कार्यवाही की जाती है। परन्तु यदि मुझे प्रत्येक से यह पता लगाना और आगे यह पूछना पड़ता है कि उसने किस प्रकार अपने खाते के बारे में नहीं बताया है, तो मैं समझता हूं कि मेरा उत्तर यही है कि मैं प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं।

श्री राम सेवक यादव : मंत्री जी ने कहा कि केवल एक मंत्री ने बतलाया है। मैं जानना चाहता हूं कि जिन मंत्रियों ने बतलाया है या उनमें वे मंत्री भी शामिल हैं जो अब नहीं हैं अर्थात् भूतपूर्व मंत्री?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : हा, एक समय एक व्यक्ति मंत्री थे और उनका एक खाता था जो स्वीकार्य संख्या और नियमों के अधीन स्वीकार्य है। अब वह मंत्री नहीं हैं।

†श्री स० मो० बनर्जी : उनका क्या नाम है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त्यागी : क्या माननीय मंत्री ने अपने संबंधित सहकर्मी से परामर्श कर लिया है और क्या उस सहकर्मी ने उनसे अपना नाम न बताने की प्रार्थना की है या उन्होंने अपना नाम बताने की अनुमति दे दी है ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं कह चुका हूं कि इस मामले में संबंधित मंत्री को नाम बताये जाने में आपत्ति नहीं है ।

†श्री त्यागी : तो आप बताते क्यों नहीं हैं ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यदि सिद्धांत की बात नहीं उठाई जाती और इसे उदाहरण नहीं बनाया जाता, तो मैं नाम बताने को तैयार हूं ।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

कोसी नदी

†*७६१. श्री श्रीनारायण दास : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, १९६३ में कोसी नदी के पश्चिमी तटबन्ध में हुई दरार में से अचानक पानी के बह निकलने से कितने गांवों पर प्रभाव पड़ा ;

(ख) किस प्रकार की तथा कितनी हानि हुई ;

(ग) प्रभावित लोगों को सहायता देने के लिये यदि कोई कदम उठाये गये हैं तो वे क्या हैं ; और

(घ) क्या दरार अब भर दी गई है ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) केवल दालवा गांव पर प्रभाव पड़ा है जोकि नेपाल में है ।

(ख) लगभग ५० एकड़ को छोड़कर, जिसमें से लगभग ३० एकड़ भूमि में फसल खड़ी है, और कहीं बाढ़ नहीं आई है ।

(ग) बचाने और सहायता कार्य के लिये, नावें, त्रिपाल, औषधियां, आदि पहिले से सुरक्षित रखी गई थीं । और खाद्य पदार्थों वाली उचित मूल्य की दुकानें राज्य सरकार ने खोलीं ।

(घ) जी, नहीं ।

†श्री श्रीनारायण दास : इससे कितनी जन संख्या पर प्रभाव पड़ा है ?

†डा० कु० ल० राव : दालवा के लगभग १०० व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा है ।

†श्री श्रीनारायण दास: इस कटाव से उत्पन्न हुई स्थिति से उत्पन्न होने पर और क्षति होना रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†डा० कु० ल० राव: जैसा कि मूल परियोजना में मूल रेखाकन निश्चित है, वह उसी के अनुसार होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री भागवत झा आजाद : भाग (घ) के उत्तर से उत्पन्न होने पर, क्या यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि इस वर्ष जो अन्तर रहा है, वह केवल इसी वर्ष की बात है या रेखांकन में ही कुछ गड़बड़ है जिससे यह प्रति वर्ष इसी प्रकार क्षति होती रहे ?

†डा० कु० ल० राव : अन्तर इस कारण है कि रेखांकन के साथ निश्चित रूप में तटबन्ध नहीं बनाया गया। जैसा कि पहिले बताया जा चुका है, मूल रेखांकन एक मील पश्चिम की ओर था। नया तटबन्ध बनाने के अतिरिक्त, हम नदी को गहरा करने और नदी के मध्य में निकास बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं।

†श्री विश्राम प्रसाद : क्या सरकार का यह मंत्रालय पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करेगा और उन्हें प्रतिकर के रूप में कुछ धन देगा ?

†डा० कु० ल० राव : वास्तव में यह बहुत ही अस्थायी असुविधा है। पानी दस दिन में कम हो गया है। अब बिल्कुल पानी नहीं है, और गांव वाले लौट गये हैं। वे किनारे पर ही रह रहे थे। वास्तव में सहायता या क्षति का कोई प्रश्न नहीं है।

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि तटबन्ध सुरक्षित रहने पर भी उस क्षेत्र के व्यक्तियों ने इस दोष के बारे में बताया था, परन्तु उसकी मरम्मत करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

†डा० कु० ल० राव : यह सच है कि इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों का विचार था कि इस स्थान पर खतरा होगा और उन्होंने समय समय पर अभ्यावेदन किया था। परन्तु इंजीनियरों का विचार था कि वे पर्याप्त सुरक्षात्मक कार्यवाही कर सकेंगे। इसके निर्माण के लिये दबाव डाला गया क्योंकि नेपाल सरकार निर्धारित रेखांकन के लिये भूमि नहीं दे रही थी। इंजीनियरों का विचार था कि वे उसका मुकाबला करने का प्रयास कर सकते थे, परन्तु उन्हें यह सदैव विदित था कि यह रेखांकन तनिक भी उपयुक्त नहीं है।

उपनगर

†*७६२. { +श्री महेश्वर नायक :
श्री उमानाथ :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में कार्यालय तथा आवास स्थान की कमी को दूर करने के लिये संघ सरकार ने दिल्ली से दूर उपनगरों का विकास करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कौन कौन से स्थान चुने गये हैं ; और

(ग) इस विकास योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) से (ग). फरीदाबाद में लगभग २२६ एकड़ भूमि उपलब्ध है। इसे फरीदाबाद नगर के विकास के अंग के रूप में प्राप्त किया गया था, जहां बड़ी संख्या में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास किया

†मूल अंग्रेजी में

गया है। ५८.१० लाख रु० की लागत से इस क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। हाल में, ३८.८१ लाख रु० की लागत से ११५० मकानों के निर्माण की एक योजना तथा १३८.७६ लाख रु० की लागत से एक कार्यालय की एक इमारत बनाने की दूसरी योजना स्वीकार की गई थी। गाजियाबाद के बारे में, राज्य सरकार द्वारा लगभग ९०० एकड़ भूमि प्राप्त करने का निश्चय किया गया है।

†श्री महेश्वर नायक : क्या इस योजना पर योजना के उपबन्धों के अतिरिक्त धन व्यय होगा, और यदि हां, तो धन कहां से प्राप्त हो रहा है ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : मकानों तथा दफ्तरों के निर्माण के लिये इस मंत्रालय को आवंटन किया गया है। वास्तव में, हम और आवंटन मांग रहे हैं क्योंकि हम योजना उपबन्धों की सीमा तक आ चुके हैं।

†श्री महेश्वर नायक : क्या दिल्ली से दूर गाजियाबाद तथा फरीदाबाद में कुछ सरकारी दफ्तरों के होने से राजधानी नगर का विकास नहीं रुक जायेगा ?

†श्री पू० शे० नारकर : इसका प्रभाव इसका उल्टा होगा।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच नहीं है कि १९६२-६३ के गजट में दिल्ली में मकानों के निर्माण के लिये १५ करोड़ रु० स्वीकार हुये थे जो पिछले पांच वर्षों में व्यय हुये धन से दुगना है ? क्या इससे यह सिद्ध होता है कि सरकार ने अब दफ्तरों को बाहर न भेजने की आवश्यकता महसूस कर ली है ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : बात यह है। दिल्ली में और मद्रास, बम्बई और कलकत्ता जैसे महत्वपूर्ण नगरों में मकानों तथा दफ्तरों के लिये स्थान की अत्यन्त कमी है। मैं भूत की बात करना नहीं चाहता, परन्तु यह सच है कि हमने पिछले १० से १५ मास में २० से २५ हजार रु० की योजनायें स्वीकार की हैं, और अब भी मैं कई करोड़ रु० की कई योजनायें स्वीकार करना चाहता हूं।

†श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या पीने के पानी की जैसी आवश्यक सुविधायें इन नगरों में मकानों का निर्माण पूरा होने और लोगों को वहां जाकर बसने के लिये कहने से पहिले उपलब्ध की जायेंगी ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : विचार यह है कि मिला जुला विकास किया जाये। जहां तक संभव है, मैं नहीं चाहता कि किसी भी मकान वाले को असुविधा हो, परन्तु कभी विवशता होती है, क्योंकि पानी, बिजली और नाली सुविधा की दिल्ली में कठिनाई है।

†श्री कपूर सिंह : क्या आवास की इस समस्या के हल का आधार "जहां काम वहां रहना" का सिद्धांत है, या सस्ता तथा सरल परिवहन की उपलब्धता है, यदि बाद वाला आधार है, तो सरकार परिवहन सेवाओं का इन आवास समस्याओं के साथ तालमेल कैसी करेगी ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : जहां तक इस प्रश्न का संबंध है हमारा संबंध सरकारी नौकरों के लिये मकानों और सरकारी दफ्तरों की इमारतें बनाने से है, और मैं चाहता हूं कि मकान दफ्तर से अधिकाधिक पास हों।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विश्राम प्रसाद : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता जैसे शहरों में मकानों की कमी है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस तरह की स्कीम क्यों नहीं बनाती कि पहाड़ों पर जमीन डेवेलप करे और वहां हाउसेज़ बनाए और वहां आफिसेज़ शिफ्ट करे ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जहां गवर्नमेंट के आफिसेज़ होते हैं और जहां मुझे जरूरत होती है वहां बनाता हूं । दो स्कीमें हैं, एक गवर्नमेंट के आफिसेज़ बनाने की और दूसरी सरकारी मुलाजिमों के लिए मकान बनाने की। इन के अलावा सोशियल हाउसिंग की भी स्कीम है, लेकिन उस को स्टेट गवर्नमेंट्स की मारफत अमल में लाया जाता है ।

†**श्री रंगा** : क्या यह देखने के लिये कोई तालमेल योजना नहीं है कि ये उप नगर ऐसे स्थानों पर और इस रूप में बने कि वहां से लोग अपने काम के स्थानों को सरलता से जा सकें ? अन्यथा, उन्हें दूर ले जा कर उन के लिए. वहां मकान बनाने से क्या लाभ जहां वे पूर्णतया विवश हो जायें ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : दिल्ली की वृहत योजना में इस मामले पर पूरी तरह विचार किया गया है। विचार करने के बाद हम ने आस पास कुछ उपनगर चुने हैं और हम प्रत्येक का दिल्ली की वृहत योजना के आधर पर विकास करने का प्रयास करते हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या इस योजना में वह प्रस्तावित उपनगर शामिल हैं जो उन कर्मचारियों के लिये बनना था जो पूर्वी पाकिस्तान के हैं और यदि हां, तो उस में क्या प्रगति हुई है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : यह प्रश्न इस से पैदा नहीं होता । माननीय सदस्य पूर्वी पाकिस्तान के उन विस्थापित व्यक्तियों के लिए. जो दिल्ली में हैं और यहां ही काम करते हैं, कालकाजी विकास योजना का उल्लेख कर रहे हैं। यह अलग योजना है ।

तिब्बिया कालेज, नई दिल्ली

†*७६३. **श्री प्रताप सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बिया कालेज, नई दिल्ली, को दिल्ली विश्व विद्यालय से मान्यता मिली हुई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)**: (क) जी नहीं ।

(ख) आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बिया कालेज बोर्ड ने कालेज को दिल्ली विश्व-विद्यालय से सम्बद्ध करवाने के हेतु आवश्यक उपाय करने के लिये ३१ अगस्त, १९६३ को हुई अपनी बैठक में एक संकल्प पारित किया था । बताया जाता है कि दिल्ली के मुख्य आयुक्त इस विषय को दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ उठा रहे हैं।

†**श्री प्रताप सिंह** : क्या यह सच है कि नई दिल्ली के आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के स्नातकों तथा डिप्लोमा धारियों को भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में पंजीबद्ध नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ।

†श्री प्रताप सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या संस्था केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् बनायेगी और यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

†डा० सुशीला नायर : मुझे समझ में नहीं आता कि यह बात इस प्रश्न से कैसे पैदा होती है ।

†श्री काशी नाथ (पांड) : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्रालय ने मुख्य आयुक्त को दिल्ली विश्वविद्यालय से बातचीत करने की आज्ञा दे दी है ?

†डा० द० स० राजू : जी हां ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्रालय ने इस कालेज में आयुवदिक तथा यूनानी पद्धतियों की पढ़ाई के पाठ्यक्रमों को मंजूर कर लिया है जैसा कि वे ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार चलने वाले कालेजों के बारे में करते हैं ।

†डा० सुशीला नायर: मंत्रालय आयुर्वेदिक, ऐलौपैथिक या यूनानी किसी भी पद्धति के पाठ्यक्रम को मंजूरी नहीं देता ।

†श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार तिब्बिया कालेज जैसी संस्थाओं को अपने विश्वविद्यालय खोलने का प्रोत्साहन देना चाहती है या वह और क्या करने का विचार रखती है ?

†अध्यक्ष महोदय : वह अलग बात है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: इस तिब्बिया कालिज के छात्रों ने अभी कुछ समय पहले हड़ताल और प्रदर्शन किए थे । क्या मैं जान सकता हूं कि उस समय उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जी को कोई मैमोरेंडम दिया था ? यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और सरकार उस पर क्या निर्णय ले रही है ?

†डा० द० स० राजू : जी हां, वह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने तथा रात्रि कक्षाओं को बन्द करने के बारे में था । बाद में उस पर कार्यवाही की गई तथा रात्रि कक्षाओं को बन्द कर दिया गया था ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरे प्रश्न का आधा भाग यह था कि सरकार का उस पर क्या रिऐक्शन है, आपने निर्णय लिया है या नहीं ?

डा० सुशीला नायर : हमारी तरफ से कोई विशेष निर्णय देने का सवाल नहीं है । दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के मातहत कानून के अनुसार एक बोर्ड बना है । वह बोर्ड इस सारे इम्तिहान को देखता है । उन्होंने यह फैसला किया है कि अगले साल से नाइट क्लासेज नहीं किए जाऐंगे, और जहां तक कालिज को एफिलिएट करने का सवाल है, जैसा कि माननीय साथी ने बताया, उसके बारे में कार्रवाई की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सरजू पाण्डेय : मैं जानना चाहता हूं कि इस कालिज को एफिलिएट करने में आपके सामने क्या दिक्कत है ?

डा० सुशीला नायर: सब से बड़ी दिक्कत तो यह थी कि बरसों तक तो मुकदम चलता रहा। हकीम अजमल खां साहब के बेटे उसको अपनी जायदाद बनाना चाहते थे। सन् १९६१ में आखिर कार वह मुकदम सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ। उसके बाद से यह बोर्ड उसको सुधारने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है।

†**डा० सरोजिनी महिषी:** क्या मैं जान सकती हूं कि इस मान्यता देने में विश्वविद्यालय विलम्ब क्यों कर रहा है ?

†**डा० सुशीला नायर:** इसका उत्तर देना मेरे लिये संभव नहीं है।

कार्य अध्ययन

+

†*७६४. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी:**
श्री फिरोडिया:
श्री श० ना० चतुर्वेदी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन के क्षेत्र में कोई कार्य अध्ययन आरंभ करने का विचार है और क्या इसके लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है या किया जा रहा है ; और

(ख) क्या सरकार गैर सरकारी तत्वाधान में कार्य अध्ययन के लिये कोई सहायता देने का विचार कर रही है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) वित्त मंत्रालय का विशेष पुनर्गठन एकक तथा योजना परियोजना समिति १९५७ से केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों का कार्य अध्ययन कर रहे हैं। राज्य सरकारों के कार्यालयों तथा राष्ट्रीय उत्पादिकता परिषद् जैसे कुछ स्वायत्त निकायों का भी अध्ययन किया गया है। सरकारी संगठनों के अध्ययन का अनवरत कार्यक्रम है।

(ख) प्रश्न अभी उत्पन्न नहीं हुआ है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या में जान सकता हूं कि १९५७ से किये गये इन कार्य अध्ययनों के क्या परिणाम निकले हैं तथा क्या इन अध्ययनों द्वारा की गई किन्ही सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है और क्या उनमें से कोई सिफारिशें क्रियान्वित नहीं भी की गई हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** यह काम चलता रहता है। विशेष पुनर्गठन एकक ने अप्रैल, १९५७ से मार्च, १९६३ के अन्त तक १९ मंत्रालयों/विभागों तथा ६५ अन्य कार्यालयों के संगठनात्मक ढांचे तथा कर्मचारियों की आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन किया। वे लगातार सुधार का सुझाव दे रहे हैं तथा वित्तीय बचत के क्षेत्र में इसके परिणाम भी बड़ सन्तोषजनक रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** श्रीमन् अपना दूसरा प्रश्न पूछने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप मंत्री महोदय से यह जानकारी सभा-पटल पर रखने के लिये कहें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

†**अध्यक्ष महोदय:** अब वह दूसरा प्रश्न करें ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** मेरा दूसरा प्रश्न यह है : कहा जाता है कि प्रधान मंत्री ने इन कार्य अध्ययनों को जारी रखने तथा उनकी उपयोगिता के बारे में कुछ सलाह दी है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को प्रधान मंत्री द्वारा दी गयी सलाह का पता है तथा क्या उस सलाह के अनुसार कार्य अध्ययन बन्द नहीं किये जायेंगे बल्कि जारी रखे जायेंगे ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** कार्य अध्ययन एकक सदा मंत्रिमण्डल सचिवालय के संगठन तथा पद्धति विभाग के सहयोग से काम करता है । इस कार्यक्रम में सभी अभिकरणों का संयुक्त हित है । इसके अतिरिक्त उनका एक सुझाव यह भी है कि वित्तीय उत्तर दायित्व विभिन्न, तत्सम्बन्धी मंत्रालयों पर डाला जाए और इसे क्रियान्वित किया जा रहा है । इस कार्य अध्ययन कार्यक्रम तथा पद्धति का संचालन करने के लिये प्रत्येक मंत्रालय में विशेष शाखायें बनाई जा रही हैं ।

†**श्री हेडा:** क्या मैं जान सकता हूं कि उत्पादिकता परिषद् अथवा राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने अब तक जो अध्ययन किया है तथा और जो अध्ययन किये गये हैं उन्हें देखते हुए सरकार ने कुछ मूलभूत कारक तैयार किये हैं जिनसे देखा जा सकता है कि कर्मचारियों का अधिक्य है या नहीं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** जहां कहीं भी कर्मचारियों का अधिक्य पाया गया है वहां फालतू कर्मचारियों को अन्य विभागों तथा कार्यालयों में खपाने के प्रयत्न किये गये हैं । मंत्रालय में जहां कहीं कर्मचारी ज्यादा हैं वहां लगातार समायोजन किया जा रहा है। मैं सदन को बताना चाहती हूं कि जो काम किया गया है उससे लगभग ८० लाख रुपये की, बल्कि मैं समझती हूं कि उससे ज्यादा बचत हुई है । मुझे ठीक से याद नहीं है ।

†**श्री हेडा:** मैंने मूलभूत कारकों के बारे में पूछा था ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** उन्होंने एक नील पुस्तक भी निकाली है । मेरा विचार है कि उसे पटल पर रख दिया गया है । यदि नहीं रखा गया है तो में उसे माननीय सदस्यों को उपलब्ध कर दूंगी । उस पुस्तक में उन्होंने अनेक उपायों का सुझाव दिया है । उन उपायों पर तत्सम्बन्धी मंत्रालय अनवरत ध्यान दे रहे हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने अपने आप प्रशासन में विलम्ब तथा लालफीताशाही की समस्याओं को, जिनका समाधान करना इस समय बड़ा ही कठिन है, इस कार्य अध्ययन एकक को सौंपा है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** यह एक सरकार द्वारा स्थापित किया गया है ।

†**श्री भागवत झा आजाद:** हम जानना चाहते हैं कि क्या ये दो चीजें इस एकक को सौंपी गई हैं या नहीं । हम हां या न में उत्तर चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**:इस सम्बन्ध में मेरे सहयोगी नेजो कुछ कहा है मैं उसकी व्याख्या करना चाहता हूं। विशेष पुनर्गठन एकक जो अप्रैल, १९५७ में स्थापित किया गया था—उस समय मेरा इससे कुछ सम्बन्ध था—वित्त मंत्री के निकट सम्पर्क में रहता है और प्रशासन की सभी समस्याओं—न केवल कार्य अध्ययन बल्कि मितव्ययिता की अन्य समस्यायें भी—इस एकक के सुपुद कर दी जाती है मुझे याद है कि पिछले एकाध वर्ष में जब मैं एक अस्पष्ट सी स्थिति में यहां रहा हूं मुझे विभिन्न मंत्रालयों में फालतू कर्मचारियों का पता लगाने के प्रयोजन के लिये मितव्ययिता एकक तथा संगठन और पद्धति विभाग से काम लेना पड़ा था जिस में मेरी रुचि थी। मेरा सहयोगी ठीक आंकड़े नहीं दे पाये हैं। विशेष पुनर्गठन एकक द्वारा जो कुछ बचत की गई है वह बहुत है। वह ८० लाख रुपय से बहुत ज्यादा है। प्रश्न केवल काम कर रहे कर्मचारीवृन्द को कम करने का ही नहीं है बल्कि उसमें अभिवृद्धि रोकने का भी है। दो-दो उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। ज्यों ज्यों काम होता है वह बहुद्देशीय होता जाता है और समस्त सरकारी प्रशासन इसके अन्तर्गत आ जाता है।

†**श्री त्यागी** : क्या में जान सकता हूं कि कार्य अध्ययन के इस संगठन पर तथा और बनाये गये अध्ययन मंडलों पर, जो समकालीन काम कर रह है, कितना व्यय किया गया है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री रंगा**: श्रीमान्, में आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि हम सबकी यह शिकायत है कि हम दूसरे पक्ष को सुन नहीं पाते। या तो इन माइकों में कोई खराबी है या ऐसा लगता है कि इन्हें अचानक सर्दी लग जाती है और इनकी आवाज निकल नहीं पाती—एक मंत्री की नहीं बल्कि सभी मंत्रियों की। यह हमारी मुसीबत है। उन्हें सुनना बड़ा कठिन है। **(अन्तर्बाधायें)**:

†**श्री त्यागी** : मेरे माननीय मित्र समझते हैं कि सारी बुद्धि उन्हीं में है .....

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर माननीय सदस्य जोश में आ जायें। यदि माइक में कोई खराबी है तो में ठीक करवा दूंगा।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा विशेषज्ञ

*७६५. **श्री भक्त दर्शन**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले ८०० रुपये और उससे अधिक मासिक पाने वाले अधिकारी अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा विशेषज्ञों से सीधा परामर्श ले सकते थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल में ही यह सुविधा १२०० रुपये अथवा उससे अधिक मासिक वेतन पाने वाले अधिकारियों को ही देने का निश्चय किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस परिवर्तन का आधार क्या है ; और

(घ) इस परिवर्तन के कारण कितने अधिकारी इस सुविधा से वंचित हो गय हैं।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख) . जी हां।

(ग) डिस्पेन्सरी के डाक्टर के लिखे बिना विशेषज्ञों से सीधे परामर्श की रिआयत को पूरे तौर पर समाप्त करने की दिशा में यह एक कदम है। इस रिआयत से विशेषज्ञों का बहुत समय लग जाता है और इस का फल उन रोगियों को भुगतना पड़ता है जिन्हें सचमुच इस परामर्श की आवश्यकता है। यहीं नहीं इससे सामान्य चिकित्सा द्वारा रोगियों को जांच करने की गति भी धीमी पड़ जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

श्री भक्त दर्शन: श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन कारणों से और जिन परिस्थितियों में इस सुविधा से इन कर्मचारियों को वंचित किया जा रहा है, क्या इन का ज्ञान मंत्रालय को पहले से नहीं था; और यदि नहीं था तो अब कैसे उन को यह ज्ञान प्राप्त हुआ ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, जब पुराने मैडिकल एटेंडेंट रूल्स के नीचे सब सरकारी कर्मचारियों को डाक्टरी सुविधा दी जाती थी, उस समय ५०० रूपये और उससे अधिक मासिक पाने वाला कर्मचारी सीधे विशेषज्ञ के पास जा सकता था। उस के बाद जब कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम लागू हुई तो सीधे विशेषज्ञ के पास जाने की सुविधा ८०० रुपये और ८०० रुपये मासिक से अधिक पाने वाले कर्मचारी को दी जाने लगी। अब फिर यह चीज़ देखी गई, सरकारी कर्मचारियों के सब असोसियेशंस से भी सलाह मांगी गई और उस सलाह के अनुसार अब यह सुविधा १२०० रुपये अथवा उससे अधिक मासिक वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिये ही सीमित दी गई है और आगे चल कर इसको भी मिटा देने का इरादा है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मंत्रिणी महोदया ने यह स्वीकार किया है कि आगे चल कर जो १२०० रुपये मासिक या उससे अधिक वेतन पाते हैं उन के लिये भी यह सुविधा समाप्त कर दी जायेगी, तो मैं जानना चाहता हूं कि देर से देर कब तक यह हो सकेगा ? क्योंकि या तो सब को इस की सुविधा मिले या फिर किसी को न मिले।

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, मैंने पहले ही निवेदन किया कि उस दिशा में यह हमारा एक कदम है। कदम कदम कर के हम आगे बढ़ रहे हैं। सब को अपने साथ में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** जिन लोगों को चिकित्सा विशेषज्ञों के पास जाना पड़ता है उनकी चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं और उनके वेतन अथवा उनकी आय में यदि कोई सम्बन्ध है तो वह क्या है ? मेरा मतलब यह है कि यदि अपवर्जन किया ही जाना है तो वह कम आय वाले वर्गों से क्यों आरम्भ हो, अधिक आय वाले वर्गों से क्यों नहीं ?

†**डा० सुशीला नायर :** श्रीमान्, यह एक एतिहासिक विकास है। जिन नियमों पर हम चल रहे हैं वे ऐसे ही हैं। हम इसे ठीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम करना यह चाहते हैं कि सामान्य चिकित्सक यह निर्णय करें कि किसी रोगी को विशेषज्ञ के पास जाना चाहिय या नहीं। हम विशेषज्ञों के साथ सीधे परामर्श को यथा सम्भव सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि अब तक चलती आ रही प्रणाली को ठीक किया जाये तथा साथ ही इसे इस प्रकार ठीक किया जाये कि किसी को परशानी न हो।

†**श्री रामसेवक यादव :** अधिक वेतन पाने वालों को विशेषज्ञों की सलाह मिलगी लेकिन कम वेतन पाने वालों को यह सुविधा सुलभ न हो सकेगी, क्या यह व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था के अनुरूप है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यही तो उन्होंने कहा है कि इस को दुरुस्त करने का वह यत्न कर रहे हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह कदम समाजवादी व्यवस्था अथवा समृद्ध समाज की व्यवस्था के अनुरूप है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यही प्रश्न श्री यादव ने पूछा था ।

श्री विश्राम प्रसाद : अभी मंत्राणी महोदया ने बतलाया कि जिनकी तनख्वाह १२०० रुपया मासिक या उससे अधिक होगी उनको विशेषज्ञों की सीधी सलाह मिलेगी तो इसमें जितने मिनिस्टर्स, या जितने उनके सेक्रेटरीज़ हैं, व सब आ जाते हैं लेकिन यह पार्लियामेंट के मैम्बरान जोकि साल में कुछ ही महीने यहां रहते हैं उनको यह सुविधा कैसे प्राप्त होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न । श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ।

फर्जी हुण्डियां

+

†*७६६. { **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:**
श्री स० मो० बनर्जी: }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चोर-बाजारी से कमाये गये तथा आयकर से बचाये हुए धन की बहुत बड़ी राशि फर्जी हुण्डियों के रूप में प्रयोग हो रही है;

(ख) यदि हां, तो एसे धन की कुल कितनी राशि का परिचलन होने का अनुमान है; और

(ग) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) से (ग). हुण्डी ऋणों के आवरण में आय को छुपाने के तरीके का आय-कर विभाग को पता है । जिन मामलों में सन्देह होता है कि ऐसा तरीका अपनाया गया है उनकी विस्तृत जांच की जाती है तथा छुपाई हुई आय का निर्धारण करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ।

तथापि, इस प्रकार छुपाई हुई आय का कोई प्राक्कलन उपलब्ध नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : माननीय उपमंत्री महोदया ने अभी बताया है कि मामले उनके ध्यान में लाये गये हैं और उन्होंने पता लगाने का प्रयत्न किया है कि चोरबाजारी का रुपया कहां से आया। क्या मैं जान सकती हूं कि अब तक कितने रुपये का पता लगाया गया है और क्या दंड दिया गया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : २१३ मामले पकड़े गये हैं और उनकी किताबों से पता चला है कि फर्जी हुण्डियों द्वारा १.६७ करोड़ रुपये का गुप्त लाभ बचाया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मामलों का अपने आप पता चला है या किसी बाहर के अभिकरण ने उनका सुराग लगाया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : दोनों ही बातें हैं । आय-कर विभाग पूरी सतर्कता से काम करता है और इसलिये उन मामलों का या तो अपने आप पता दिया गया है या उनका सुराग लगाया गया है । परन्तु इन मामलों की जांच की जा रही है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह देखते हुए कि यह बहुत बड़ी राशि है, एक करोड़ रुपये से ज्यादा है, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या दंड दिया गया है, कौन सा उद्योग इस में अधिकतर अथवा सामान्यतः अन्तर्ग्रस्त है तथा वह किस क्षेत्र में है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : कुछ मामलों में तो लोग स्वयं ही बता देते हैं कि उन्होंने कितनी आय छुपा रखी है जिस पर कि कर नहीं दिये गये हैं। तब निर्धारित कर लेने तथा दंड देने के लिये उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। साधारणतया यही किया जाता है। परन्तु कुछ मामलों में जहां विभाग द्वारा सुराग लगाया जाता है कि आय छपा कर रखी गई है तथा करारोपण विधियों से बचा गया है, तो कर लेने के लिये उपयुक्त कार्यवाही अवश्य की जाती है तथा उन्हें उचित दंड दिया जाता है।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

"पी" फार्म

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १०. श्री सरजू पांडेय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "पी" फार्म की व्यवस्था इसलिए की गई है कि लोग विदेशों में विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग न कर सकें;

(ख) क्या सरकार को यह विदित है कि इस व्यवस्था से विदेशी मुद्रा की चोरी पर कोई असर नहीं पड़ा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि जो व्यापारी भारत से बाहर गये हैं और जिन्हें बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा दी गई है वे इसका दुरुपयोग कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस की रोक-थाम के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। इन पाबन्दियों से सरकार ग़ैर-ज़रूरी यात्रा पर रोक लगाने में समर्थ हो सकी है और इस तरह विदेशी मुद्रा की मंजूरी के बग़ैर की जाने वाली यात्राओं से विदेशी मुद्रा की जो चोरी हो रही थी वह कम हो गयी है।

(ग) और (घ). जी नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। लेकिन सरकार इस बात से इन्कार नहीं कर सकती कि ग़लत इस्तेमाल की गुंजाइश नहीं है और जब कभी ऐसे मामले सामने आते हैं, तो मुनासिब कार्रवाई की जाती है।

श्री सरजू पांडेय : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि यह बात किसी हद तक सही है कि कुछ व्यापारी विदेशों में विदेशी-मुद्रा का दुरुपयोग करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि विदेशों में हमारे जो व्यापारी हैं, क्या उन की देखभाल के लिए किसी तरह की कोई मशीनरी या व्यवस्था बनाई गई है, जिस से इस बारे में जांच हो सके और वे विदेशों में विदेशी-मुद्रा का दुरुपयोग न कर सकें?

श्री ब० रा० भगत : विदेशों में जो हमारे व्यापारी हैं, माननीय सदस्य ने उनका ज़िक्र किया है। परन्तु उन से यह सवाल सम्बन्धित नहीं है। जो व्यापारी व्यापार के लिए बाहर जाते हैं, ...

कुछ माननीय सदस्य : माननीय सदस्य का तात्पर्य उन्हीं से है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ब० रा० भगत : . . . . उन को हम विदेशी-मुद्रा देते हैं । उस पर ख़ास नियंत्रण है । जब वे वापस आते हैं, तो उस समय भी हम उस की जानकारी रखते हैं । जैसा कि मैं ने कहा है, आम तौर से इस बारे में गड़बड़ी नहीं है । अगर दो चार केस ऐसे हों, तो हम बड़ा ख़याल कर के उन की छान-बीन करते हैं ।

श्री सरजू पांडेय : माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि "पी" फ़ार्म का इस्तेमाल इसलिए नहीं होता है कि विदेशी-मुद्रा की चोरी ज्यादा है । क्या यह सही है कि इस सिलसिले में भूतपूर्व वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई, ने श्री भूपेश गुप्त को एक पत्र में यह लिखा था कि "पी" फ़ार्म का इस्तेमाल सिर्फ़ इसलिए किया जा रहा है कि विदेशी-मुद्रा बचाई जा सके; यदि हां, इस बारे में उन का क्या विचार है ?

श्री ब० रा० भगत : मैं ने यह नहीं कहा है कि यह बात नहीं है । (ए) के जवाब में मैंने कहा है, "यस, सर"—मैंने भी यही बात कही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पारपत्र दिये जाने के बाद भी तथा बाहर के देश से निमंत्रण आने पर भी, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है कि कोई विदेशी मुद्रा आदि अन्तर्ग्रस्त नहीं होगी, संसद्-सदस्यों तक को "पी" फ़ार्म देने से इन्कार कर दिया गया है और यदि हां, तो कितने मामलों में ऐसा किया गया है ।

†**श्री ब० रा० भगत :** बहुत ही थोड़े मामलों में ऐसा होता है कि पारपत्र दे दिये जाने के बाद भी यदि यह पता चलता है कि यात्रा लोकहित में नहीं है तो विदेशी-मुद्रा नहीं दी जाती अथवा अनुमति नहीं दी जाती ।

†**श्री दाजी :** क्या सरकार जानती है कि चीनी के निर्यात का कोटा लेने के लिये भारतीय चीनी मिल संघ ने अमरीकी सीनेट के कुछ सदस्यों को एक करोड़ रु० दिया है और अमरीकी कांग्रेस की जांच समिति द्वारा इस पर आपत्ति की गई है; यदि हां, तो उन्होंने छप-छुपा कर एक करोड़ रुपया देने की कैसे व्यवस्था की ?

†**श्री रंगा :** क्या यह सच है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** मुझे ऐसी किसी बात का ज्ञान नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस बात को देखते हुए कि विदेश यात्रा अब वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा भी सीमित कर दिया गया है तथा उस मंत्रालय द्वारा देखा जाता है कि कौन विदेश जाने के लिये पात्र है और कौन नहीं, क्या मैं जान सकती हूं कि जब वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमति दे दी जाती है तो वित्त मंत्रालय बीच में क्यों आता है और "पी" फ़ार्म न देकर ऐसे लोगों को बाहर जाने से क्यों रोकता है जिन्हें वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने हां कर दी है जैसा कि विश्व महिला संघ में जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के बारे में हुआ था ? वित्त मंत्रालय ने हमें बड़ी तकलीफ़ पहुंचाई थी ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** यदि वित्त मंत्रालय ने पहले "पी" फ़ार्म दिया और बाद में अनुमति वापिस ले ली तो ऐसा उन्होंने तभी किया होगा क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिये कहा गया था ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** हमें सुनाई नहीं देता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी:** बात सारी यह है कि दूसरी ओर कुछ हो रहा है ।

†**श्री रंगा**: आप जैसा अब बोले हैं वैसे बोलिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । और भी बातें हो रही हैं । यदि माननीय सदस्य चल रही कार्यवाही की तरफ ध्यान दें तो शायद हर कोई सुन सकेगा ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मुझे यहां बोलने की आदत रही है; शायद अब उम्र के कारण ऐसा हो गया है । मेरे लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है । मैं अपनी आवाज़ को ऊंचा उठा सकता हूं । माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या वित्त मंत्रालय ने पहले जो "पी" फ़ार्म दिया था बाद में उसे वापिस ले लिया था । जैसा मैं ने कहा है इस का कारण यह हो सकता है कि सुरक्षा कारणों से उन्हें आदेश का विखंडन करने के लिये कहा गया था । मेरा विचार है कि वित्त मंत्रालय इस मामले में अपने विवेक से काम नहीं लेता ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या मैं उन से पूछ सकती हूं कि क्या वह इस विशेष बात की जांच करवाने के लिये तैयार हैं ? बाद में वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने उसे रद्द किया और हमें अनुमति दी ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी**: मैं समझता हूं कि मैं मामले को जानता हूं । हो सकता है कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने इस बारे में बाद में कुछ और सोचा हो । यदि माननीय सदस्या समझती हैं कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय को इस बारे में पुनः नहीं सोचना चाहिये था तो यह बात मैं उन तक पहुंचा दूंगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : बिल्कुल गलत है ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या यह सच है कि 'पी' फार्म विनियमों तथा प्रतिबन्धों को कुछेक मामलों में वित्त मंत्रालय द्वारा वास्तविकता से बहुत दूर माना गया है तथा नेकनीयत यात्रियों के फायदे के लिये उन्हें बदलने के हेतु उपाय किये जा रहे हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : कार्य रूप में यह कभी कभी अवास्तविक होता है । माननीय सदस्य अंग्रेजी भाषा जानते हैं और संयोग से मैं भी जानता हूं । मैंने वह शब्द अवश्य इस्तेमाल किया था । हम इस आशय के लिये कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम इन कठिनाइयों को यथासंभव सीमा तक कम कर सकते हैं । मैं समझता हूं कि इसके लिये कुछ उपाय किये जा रहे हैं ।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क विभाग द्वारा नागपुर में ली गई तलाशियां

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर के केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क विभाग में हाल ही में नागपुर और तुमसर में श्री राम दुर्गाप्रसाद के घरों की तलाशी ली थी ;

(ख) क्या यह सच है कि उनके मकान से कुछ छिपा हुआ सोना और अन्य गैर-कानूनी चीजें पकड़ी गई थीं, और यदि हां, तो क्या क्या चीजें पकड़ी गई थीं ;

(ग) क्या यह सच है कि उच्च अधिकारियों से पत्र-व्यवहार की कुछ प्रतियां भी बरामद हुई हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां ।

(ख) २५८६.७ ग्राम सोना तथा सोने के जेवर और कुछ दस्तावेज पकड़े गये थे ।

(ग) और (घ). जो जांच अभी तक हो रही है उसके पूरा होने तक यह बताना व्यवहार्य नहीं है कि उपलब्ध सामग्री किस प्रकार की है या अन्त में इस बारे में क्या कार्यवाही की जायेगी ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इस व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से चलार्थ जमा करने तथा विदेशी मुद्रा में हेरफेर करने के बारे में भी मंत्रालय को शिकायतें मिली थीं तथा क्या उसकी जांच की गई थी तथा कागजात पकड़े गये थे ।

†**श्री ब० रा० भगत** : दस्तावेजों से पता चलता है कि कुछ कार्यवाहियां.....

†**अध्यक्ष महोदय** : वह उन दस्तावेजों के बारे में नहीं पूछ रहे हैं जो कि पकड़ लिये गये हैं वह जानना चाहते हैं कि क्या इसी व्यक्ति के बारे में मंत्रालय के पास पहले भी कोई शिकायत आई थी कि वह विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करता रहा है ।

†**श्री ब० रा० भगत** : बीजकों में गड़बड़ी करने के बारे में कुछ शिकायतें मिली थीं ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या यह समझा जाए कि तलाशी के दौरान कोई कागजात नहीं पकड़े गये थे ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि—मैं अपने प्रश्न के भाग (ग) का उल्लेख करता हूं—क्या इस तलाशी में किसी उच्च अधिकारी के साथ हुये पत्र-व्यवहार की प्रतियां भी बरामद हुई थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब यही मुश्किल है । उन्होंने कह दिया है कि जब तक जांच हो रही है वह नहीं बता सकते कि क्या बरामद हुआ है ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : वे जांच कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस व्यक्ति तथा कुछ अधिकारियों के बीच पत्र-व्यवहार की प्रतियां अथवा कोई पत्र अथवा कोई दस्तावेज मिला है ।

†**श्री ब० रा० भगत** : इसमें किसी अधिकारी का हाथ नहीं है । परन्तु कुछ अन्य पक्षों के साथ पत्र-व्यवहार के कुछ पत्र अवश्य मिले हैं । इनका किन्हीं प्राधिकारों अथवा उच्च अधिकारियों से कोई संबंध नहीं है ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : सरकार के अधिकारी ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं विशेषत: इस बारे में कुछ नहीं कह सकता ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : तलाशी के दौरान की गई कार्यवाही अथवा बरामद हुये दस्तावेजों से क्या कोई ऐसा रहस्योदघाटन हुआ है कि उसका नागपुर तथा भारत के किसी और स्थान के अन्य व्यक्तियों से कोई गठजोड़ था और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन स्थानों पर छापा मारने और तलाशी लेने का है जैसा कि इस मामले में किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जब जांच हो रही है.....

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : गठजोड़ । ये दस्तावेज बरामद हुये हैं । यदि शीघ्रता से कार्यवाही नहीं की जाती .....

†**श्री ब० रा० भगत** : जांच से पता चलेगा कि क्या कोई गठजोड़ था । वह प्रमाणित होना है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यदि तेजी और फुर्ती से कार्यवाही नहीं की जाती तो भारत में अन्यत्र गठजोड़ संभल सकते हैं और अपने सारे दस्तावेज नष्ट कर सकते हैं ।

†**श्री ब० रा० भगत** : इस समय बिना उपयुक्त जांच के यह बताना बड़ा कठिन है कि . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका मतलब है कि काफी ध्यान रखा जाना चाहिये । जो दस्तावेज बरामद हुये हैं उनसे अगर और लोगों से संबंधों का पता चला है तो जल्दी से कार्यवाही की जाये ताकि कहीं ऐसा न हो कि देर करने से वे चौकन्ने न हो जायें और बच निकलने के लिये कदम न उठा सकें ।

†**श्री ब० रा० भगत** : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है । परन्तु मैं समझता हूं कि सरकार की यह एक सामान्य सी रीति है । हम अवश्य ही इसका ध्यान रखेंगे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : उन्होंने क्या कहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा है कि माननीय सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव बहुत अच्छा है जिसे सरकार ध्यान में रखेगी ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह सुझाव मात्र नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब वह क्या चाहते हैं ?

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : हम जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने काफी पूर्वोपाय किये हैं । प्रश्न यह है । वह कहते हैं कि यह कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यही सरकार कह सकती है । वे पूर्वोपाय अवश्य करते होंगे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : नागपुर में जो कागजात बरामद हुए हैं क्या उन्हें महरबन्द करके रखा गया है ? किसी की उन तक पहुंच नहीं होनी चाहिये अन्यथा.....

†**अध्यक्ष महोदय** : जांच करने वाले अधिकारी इसका ध्यान रख रहे होंगे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : सरकार को इसका पता होना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ध्यान दिलाने के प्रस्ताव की सूचना ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कर प्रस्तावों का प्रभाव

†***७६७. श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष लागू किये गये कर प्रस्तावों तथा अनिवार्य बचत योजना के प्रभाव की जांच की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन करों के फलस्वरूप कितना अधिक राजस्व प्राप्त हुआ तथा अनेक स्तरों पर एवं देश की अर्थ-व्यवस्था पर इनका क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) क्या सरकार ने किसी स्तर पर सहायता देने की आवश्यकता पर विचार किया है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: (क) किसी वर्ष में लगाये गये नवीन करों के प्रभाव को हमेशा निगरानी में रखा जाता है और जब अगले वर्ष के बजट प्रस्ताव बनाये जाते हैं तब स्थिति पर पुनर्विचार किया जाता है । अनिवार्य जमा बचत योजनाओं के संचालन पर भी निगरानी की जा रही है ।

(ख) नवीन करों के परिणामस्वरूप राजस्व बढ़ा है और इस वित्तीय वर्ष में लगायी गई करों की अधिक दरों में भी राजस्व वृद्धि हुई है ; परन्तु इतनी जल्दी सभूचे देश की अर्थ-व्यवस्था पर या किसी विशिष्ठ स्तर पर इन उपायों के प्रभाव को आंका नहीं जा सकता ।

(ग) किसी वित्तीय वर्ष में लगाये गये करों में यदि कोई समायोजन करना हो, तो उस प्रश्न पर अगले वर्ष के लिए बजट प्रस्ताव बनाते समय सामान्यतया विचार किया जाता है ।

किशाउ बांध परियोजना

†*७६८. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रस्तावित किशाउ बांध परियोजना के संबंध में आपस में विवाद है; और

(ख) यदि हां, तो विवाद को निबटाने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा०कु० ल० राव)**: (क) और (ख). उत्तर प्रदेश और पंजाब की सरकारों के बीच किशाउ बांध परियोजनाओं के लाभों का उपयोग करने के संबंध में कुछ मतभेद हैं । इस समय योजना की जांच उत्तर प्रदेश द्वारा की जा रही है । लागत तथा लाभों में हिस्सा बंटाने के प्रश्न पर योजना का अन्वेशण हो चुकने तथा क्रियान्विति का अन्तिम रूप से तय हो जाने के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

अनिवार्य जमा योजना

†*७६९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्न आय वर्ग के लोगों को कुछ रियायतें देने के लिये अनिवार्य जमा योजना में कुछ परिवर्तन करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ;

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**:(क) और (ख). अभी तक केवल आयकर दाता और कर्मचारियों के संबंध में योजना को लागू किया गया है । इस की क्रियान्विति पर लगातार पुनर्विचार किया जाता है और जब अनिवार्य होता ह आवश्यक परिवर्तन किया जाता है । पूरा उत्तर १६ सितम्बर, १९६३ को ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर में दिया गया था ।

---

† ूल अंग्रेज़ी में

ब्रह्मपुत्र नदी

†*७७०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कांलोंग में ब्रह्मपुत्र के बहाव पर नियंत्रण करने के लिए एक रेगुलेटिंग गेट' लगा कर सिलघाट के निकट कुकुराकोटी पहाड़ी तथा हाटीमूरा के बीच एक तटबंध बनाने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना खर्च आयेगा ; और

(ग) योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) इस से संबंधित एक प्रस्ताव का अन्वेषण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). यह सूचना तभी प्राप्त होगी जब अन्वेषण कार्य पूरा हो जाएगा ।

सिंधु जल आयोग

†*७७१. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंधु जल आयोग ने, जिस की बैठक सितम्बर, १९६३ में रावलपिंडी में हुई थी, पानी के वितरण के बारे में कुछ नये उपायों की सिफारिश की है ; और

(ख) बैठक में अन्य किन मामलों पर बातचीत हुई थी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) जी नहीं । सिन्धु जल संधि १९६० में सिंधु नदी समूह से पाकिस्तान और भारत के बीच जल के वितरण के उपाय उपबंधित हैं । संधि के अन्तर्गत, भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों द्वारा नियुक्त दो आयुक्त इन उपायों को क्रियन्वित करते हैं और नदियों के जल के दैनिक वितरण के संबंध में दोनों सरकारों के बीच उत्पन्न होने वाली किसी समस्या का निपटारा करते हैं ।

(ख) गत बैठक में निम्न महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की गई थी :

(१) पाकिस्तान की यह प्रार्थना कि भारत पाकिस्तान को बाढ़ की चेतावनी देने के लिए वायरलैस स्टेशन बनाये ; और

(२) भारत की प्रार्थना कि पाकिस्तान में फोरडवाह और सिद्दीकिया नहरों के नीचे नाली साइफोन का निर्माण करे ।

पेंशन में वृद्धि

†*७७२. **श्री हो० ना० मुकर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १५० रुपये अथवा इस से कम मासिक पेंशन पाने वालों की पेंशन में अस्थायी वृद्धि के बारे में कोई निर्णय किया गया है अथवा करने का विचार है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस संबंध में द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) १५० रुपये मासिक तक पेंशन पाने वाले कम वेतन वाले पेंशनरों को अस्थायी तौर पर तदर्थ वृद्धि देने के प्रश्न पर विचार किया गया था क्योंकि इस प्रस्ताव पर काफी वित्तीय परिव्यय होना था, इसे वर्तमान संकट कालिक स्थिति के कारण स्थगित करना पड़ा ।

(ख) वेतन आयोग की अस्थायी वृद्धि संबंधी सिफारिश पर प्रथक से विचार किया गया परन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया । उपरोक्त (क) में वर्णित तदर्थ वृद्धि का वेतन आयोग की सिफारिश से संबंध नहीं है ।

नोटों आदि का कागज बनाने का कारखाना

†*७७३. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नोटों आदि का कागज़ बनाने के कारखाने (सीक्योरिटी पेपर मिल) में काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस में कब तक उत्पादन होने लगेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). सिक्योरिटी पेपर मिल से सितम्बर, १९६४ तक उत्पादन आरम्भ करने की अपेक्षा थी। इस परियोजना के चालू होने में लगभग ८ महीने विलम्ब होने की संभावना है ।

(ग) मुख्य कारण मुख्य मिल की इमारत के निर्माण के लिए ठेका देने में हुआ विलम्ब है । टैंडर आदि बुलाने में हुए विलम्ब को हटाने के लिए काम को शुरू करने के बारे में राष्ट्रीय इमारत निर्माण निगम के साथ बातचीत की गई, जो असफल रही । इस के पश्चात् सीमित टैंडर दो बार मांगे गये परन्तु दोनों अवसरों पर प्रत्युत्तर असंतोषजनक था । अन्ततोगत्वा १-१०-६३ में १५ महीनों की अवधि में काम पूरा करने के लिए सीमित टैंडर मंगवाने के पश्चात् ठेके के स्थान पर बातचीत की गई । मशीनरी के स्थापित होने में ३ महीने लगने की आशा है और काम मई, १९६५ में आरम्भ होने की अपेक्षा है ।

पयागपुर के विस्थापित व्यक्ति

†*७७४. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पयागपुर, ज़िला बहराइच (उत्तर प्रदेश) में बसे हुए पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों ने अभ्यावेदन दिया है कि उन्हें खेती करने के लिए दूसरी जमीन दी जाये क्योंकि जो ज़मीन उन को दी गई है उसमें १९६० से पानी भरा हुआ है और इस कारण खेती करने योग्य नहीं है ; और

(ख) क्या सरकार ने उन की दशा के बारे में कोई जांच की है तथा उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई क़दम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) यद्यपि ऐसा हो सकता है, उन को आवंटित भूमि पटसन, धान चीनी आदि की खेती के लिए उपयुक्त है ।

(ख) अपेक्षित जांच करवाई गई है परन्तु उन की शिकायतें निराधार हैं क्योंकि पटसन और धान की फसलें इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक बोई जा चुकी हैं । तथापि रियायत के तौर पर ३५० एकड़ ऊंची भूमि इन विस्थापित लोगों को आवंटन करने के लिए ली गई है ।

निर्यात वस्तुओं पर बिक्री कर

†*७७५. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों का निर्यात की वस्तुओं पर बिक्री कर की वापसी, अथवा समंजन अथवा छूट के औचित्य की ओर ध्यान दिलाया है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) किन राज्यों ने अब तक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) वास्तविक निर्यात सौदों पर बिक्री कर, केन्द्र अथवा राज्य नहीं लगाता । राज्य सरकारों से इस के अतिरिक्त, माल के वास्तविक निर्यात से पहले सौदे पर लगे कर से मुक्ति देने की प्रार्थना की गई है ।

(ख) और (ग). बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्य निर्यातकों को बिक्री कर शुल्क घटा कर या बिक्री कर की छूट या/वापिस या मुक्ति दे कर बिक्री कर में रियायत देते हैं । अन्य राज्य माल के वास्तविक निर्यात से पहले सौदों पर कोई रियायत नहीं देते ।

असैनिक कर्मचारियों को वेतनों का भुगतान

†*७७६. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक कर्मचारियों को उपलब्ध यह सुविधा कि महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व बैंक को सूचना दे दें और कर्मचारियों को वेतन मिल जाये, अब असैनिक कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध कर दी गई है ; और

(ख) नई योजना किन मंत्रालयों में लागू हो गई है और कितनी अवधि में यह सरकार के सभी विभागों में लागू हो जायेगी ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां ।

(ख) योजना हाल ही में सूचना तथा प्रसारण और भारतीय लेखापालन और लेखापरीक्षण विभाग के अफसरों पर लागू की गई है । अन्य मंत्रालयों पर इस योजना का विस्तार इसके वास्तविक कार्य में प्राप्त होने वाले अनुभव पर निर्भर करता है ।

---

†मूल अंग्रजी में

औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम के लिये विश्व बैंक से ऋण

†*७७७. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत के औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम के लिए हाल में ही ३ करोड़ पौंड का ऋण मंजूर किया है ; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) विश्व बैंक ने ३.० लाख अमरीकी डालरों के बराबर ऋण भारतीय औद्योगिक ऋण एवं पूंजी विनियोजन निगम, को दिया है ।

(ख) ऋण पर, भारत में प्रार्थियों को दिये गये उन ऋणों में अपेक्षित समय समय पर बकाया राशि पर १ प्रतिशत का ३/४ प्रतिशत दर होती है । ब्याज की दर और कृपापूर्ण अनुसूची, मोटे तौर पर, जब कभी ऋण आई० सी० आई० सी० आई० द्वारा भारत में प्रार्थियों को दिये जाते हैं, ऋण करार में ब्योरे दिये जाते हैं, जिस की प्रति सभा के पुस्तकालय में रखी गई है ।

पंजाब से दी जाने वाली बिजली

†*७७८. श्री भागवत झा आजाद :
श्री दलजीत सिंह :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली को दी जाने वाली बिजली के लिए 'विद्युत् शुल्क' के भुगतान के बारे में पंजाब सरकार के साथ दिल्ली प्रशासन के विवाद के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा सुझाये गये समझौता सूत्र को दोनों सरकारों ने स्वीकार कर लिया है ?

†सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : जी हां ।

राजस्थान में "सुपर ग्रिड"

†*७७९. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने सात जिलों में विद्युत् ग्रिड प्रणाली की स्थापना के लिए संघ सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना पर कितनी लागत आयेगी तथा केन्द्र और राज्य के बीच यह किस प्रकार बांटी गई है ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) देश में सात प्रादेशिक विद्युत् अभिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकारों को परिचालित किया गया था । राजस्थान सरकार का मत अभी तक प्राप्त नहीं हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ऐसा ब्योरा तभी तैयार किया जायेगा, जब राज्य सरकार सिद्धान्त रूप में प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगी ।

स्विटज़रलैंड से ऋण

†*७८०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विटज़रलैंड ने भारत को दिये जाने वाले दीर्घकालीन ऋणों में ३ करोड़ स्विस फ्रैंक की और वृद्धि करना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का विनियोजन किस प्रकार किया जायेगा ; और

(ग) समझौते की अन्य शर्तें क्या हैं ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी हां ।

(ख) ऋण का उपयोग पूंजीगत माल और उपकरण का आयात करने के लिए किया जायेगा ।

(ग) शर्तें और निबंधन वही हैं जो स्विटज़रलैंड द्वारा दिये गये पहले ऋण की थीं, अर्थात् ब्याज दर स्विस राष्ट्रीय बैंक की सरकारी छूट दर के ऊपर ३ ३/४ प्रतिशत होगी और ऋण दस वर्षों में, पहली किश्त लेने की तिथि से आरम्भ हो कर लौटी जायेगी ।

दक्षिण के राज्यों में प्लेग

†*७८१. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) दक्षिण के तीन राज्यों में प्लेग के दुबारा महामारी के रूप में प्रकट हो जाने के कारण, इस रोग की रोक थाम के लिए क्या क़दम उठाये गये हैं ; और

(ख) कितने रोगियों की रिपोर्टें दर्ज कराई गई तथा इनमें से कितने रोगी मर गये ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा०सुशीला नायर)** : (क) और (ख). कोलार (मैसूर) चित्तूर, (आंध्र प्रदेश) और सेलम (मद्रास) के जिलों में १९६३ में, ५ जनवरी,१९६३ को समाप्त होने वाले सप्ताह से लेकर ३१ अगस्त, १९६३ को समाप्त होने वाले सप्ताह तक, दर्ज हुए प्लेग से हुई मृत्यु और प्लेग के साप्ताहिक मामलों को दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये एल० टी०–१७६८/६३]। विवरण में वर्ष १९६२ के तत्समानी आंकड़े भी हैं। यह देखा जाएगा कि कोलार और सेलम में जो प्लेग के मुख्य केन्द्र हैं, प्लेग की संख्या में पर्याप्त कमी हुई है ।

राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्था, दिल्ली के विशेषज्ञों का एक दल अपेक्षित अन्वेषण करने के लिए नियुक्त किया गया है जो प्लेग नियंत्रण उपाय करने में राज्य सरकार की सहायता करेगी ।

आंखों का रोग

†२१६२. **श्री राम चन्द्र मलिक** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत में 'रैटिनलक्लोरिड डीजेनेरेशन' नामक आंखों के रोग से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार की कोई व्यवस्था है ;

---

†भूल अंग्रेजी में

¹Retinal Chlorid Degeneration.

(ख) यदि हां, तो आंख के कितने डाक्टर हैं और कितने अस्पतालों में उपचार की व्यवस्था है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन रोगियों के उपचार के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—१७६९/६३]। शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की जानकारी मिलने पर सभा पटल पर रखी जायेगी।

बीर गोबिन्दपुर परियोजना

†२१६३. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री ४ अप्रैल १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४२४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीर गोविन्दपुर परियोजना की योजना की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या परिणाम निकला ?

†सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय जल विद्युत आयोग ने बीर गोबिन्दपुर योजना की जांच की है और अपने टिप्पण उड़ीसा सरकार को भेज दिये हैं। इन टिप्पणों पर राज्य के उत्तरों की प्रतिक्षा है।

उड़ीसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

†२१६४. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) उड़ीसा में १९६३–६४ में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का विचार है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि नियत की गई ; और

(ग) तीसरी योजना की अवधि के प्रथम वर्ष में अब तक उड़ीसा में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) ४२।

(ख) १०.१९ लाख रुपये जिस में से भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय ५.८१ लाख रुपया देगी।

(ग) तीसरी योजना के प्रथम वर्ष के दौरान उड़ीसा में छै प्राथमिक केन्द्र खोले गये हैं

छोटी बचत प्रमाणपत्र

†२१६५. श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में अप्रैल, १९६३ में छोटी बचत प्रमाणपत्रों द्वारा कितनी धन राशि एकत्र की है ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : लगभग कुल ३१ लाख रुपये। इसके अतिरिक्त डाक घर बचत बैंक और संयमी सावधिक जमा लेखों द्वारा ५ लाख रुपये एकत्र किये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दण्डकारण्य में बसने वाले आदिम जाति के लोग

†२१६६. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक दण्डकारण्य परियोजना में कोरापट जिले के आदिम जाति के कितने लोग बसाये गये और उन में कितनी भूमि बांटी गयी ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : ३० जून, १९६३ तक आदिम जाति के ८०७ परिवारों में ४७१० एकड़ भूमि वितरित की गई है ।

दवाई की खुराकें

†२१६७. **श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ३० अगस्त, १९६३ के पेट्रियाट पत्र में प्रकाशित समाचार की ओर जिस का शीर्षक था "२० व्यक्तियों का काम करने के लिए दवाई की एक खुराक" ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) हां श्रीमान ।

(ख) विस्तृत जानकारी के बिना सरकार द्वारा कुछ कहना संभव नहीं ।

पथरी पिघलाने की दवाई

†२१६८. **श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान १ सितम्बर, १९६३ के टाइम्स आफ इंडिया पत्र में प्रकाशित "पथरी पिघलाने की दवाई" शीर्षक के समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का भविष्य में होमियासिड्रीन आयात करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) हां श्रीमान ।

(ख) पत्थरी पिघलाने की दवाई (हेमियासिड्रीन) अभी जांच की स्थिति में प्रतीत होती है और ऐसा लगता है कि अभी अमरीका में भी उसकी बिक्री नहीं शुरु हुई । क्योंकि अभी तक यह प्रमाणित नहीं हुआ कि यह दवाई प्रभावशाली है और इससे हानि नहीं होती अतः निकट भविष्य में इसका आयात करने का अभी कोई विचार नहीं ।

आंध्र प्रदेश में कर निर्धारण के मामले

†२१६९. **श्री इ० मधु सूदन राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में १९६१-६२ और १९६२-६३ में आय कर अधिकारियों ने कर निर्धारण के कितने मामलों की जांच की और उनका अन्तिम निबटारा किया ;

(ख) कितने मामलों में करदाताओं ने आय कर अधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध अपील की ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) आंध्र प्रदेश के विभाग के ३० जून, १९६३ के करदाताओं से कुल कितनी राशि वसूल करनी थी ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रखी जाएगी ।

स्वर्णकारों के लिए रोजगार की व्यवस्था

†२१७०. श्री इ० मधुसूदन राव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश के कारण अपने धंधे से निकाले गये स्वर्णकारों को रोजगार पाने में सहायता देने के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी राशि दी गई ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : स्वर्ण नियंत्रण आदेश के कारण बेरोजगार हुए स्वर्णकारों को पुन: रोजगार दिलाने के संबंध में राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये ऋणों की राशियां निम्नलिखित हैं :—

	रुपये (लाखों में)
१. गुजरात	७०
२. केरल	१०
३. असम	७.५०
४. मध्य प्रदेश	१५.००
५. मद्रास	७.४६
६. आंध्र प्रदेश	२०.००
७. मैसूर	१५.००
८. पंजाब	१०.००
९. उत्तर प्रदेश	२०.००
	१७४.९६

चोरी छिपे लाये गये हीरे

†२१७१. श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि सीमा शुल्क निवारक विभाग को बम्बई के एक बैंक के एक क्वाटर में २१,३६,००० रुपये के चोरी छिपे लाये गये हीरे मिले हैं ;

(ख) क्या कलकता के जिस व्यापारी के नाम वह लाकर था उसे प्रेसीडेंसी मेजिस्ट्रेट ने दण्ड दिया है ; और

(ग) क्या दूसरे बैंकों में लाकरों की वस्तुओं की जांच करने का विचार है ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :(क) नहीं श्रीमान । किन्तु बम्बई के सीमा शुल्क अधिकारियों ने बम्बई के एक बैंक के लाकर में २,३६,००० रुपये के हीरे पकड़े हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) हां, श्रीमान् । इस से सम्बन्धित कलकत्ता के एक व्यापारी को मजायब १० न्यायालय के दण्डाधिकारी ने समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा १६७(८१) के अन्तर्गत १ वर्ष कठोर कारावास और २००० रुपये का जुर्माना या ६ मास कठोर कारावास की सजा दी है ।

(ग) अन्य जगहों की तरह सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १०५ के अधीन विशेष परिस्थितियों में अर्थात् यदि उपयुक्त अधिकारी को विश्वास हो कि लाकर में ऐसी वस्तुएं या काग़ज़ छिपा कर रखे गए हैं जो उसके विचार में ज़ब्त किये जा सकते हैं या किसी अभियोग में उपयोगी हो सकते हैं तो उनकी तलाशी ली जा सकती है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा दी गई पेशगियां

†२१७२. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जीवन बीमा निगम ने (१) भारत स्थित सम्पत्ति पर (२) भारत से बाहर की सम्पत्ति पर और (३) व्यक्तिगत ज़मानत पर जो पेशगियां दीं और जिनकी वसूली १९६१ के प्रतिवेदन के अनुसार संदेहजनक है उनका ब्योरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** जीवन बीमा निगम स जानकारी प्राप्त की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रखी जायेगी ।

केरल में बकाया आय-कर

†२१७३. **श्री अ० व० राघवन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के प्रत्येक सर्कल से ३१ मार्च, १९६३ को आय-कर की कुल कितनी राशि वसूल करनी बकाया थी ;

(ख) तब से कितनी राशि वसूल की गई है, और

(ग) बकाया कर की वसूली के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी):** (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रखी जायेगी ।

आय-कर अधिकारियों के लिये क्वार्टर

†२१७४. **श्री अ० व० राघवन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कोझीकोडे के आय-कर अधिकारियों के लिए क्वार्टर बनाने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी):** (क) वर्तमान संकट काल के कारण कोझीकोडे के आय-कर अधिकारियों के लिए क्वार्टर बनाने का काम स्थगित करने का निश्चय किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में होम्योपेथिक अस्पताल

†२१७५. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : गत पांच वर्षों में अब तक उड़ीसा के होम्योपेथिक अस्पतालों को कितनी और किस प्रकार की सहायता दी गई ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : होम्योपेथी शिक्षा संस्थाओं को ऊंचा स्तर का बनाने/और या सुधार और गवेषणा के लिए होम्योपेथी विकास के केन्द्रीय सहायता अनुदानों के रूप में दी जाती है। केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा या अन्य किसी सरकार को होम्योपेथी स्कूलों के लिए कोई अनुदान नहीं दिया।

उड़ीसा में चेचक और हैजा

†२१७६. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६३-६४ में उड़ीसा सरकार के चेचक और हैजे के उत्सादन के लिये कितनी और किस प्रकार की सहायता दी गई ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : चेचक

राष्ट्रीय चेचक निवारण कार्यक्रम के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रीय सहायता पद्धति के अनुसार भारत सरकार राज्य सरकारों के ७५ प्रतिशत आवर्तक और १०० प्रतिशत खर्च देती है।

राज्य सरकार इस कार्यक्रम पर कितना खर्च करेगी उस के आधार पर उपरोक्त पद्धति के अनुसार वित्तीय वर्ष में उड़ीसा राज्य को केन्द्रीय सहायता दी जायगी।

उड़ीसा सरकार ने अपने राज्य में १९६३-६४ में चेचक निवारण कार्यक्रम के लिये १०.७७ लाख रुपये का उपबन्ध किया है।

वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार योजना अनुसार निधि निर्धारित नहीं की जाती बल्कि प्रत्येक वर्ष के आखिर में छोटे वर्गों और योजनाओं के लिये सहायता अनुदान दिया जाता है। केन्द्र द्वारा निर्धारित वित्तीय वर्ष की सहायता का $^{1}/_{4}$ भाग वर्ष के दौरान नौ बराबर किश्तों में राज्य सरकारों को चुकता रूप में दिया जाता है।

उपरोक्त सहायता के अलावा उड़ीसा सरकार को जमी हुई चेचक वैक्सीन की ५४,९५,९२० खुराकें दी गई हैं। इस की कीमत लगभग ३,९४,८८२ रुपये है।

हैजा

हैजे के निवारण के लिये उड़ीसा सरकार को भारत सरकार ने कोई सहायता नहीं दी।

राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

†२१७७. **श्री घुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९६३-६४ और १९६४-६५ में राज्य में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) ३१-३-१९६३ को १६३ ।

(ख) १९६३-६४ .. २०

१९६४-६५ .. २०

राजस्थान में गुप्त रोगों के अस्पताल

†२१७८. **श्री धुनेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान में गुप्त रोग के कितने अस्पताल हैं; और

(ख) १९६३-६४ और १९६४-६५ में राज्य में गुप्त रोग के कितने अस्पताल खोलने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) इस समय राजस्थान में गुप्त रोग के कोई अस्पताल नहीं हैं किन्तु बीकानेर के पी. बी. एम. मेन अस्पताल, जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल, जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल और अजमेर के विक्टोरिया अस्पताल में गुप्त रोगों के उपचार की व्यवस्था है ।

(ख) राजस्थान सहित अन्य राज्य सरकारों ने यह सुझाव दिया था कि हर जिला स्थान पर एक गुप्त रोग अस्पताल खोलने का तथा तीसरी योजना के अन्त तक पूरा कर दिया जाय । राजस्थान सरकार ने यह सूचना दी थी कि धन की कमी के कारण तीसरी योजना में गुप्त रोग का अस्पताल खोलना संभव नहीं है ।

राजस्थान में केन्द्र द्वारा चलाई जाने वाली योजना

†२१७९. **श्री धुनेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में केन्द्र ने राजस्थान को केन्द्र द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के संबंध में कितनी सहायता दी और उस का स्वरूप क्या था; और

(ख) १९६३–६४ में कितनी राशि देने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) १९६२-६३ में केन्द्र ने राजस्थान की सरकार को केन्द्र द्वारा चलाई जाने वाली "स्वास्थ्य" योजनाओं के लिये सहायता अनुदानों के रूप में ११.८७ लाख रुपये की सहायता दी है ।

(ख) १९६३-६४ में इन योजनाओं के लिये सहायता अनुदान के रूप में राज्य को ३५.०६ लाख रुपये देने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में चेचक तथा हैजा

†२१८०. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ में केन्द्र ने राजस्थान सरकार को चेचक और हैजे के उन्मूलन के लिये कितनी सहायता दी और उस का स्वरूप क्या है; और

(ख) उसी अवधि में राजस्थान में कितने व्यक्ति इन रोगों से पीड़ित हुए ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख)—

चेचक

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के लिये निर्धारित केन्द्रीय सहायता के स्वरूप के अनुसार भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को ७५ प्रतिशत आवर्ती और १०० प्रतिशत अनावर्ती व्यय की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है ।

इस स्वरूप के अनुसार राजस्थान की सरकार को राज्य द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्यक्रम पर किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ।

राजस्थान की सरकार ने वर्ष १९६३–६४ के लिये राज्य के राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के हेतु १९.५० लाख रुपये का उपबन्ध किया है ।

प्रस्तुत प्रक्रिया के अनुसार निधि का आवंटन योजनावार नहीं किया जाता अपितु योजना के मोटे मोटे वर्गों और श्रेणियों के लिये प्रतिवर्ष वर्ष के अन्त में सहायता अनुदान की राशि मंजूर की जाती है। तथापि किसी वित्तीय वर्ष के लिये आवंटित केन्द्रीय सहायता का तीन चौथाई भाग वर्ष भर में नौ समान किश्तों में, एक मुश्त अर्थोपाय अग्रिम राशि के रूप में, राज्य सरकार को दे दिया जाता है ।

इस के अतिरिक्त चेचक के जमे हुए सूखे टीके की ७५,०३,५०० खुराकें राजस्थान की सरकार को मुफ्त दी गई हैं। इस का मूल्य लगभग ५,३९,१२६ रुपया है।

वर्ष १९६३ में, जनवरी से ३ अगस्त तक राजस्थान में २९७५ व्यक्तियों के रोग से पीड़ित होने की सूचना मिली है जिन में ५६१ रोगियों की मृत्यु हुई है।

हैजा

भारत सरकार ने हैजे के उन्मूलन के संबंध में राजस्थान की सरकार को कोई सहायता नहीं दी है ।

१९६३ में राजस्थान में हैजे का कोई मामला होने की सूचना नहीं मिली है।

अन्तर्राष्ट्रीय डाक पार्सलों में घड़ियां

†२१८१. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विश्व नाथ पांडेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सीमा-शुल्क अधिकारियों ने २० अप्रैल, १९६३ को लगभग ३,७५,००० रुपये के मूल्य की २९६० घड़ियां अन्तर्राष्ट्रीय डाक पार्सलों से बरामद की हैं जिन में कि कहा गया था कि छुरी-कांटे आदि हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) चालू वर्ष में अब तक अन्तर्राष्ट्रीय डाक पार्सलों से कितनी बार ऐसी वस्तुयें बरामद की गई हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) हां, श्रीमान् । तथापि १९, अप्रैल, १९६३ को इस मामले का पता लगा था ।

(ख) इस मामले से सम्बन्धित ५ संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था जिन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया । मामले की जांच की जा रही है ।

(ग) जनवरी से जुलाई, १९६३ तक की अवधि में ऐसे १६ मामलों का पता लगा है ।

टीके लगाने का कार्यक्रम

†२१८२. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा चेचक का टीका कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिये नियुक्त समिति ने इस कार्य को करने के हेतु एक विशेष दस्ता (स्कैवैड) की स्थापना करने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या समिति ने यह कहा है कि ईंटों के भट्टों, मजदूरों के कैम्पों और झुग्गियों में इस बीमारी के होने की बहुत अधिक संभावना है ;

(ग) उन्मूलन में सहायता पहुंचाने और आगामी संक्रमण का मौसम आरम्भ होने के पूर्व राजधानी के निवासियों को चेचक से रक्षा करने की दृष्टि से समिति ने और क्या सिफारिशें की हैं; और

(घ) निगम ने समिति के सुझावों को किस सीमा तक कार्यान्वित किया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख) हां ।

(ग) मूल्यांकन समिति द्वारा दी गई सिफारिशों संबंधी एक विवरण संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिय संख्या एल० टी० । १७९३/६३]

(घ) दिल्ली नगर निगम समिति द्वारा दी गई समस्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने के संबंध में उपयुक्त कार्यवाही कर रही है । उड़न दस्ते (फ्लाइंग स्क्वैड) में १५ टीका लगाने वाले और ३ टीका लगाने वाले निरीक्षकों के अतिरिक्त निगम ने अभियान में तीव्रता लाने के लिए अतिरिक्त ६५ टीका लगाने वाले और १३ टीका लगाने वाले निरीक्षक नियुक्त किये हैं ।

राष्ट्रीय बचत केंद्रीय सलाहकार बोर्ड

†२१८३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय बचत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय बचत, जिस में अनिवार्य जमा तथा अन्य संबंधित विषय सम्मिलित हैं, के संबंध में केन्द्र और राज्य संबंधी प्रचार-कार्य के लिये की जाने वाली व्यवस्था का निरीक्षण करने के हेतु एक स्थायी समिति की स्थापना की है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) समिति सभापति को, समय समय पर इस के सम्मुख प्रस्तुत किये गये विभिन्न विषयों पर सलाह देती है । समिति कोई औपचारिक प्रतिवदन प्रस्तुत नहीं करती । ८ जुलाई को हुई बैठक में समिति ने अन्य विषयों के साथ-साथ राज्य सरकारों को दी जाने वाले प्रचार संबंधी अनुदान, केन्द्र में और राज्यों में बचत अभियान, मुख्यतया डाकघर बचत बैंक, को लोकप्रिय बनाने के लिये किये जाने वाले प्रचार के स्वरूप के संबंध में भी विचार किया था ।

सरकारी इमारतों के किराये का बकाया

†२१८४. श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या निर्माण आवास और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई १९६३ को दिल्ली/नई दिल्ली की सरकारी इमारतों का कितना किराया किरायेदारों पर बकाया था ; और

(ख) सरकारी आवास के किरायेदारों से बकाया किराया वसूल करने के लिये कितने मामलों में मुकदमेबाजी की जा रही है ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) स्थिथि इस प्रकार है :

अवधि	निर्धारण (रुपये लाखों में)	१-७-६३ को बकाया किराये की राशि (रुपये लाखों में)
३१-३-१९६१ को समाप्त होने वाली अवधि	१९४५.७६	२३.८०
१९६१-६२ में	*१८०.९७	११.६१

(ख) ३३२ ।

चिकित्सकों की कमी

†२१८५. डा० रानेन सेन : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने १० वर्ष के अनुभव-प्राप्त अनर्ह चिकित्सा व्यवसायिकों की चिकित्सा संबंधी पंजीयन अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध करने की एक योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख): नहीं। वास्तविक स्थिति यह है कि भारत सरकार ने अनर्ह व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की चिकित्सा के कार्य में लगने से रोकने के लिये विधेयक का मसविदा तैयार किया है। अन्य बातों के साथ विधेयक में उन व्यक्तियों को पंजीवद्ध करने का भी उपवन्ध है जो अधिनियम के लागू किये जाने की तिथि से कम से कम १० वर्ष पहले से किसी भी चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत चिकित्सक के रूप में चिकित्सा कार्य कर रहे थे। इस विधेयक पर केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने अपनी जनवरी, १९५९ की बैठक में विचार किया था और बैठक में की गई सिफारिश के अनुसार विधेयक के मसविदे की एक प्रति राज्य सरकार और संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों के पास विचारार्थ भेज दी गई है।

आसाम में तापीय विद्युत यूनिट

†२१८६. **श्री प्र० के० देव:** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम की गारो पहाड़ियों में एक बड़ा तापीय विद्युत् युनिट बनाने का विचार है ;

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत और इसकी विद्युत् क्षमता क्या है ; और

(ग) यह कब से कार्य आरम्भ कर देगा ?

†सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) से (ग). नंगबलबिब्रा (गारोपहाड़ियों) में २ × ३० मेगावाट क्षमता के एक तापीय विद्युत केन्द्र को स्थापित करने की एक योजना दिसम्बर, १९६२ में मंजूर की गई थी, जिसकी अनुमानित लागत ७८० लाख रुपये थी। आसाम राज्य विद्युत् बोर्ड को जेनेरेटिंग यूनिटों के संबंध में निविदाय आमंत्रित करने का अधिकार भी दे दिया गया था। बाद में बोर्ड ने सुझाव दिया कि नंगबलबिब्रा के लिये मंजूर किये गये ३० मेगावाट यूनिट के स्थान पर गौहाटी में २ × १२.५ मेगावाट यूनिट का एक गैस टर्बाइन विद्युत केन्द्र स्थापित किया जाये। इस पर विचार किया जा रहा है। नंगबलबिब्रा विद्युत केन्द्र का पहला यूनिट १९६५–६६ की अंतिम तिमाही में चालू होना था। आशा है कि गाहाटी का प्रस्तावित गैस टर्बाइन विद्युत् केन्द्र १९६५ के प्रारम्भ में चालू हो जायेगा।

होम्योपेथी सलाहकार समिति

†२१८७. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ के बाद से होम्योपेथिक सलाहकार समिति ने कितनी बार बैठकें की और सरकार को परामर्श दिये ; और

(ख) १९५६ से किये गये अनुसंधान कार्य का ब्यौरा क्या है और संस्थानों अथवा निकायों के नाम क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) १९५६ से होम्योपैथिक सलाहकार समिति की १० बैठकें हुई हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिय संख्या एल० टी० १७७० / ६३]

पेय जल बोर्ड

†२१८८. डा० महादेव प्रसाद : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिये एक पेय जल बोर्ड की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्देश पद क्या हैं ; और

(ग) इसके सदस्य कौन हैं और उन के कब तक यह कार्य समाप्त करने की आशा है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) पेय जल बोर्ड के निर्देश पद इस प्रकार हैं :—

(१) प्रक्रिया संबंधी और प्रशासनिक कठिनाइयों को दूर करने के ध्येय से ग्रामीण जल संभरण योजनाओं में सुधार करने के उपायों के विषय में, राज्य सरकारों से विचार विमर्ष करना और उनको कार्यान्वित करने के लिये उपयुक्त व्यवस्था के संबंध में सुझाव देना ;

(२) ग्रामीण जल संभरण योजनाओं की क्रियान्विति के सबंध में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों में सम्पर्क स्थापित करना ;

(३) केन्द्रीय सरकार को उन के द्वारा किये जाने वाले कार्यों के विषय में सलाह देना ;

(४) ग्रामीण जल संभरण योजनाओं को, विशेषत: जल की कमी के और दुर्गम क्षत्रों में शीघ्रता से लागू करने में सहायता पहुंचाने के लिये हर संभव और आवश्यक कार्य करना ।

बाद में बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, नगरीय जल संभरण से संबंधित इसी प्रकार के कार्यों को भी अपने हाथ में ले सकता है।

(ग) बोर्ड का प्रस्तुत गठन इस प्रकार है :—

१. श्री बलवन्त रायमेहता—सभापति

२. श्री आर० मुरारका, संसद् सदस्य—सदस्य

३. श्री ज्ञान प्रकाश, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय.—सदस्य

४. श्री एन० वी० मोदक, सलाहकार इंजीनियर, बम्बई—सदस्य

५. श्री एस० राजागोपालन, उप-महानिदेशक (पी० पी० एच० ई०) : सदस्य सचिव ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों में पंखे

†२१८९. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों में पंखे लगाने की योजना समाप्त कर दी गयी है या अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) और (ख) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों में छत के पंखे लगाने की योजना मंजूर नहीं की गयी है। उसकी बजाये कर्मचारी टेबल पंखे खरीदने के लिये अब कर्ज ले सकते हैं।

पेंशन पाने वालों को मंहगाई भत्ता

†२१९०. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री २३ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ९६९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्य सरकारों ने पेंशन में अस्थायी वृद्धि करने की अनुमति दी है ;

(ख) कौन कौन सी राज्य सरकारें अस्थायी वृद्धि के लिये अनुमति नहीं दे सकी ; और

(ग) जो राज्य सरकार अस्थायी वृद्धि के लिये अनुमति नहीं दे सकीं उन्हें राजी कराने के लिये केन्द्रीय सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ; और

(घ) इस संबंध में राज्य सरकारों ने क्या कारण दिये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी):** (क) और (ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों के कर्मचारियों को राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार पेंशन अस्थायी बढ़ोतरी मिलती है। राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर केन्द्रीय सरकार का क्षेत्राधिकार नहीं होता। इसलिये इस मामले में केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सरकारी बस्ती, नागपुर

†२१९१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कठोल रोड, सरकारी बस्ती , नागपुर में जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के ५०० परिवार १९५८ में नयी दिल्ली से ले जाये गये थे, कोई स्कूल या बाजार चालू किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि सड़क पर रोशनी के लिये वहां के बाशिन्दों से पैसा लिया जाता है ; और

(ग) वह काम नगरपालिका को न सौंपे जाने के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी नहीं, लेकिन स्कूल और दुकानें बनाने के लिये दो भूमिखंड नगर निगम, नागपुर को सौंप दिये गये हैं।

(ख) जी हां, प्रत्येक मकान के लिये ५० न० पैसे से ७० न० पैसे का सामान्य मासिक किराया लिया जाता है।

(ग) नगर निगम नागपुर ने सड़क पर रोशनी लगाने का काम अभी तक अपने हाथ में नहीं लिया है क्योंकि नागपुर इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कम्पनी के साथ कुछ बातों का फैसला नहीं हुआ है।

'पी' ब्लाक के भूतपूर्व दुकानदार

†२१९२. श्री यशपाल सिंह : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पी ब्लाक के भूतपूर्व दूकानदार दूसरी दूकानों में इस कारण ले जाये गये थे कि पी ब्लाक की दूकानें गिरादी जाने वाली थीं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन दूकानदारों को यह आश्वासन दिया गया था कि दूसरी जगह उन्हें दूकानें दिये जाने से पहले विभिन्न मुहल्लों के लिये उनकी दिलचस्पी का पता लगाया जायेगा ;

(ग) क्या उन्हें यह भी आश्वासन दिया गया था कि उन्हें दी गयी नयी दूकानों के लिये उतना ही किराया देना पड़ेगा जो वे 'पी' ब्लाक की अपनी दूकानों के लिये दे रहे थे ; और

(घ) यदि हां, तो विभिन्न बस्तियों में उन दूकानदारों से अधिक ऊंचे किराये लेने के क्या कारण हैं ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) वह एक अस्थायी बाजार के तौर पर बनाया गया था।

(ख) नागपुर, एन्ड्रीजगंज और श्रीनिवासपुरी में जहां उस समय दूकानें उपलब्ध थीं, दूकानें दी गयी थीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सफदरजंग और विलिंगडन अस्पताल

†२१९३. श्री स० मो० बनर्जी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, १९६३ के दूसरे सप्ताह में कितने रोगियों को विलिंगडन अस्पताल से सफदरजंग अस्पताल, नयी दिल्ली में इस कारण ले जाया गया कि वहां शय्यायें उपलब्ध नहीं थीं और उनमें से कितने रोगियों की मृत्यु हो गयी ;

(ख) क्या विलिंगडन अस्पताल के कैजुएल्टी विभाग ने सफदरजंग अस्पताल में ले जाये गये उन रोगियों को संकटकालीन प्राथमिक उपचार सहायता नहीं दी थी और वे उसी अवधि में मर गये थे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो विलिंगडन अस्पताल के कैजुएल्टी विभाग के जिन कर्मचारियों ने संकट-कालीन प्राथमिक उपचार सहायता नहीं दी उनके विरूद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) एक।

(ख) रोगियों को संकटकालीन प्राथमिक उपचार सहायता दी गयी थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई कार फर्म

†२१९४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय प्रवर्तन निदेशालय के पदाधिकारियों ने अभी हाल में बम्बई की कारों की एक फर्म पर छापा मारा था ;

(ख) यदि हां, तो उस फर्म का क्या नाम है ;

(ग) उस फर्म पर क्या-क्या अभियोग लगाये गये हैं ; और

(घ) क्या उस पर मुकदमा चलाया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी हां। प्रवर्तन निदेशालय के पदाधिकारियों ने कारों का व्यापार करने वाली कम्पनी के बम्बई तथा कलकत्ता स्थित कार्यालयों की अभी हाल में तलाशी ली थी।

(ख) और (ग). अभी इस मामले की जांच पड़ताल हो रही है। इसलिये इस दशा में उस फर्म का नाम या और दूसरे ब्यौरे बताना उचित नहीं होगा।

(घ) अभी तक कोई मुकदमा नहीं चलाया गया है।

झूठी "रक्त बैंक और अनुसन्धान संस्था"

†२१९५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की सक्रिय सहायता और परामर्श से "रक्त बैंक और अनुसंधान संस्था" के नाम से चलायी जा रही एक झूठी संस्था द्वारा धोखे से अनेक रेफ्रीजेरेटर खरीदे जाने और रेफ्रीजेरेटरों का व्यापार करने वाली अनेक फर्मों को धोखा दिये जाने का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन आरोपों के बारे में विभागीय जांच की गयी है और यदि हां, तो इस समय जांच पड़ताल किस दशा में है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). यह सच नहीं है कि रक्त बैंक और अनुसंधानशाला सरकारी कर्मचारियों की सक्रिय सहायता और परामर्श से चलायी जा रही थी। उपयुक्त संगठन पर लगाये गये आरोपों की जांच पड़ताल विशेष पुलिस प्रतिष्ठान कर रहा है। इसलिये इन आरोपों के संबंध में कोई विभागीय जांच नहीं हो रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मैकलिग्रोड एण्ड कम्पनी

†२१९६. **श्री उमानाथ :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स मैकलिग्रोड एण्ड कम्पनी द्वारा कम मूल्य के बीजक बनाये जाने के कारण अभी हाल में उस पर २२$^{1}/_{2}$ लाख रुपये का जो जुर्माना किया गया है क्या उस कम्पनी ने उसे देने की असमर्थता प्रकट की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) कुल १७,०१,५०० रुपये (न कि २२$^{1}/_{2}$ लाख रुपये) का जुर्माना मेसर्स मैकलिग्रोड एंड कम्पनी पर लगाया गया था। उन्होंने प्रशुल्क अधिनियम की धारा १२८ के अधीन अपील दायर की है और अर्ज किया है कि अपील का फैसला होने तक जुर्माने की रकम की वसूली न की जाये। उन्होंने लगभग पूरी रकम की गारण्टी या और दूसरी जमानत देना मंजूर कर लिया है।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है। प्रशुल्क अधिनियम की धारा १४२ में जुर्माने की वसूली के लिये आवश्यक शक्तियां दी गयी हैं।

सरकारी बस्तियों में नालियों की प्रणाली

†२१९७. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी की कुछ सरकारी रिहायशी बस्तियों में नालियों की प्रणाली काफी खराब पायी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो खराबी ठीक करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और दिल्ली निगम के बीच कुछ मतभेद के कारण खराबियों को दूर करने के काम में देर हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और मतभेद दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (घ) . सामान्यतया सरकारी बस्तियों में नागरिक सेवाओं की व्यवस्था जिनमें नालियों की प्रणाली शामिल है, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग स्थानीय निकायों की आवश्यकताओं के अनुसार करता है। वे पूरी हो जाने पर संबंधित स्थानीय निकाय को सौंप दी जाती हैं। कभी कभी स्थानीय निकायों की यह धारणा होती है कि नालियों की प्रणाली आदि में कुछ कमियां हैं। इन कमियों को दूर करने में विलम्ब समाप्त करने के लिये यह निश्चय किया गया है कि वह सेवायें पूरी हो जाने पर स्थानीय निकाय उन्हें तुरन्त अपने हाथ में ले लें, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों और संबंधित स्थानीय निकाय के द्वारा संयुक्त निरीक्षण की व्यवस्था की जाये और यदि कोई कमी हो तो वह केन्द्रीय लोक

†मूल अंग्रेजी में

निर्माण विभाग द्वारा या स्थानीय निकाय द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के खर्चे से दूर की जाये ।

अधिक समय तक काम करने का भत्ता

†२१९८. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों में प्रत्येक मंत्रालय के सचिवालय में काम करने वाले कमचारियों को अधिक समय तक काम करने के भत्ते के भुगतान पर केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी रकम खर्च की ;

(ख) क्या उस विषय से सम्बन्धित संशोधित नियम लागू किये जाने के बाद इस मद में और अथवा देर की डयूटी की आवश्यकता के अधीन खर्च काफी बढ़ गया है; और

(ग) यदि हां तो क्या सरकार ने उसके कारणों की छानबीन की है ?

वित्त भंत्री श्री ति० त० कृष्णमचारी : (क) से (ग) .जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

स्टाफ कारें

†२१९९. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या वित्त मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में कुल कितनी-कितनी स्टाफ कारें हैं ; और

(ख) पिछले दो साल में उनकी खरीद, उनके रखरखाव और पेट्रोल पर कुल कितना खर्च हुआ ?

†**वित्तमंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**:(क) और (ख). आवश्यक जानकारी विभिन्न मत्रालयों/विभागों से इकट्ठी की जा रही है और तैयार हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

होजियरी माल पर बिक्री कर

†२२००. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के व्यापारी प्रतिनिधियों ने दिल्ली के होजियरी माल पर से बिक्री कर हटा लेने के लिए अभ्यावेदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) जी हां ।

(ख) इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के आयुर्वेद तथा यूनानी बोर्ड का रजिस्ट्रार

२२०१. श्री अ० प्र० सिंह :
श्री कछवाय :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के आयुवद तथा यूनानी बोर्ड के रजिस्ट्रार ने कुछ चिकित्सकों को बिना रजिस्ट्रशन शुल्क के रजिस्टर किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ चिकित्सकों से शुल्क ले कर उसे बोर्ड के हिसाब में नहीं दिखाया गया ;

(ग) क्या उसी रजिस्ट्रार ने चिकित्सकों के प्रार्थनापत्रों पर, जो डिग्री प्राप्त करने के सम्बन्ध में थ, गलत नोट दे कर बोर्ड को धोखा दिया और उसी के आधार पर उन चिकित्सकों को डिग्री मिल गई, जो अवैध थी ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उस रजिस्ट्रार के खिलाफ कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) से (घ). यह आरोप लगाया गया है कि दिल्ली के आयुर्वेद तथा यूनानी बोर्ड के भूतपूर्व रजिस्ट्रार न बहुत सी अनियमिततायें की हैं। दिल्ली प्रशासन इन आरोपों की जांच कर रहा है तथा कानूनी कार्यवाही का प्रश्न विचाराधीन है । रजिस्ट्रार की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं।

केरल में चेचक उन्मूलन

†२२०२. **श्री प० कुन्हन** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केरल राज्य में चेचक उन्मूलन कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए केरल सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी सहायता दी गयी है ; और

(ग) उस राज्य में चेचक उन्मूलन कार्यक्रम कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वस्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) और (ख). भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रीय सहायता के ढांचे के अनुसार, भारत सरकार ७५ प्रतिशत आवर्त्तक व्यय और १०० प्रतिशत अनावर्त्तक व्यय राज्य सरकारों को वापस दे देती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस ढांचे के अनुसार केरल सरकार १९६१-६२ और १९६२-६३ के लिए निम्न-लिखित केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने की हकदार थी :—

	किया गया कुल खर्च	केन्द्रीय सहायता
	रु०	रु०
आवर्त्तक . . .	९,६४,५१९	७,२३,३८९
अनावर्त्तक . . .	२,०२,६७९	२,०२,६७९
		९,२६,०६८

इसके अलावा, रूस से दान के रूप में प्राप्त चेचक के जमे हुए सूखे ३८,३९,००० टीके भी केरल राज्य को सप्लाई किये गये हैं। उन टीकों का मूल्य २,७९,४२५ रुपये है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ बाल सहायता निधि ने २ डीप फ्रीज कैबिनट, ५ रेफ्रिजरेटर और ५ मेगा माइक केरल राज्य को निःशुल्क दिये हैं।

(ग) लगाये गये टीकों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

प्राथमिक टीके	६,१५,१५१
दोबारा लगाये गये टीके	५२,२९,३४५
कुल	५८,४४,४९६

केरल में राष्ट्रीय रक्षा कोष का संग्रह

†२२०३. **श्री प० कुन्हन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में राष्ट्रीय रक्षा कोष से अब तक कुल कितनी रकम इकट्ठी हुई है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कुल कितना खर्च किया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** (क) १८४.३४ लाख रुपया।

(ख) ३५,७५६ रुपया।

तिब्बिया कालेज, नई दिल्ली

२२०४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पीछे तिब्बिया कालेज, नई दिल्ली के छात्रों ने प्रदर्शन और हड़ताल की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बार-बार अधिकारियों के पास अपनी मांग उन्होंने की और उनकी ओर से कोई अनुकूल उत्तर न मिलने पर ही उनको यह मार्ग अपनाना पड़ा ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) छात्रों की मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं, और उन्हें पूरा करने के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) (क) तिब्बिया कालेज के छात्रों ने अगस्त, १९६३ में तीन प्रदर्शन किये किन्तु हड़ताल नहीं की।

(ख) इस बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ग) मुख्य मांगें इस प्रकार हैं :—

(१) कालेज को दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना ; और

(२) रात्रि कक्षाओं को बन्द करना।

तिब्बिया कालेज बोर्ड ने कालेज को दिल्ली विश्विद्यालय से सम्बद्ध करने का निर्णय कर लिया है। बोर्ड ने अगले साल अर्थात् १९६४–६५ से रात्रि कक्षाओं में भरती बन्द करन का भी निश्चय कर लिया है।

केरल में बाढ़ नियंत्रण योजनायें

†२२०५. { **श्री पट्टेकाट्ट :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने उन बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को ब्यौरा बनाया है जिन्हें वह १९६३ में आरम्भ करने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो हर जिले के सम्बन्ध में उन योजनाओं का क्या ब्यौरा है ;

(ग) उस सम्बन्ध में 'केन्द्रीय' सरकार का क्या विचार है ; और

(घ) अभी तक कितनी रकम मंजूर की गयी है और कितनी रकम खर्च की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ला० राव)**: (क) और (ख). केरल सरकार जिन बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को १९६३–६४ में कार्यान्वित करने वाली है, उनका ब्यौरा बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-१७७१।६३**]

(ग) और (घ). १९६३–६४ में केरल राज्य में बाढ़ नियंत्रण से सम्बन्धित निर्माण कार्यों के लिए योजना में १२ लाख रुपया रखा गया है। सभी स्वीकृत योजनाओं के लिए आयोजना के अधीन सहायता की जा सकेगी। इन योजनाओं पर खर्च की प्रगति सम्बन्धी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है।

दिल्ली में रेडियोग्राफरों के लिये प्रशिक्षण पाठयक्रम

२२०६. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में २ सितम्बर, १९६३ से रेडियोग्राफरों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चालू हो गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने रेडियोग्राफर भाग ले रहे हैं ;

(ग) इन को क्या क्या सुविधायें दी जायेंगी ;

(घ) इसमें कितने विदेशी और कितने भारतीय नागरिक हैं; और

(ङ) क्या यह आयोजन सरकार की तरफ, से किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां। एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ३ सितम्बर, १९६३ से प्रारम्भ हो गया है।

(ख) ६ ।

(ग) प्रत्येक चुने गये उम्मीदवार को ६० रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है ।

(घ) सभी भारतीय हैं।

(ङ) जी हां। यह व्यवस्था दिल्ली प्रशासन ने की है।

स्वास्थ्य सेवाओं में महानिदेशालय का पुस्तकालय

२२०७. **श्री कछवाय** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय के पुस्तकालय की पुस्तकों की पिछले दस वर्षों में कितनी बार जांच-पड़ताल की गई है ;

(ख) कितनी पुस्तकें लापता थीं; और

(ग) इस से सरकार को कितना नुकसान हुआ है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय के पुस्तकालय की पुस्तकों की जांच-पड़ताल पुस्तकालय में ही होती है और वह इस प्रकार होती है :—

जब कभी किसी विषय की कोई ग्रंथ-सूची तैयार की जाती है तो उस समय पुस्तकालय के सूचीपत्र में दी गई सभी पुस्तकों, पत्रों, प्रतिवेदनों तथा अन्य सामग्री की जांच की जाती है। पिछले १० वर्षों में ३०० विषयों की लगभग १००० ग्रन्थ-सूचियां तैयार की गई हैं।

"भारतीय पुस्तकालयों में चिकित्सा सम्बन्धी पत्रों के संघीय सूची-पत्र" के पंचवर्षीय पुनरीक्षण के समय पुस्तकालय के सारे पत्रों की जांच की जाती है। पत्रों की जांच पीछे १९५५ और १९६२ में की गई थी।

(ख) लापता २

बट्टे खाते में २

(ग) इन चार पुस्तकों की कीमत २१० रुपये (दो सौ दस रुपये) है।

स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालव में पुस्तकाध्यक्ष

२२०८. **श्री कछवाय** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय के पुस्तकालय में ग्रेड १ एवं ग्रेड २ पुस्तकाध्यक्ष के कितने पद हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन में से कितने पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिए रक्षित हैं; और

(ग) वास्तव में इन जातियों के क्या कोई व्यक्ति इन पदों पर काम कर रहे हैं या इन रक्षित पदों को आरक्षित करा लिया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :

(क) ग्रेड— १—एक पद

ग्रेड— २—चार पद

(ख) ग्रेड— २—दो पद, एक अस्थायी और एक स्थायी, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिमजातियों के व्यक्तियों के लिये रक्षित हैं।

(ग) इन पदों पर कोई अनुसूचित जाति/आदिमजातियों का व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। इन जातियों का कोई उपयुक्त व्यक्ति मिलना सम्भव नहीं हुआ है इसलिये अस्थाई रक्षित पद को आरक्षित मान लिया गया है।

बिहार में विद्युत सम्भरण

†२२०९. **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर बिहार में दक्षिण बिहार की तुलना में बिजली का संभरण कैसा है; और

(ख) उत्तर बिहार में बिजली के कम संभरण की वर्तमान हालत को दूर करने के लिये क्या प्रस्ताव है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) उत्तर और दक्षिण बिहार में इस समय बिजली की बड़ी कमी है। दक्षिण बिहार में बिजली की कमी १९६४–६५ में पथराई तापीय विद्युत् केन्द्र के चालू होने तथा दामोदर घाटी से अधिक बिजली मिलने पर दूर हो जाएगी। उत्तर बिहार की स्थिति में १९६५–६६ में ही सुधार होना आरंभ होगा।

(ख) बेरोनी तापीय विद्युत् केन्द्र में सितम्बर / अक्तूबर, १९६३ में २+१५ मैगावाट, दिसम्बर, १९६४ में १५ मैगावाट और १९६५–६६ में २+५० मैगावाट के जनेरटिंग सेट चालू करने पर बिजली की कमी धीरे धीरे दूर हो जायगी।

भूमि कटाव और भूमि संरक्षण

†२२१०. **श्री हेम राज** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के जिन जलामय क्षेत्रों में से सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव, झेलम और सिन्धु नदियां गुजरती हैं उन का क्षेत्र कितना है;

(ख) केन्द्र ने इन क्षेत्रों में भूमि संरक्षण और भूमि कटाव को रोकने के लिये विविध राज्य के सहयोग और समन्वय के लिए क्या कार्यवाही की हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) तीसरी योजना में इस काम के लिये कितना धन नियत किया गया है और तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में कितना धन खर्च किया गया है ?

†सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नोटों पर राजनीतिक नारे

†२२११. श्री डी० चं० शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नोटों पर राजनीतिक नारों के छापे जाने के कोई मामले सरकार के ध्यान में आये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्योरा क्या है ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) १० रुपये के दो नोट, २ रुपये के एक, और एक रुपये के एक नोट पर तामिल का डी० एम० के० का नारा "द्रवड़ों के लिये द्रविड़नाड' सितम्बर और नवम्बर १९६२ के बीच रिजर्व बैंक के पडार कार्यालय में पेश किये गये थे।

एगमार्क के लिये प्रयोगशला

†२२१२. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एगमार्क के लिये प्रयोगशाला स्थापित करने के सम्बन्ध में दिल्ली नगरपालिका निगम की चिकित्सा सहायता और सार्वजनिक स्वास्थ्य समिति से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ग) इस से खाद्य पदार्थों की स्वच्छता की गारंटी किस प्रकार होगी ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया।

तथापि यह समझा जाता है कि दिल्ली में तथा इर्द गिर्द बनाई गई खाद्य वस्तुओं के एगमार्क के लिये एक पृथक् रेकार्ड स्थापित करने का प्रश्न, दिल्ली नगरपालिका निगम के विचाराधीन है, ताकि खाद्य पदार्थों का गुण प्रकार अच्छा रहे।

विदेशी ऋण

†२२१३. श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी ऋण दाताओं को कितनी राशि का भुगतान करना शेष है, और किस तारीख को रकम बकाया थी ;

(ख) १९५९ से लेकर प्रति वर्ष विदेशी ऋण पर कितना ब्याज देना पड़ता है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि दायित्व का भुगतान की कोई योजना बनाई गई है तो वह क्या है ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० १७७२/६१]

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें १९५९–६० से १९६२–६३ तक दिये गए बयाज की राशि और योजना अवधि शेष वधि में विदशों से लिये गये ऋणों पर दिये जान वाले ब्याज का अनुमान दर्शाया गया है।

विवरण

अवधि	प्रदत्त/प्रदत्त होन वाले ब्याज की मात्रा (करोड़ों रुपयों में)
१९५९–६०	१०.०२
१९६०–६१	१७.३८
१९६१–६२	२६.४८
१९६२–६३	३६.०९
१९६३–६४	४९.९१*
१९६४–६५	५७.८१*
१९६५–६६	६३.०१*

*अनुमानित

(ग) इस बात के लिये प्रबंध किये गये हैं कि विभिन्न दरों का मूलघन और ब्याज के भुगतान की किस्तें विभिन्न दशों को, जब हों, दे दी जाएं।

आयकर सर्किल

†२२१४. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर जिला आयकर सर्किल, जबलपुर के 'सी' वार्ड में शामिल किया गया है।

(ख) क्या इसको जबलपुर से सागर बदलने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इसके विरोध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और

(घ) यदि हां, तो क्या उन पर विचार किया गया है और क्या परिणाम निकले हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) 'सी' वार्ड के कुछ क्षेत्रों को अन्य सर्किलों में जोड़ने पर विचार किया गया था।

(ग) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) अभ्यावदनों पर समुचित रूप से विचार किया गया था। नरसिंहपुर जिला जबलपुर के आयकर सर्किल में ही है। परिवर्तन इतना हुआ है कि आयकर अधिकारी-सी वार्ड, जबलपुर के अधीन होने के स्थान पर यह अब आयकर अधिकारी अतिरिक्त 'ए' वार्ड, जबलपुर के अधीन होगा।

तवा बहु-प्रयोजनीय परियोजना

†२२१५. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तवा बहु-प्रयोजनीय परियोजना, होशंगाबाद मध्य प्रदेश का कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब निष्पादित होगा; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव):** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) राष्ट्रीय संकट स्थिति के कारण धन की कमी से काम की गति धीमी हो गई है।

अखिल भारतीय स्वच्छता तथा लोक स्वास्थ्य संस्था, कलकत्ता

†२२१६. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता की अखिल भारत स्वच्छता तथा लोक स्वास्थ्य संस्था में नियोजित कई डाक्टरों के मामलों में वतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन क्रम में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस विषय में अंतिम निर्णय किया जा रहा है और सम्बन्धित व्यक्तियों को इसकी अविलम्बनीय सूचना दे दी जायेगी?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) अखिल भारतीय स्वच्छता तथा लोक स्वास्थ्य संस्था, कलकत्ता के सब पदों के बारे में नये वेतन क्रम भारत के गजट में अधिसूचित कर दिये गये हैं। इनमें निम्नलिखित पद नहीं हैं :—

(१) फील्ड इंस्ट्रक्टर

(२) स्वास्थ्य के ग्राम्य चिकित्सा अधिकारी

(३) असिस्टेंट मेडिकल आफिसर

(४) स्कूल मेडिकल आफिसर

(५) लेडी मेडिकल आफिसर

(६) टक्नीकल सुपरवाइजर

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) और (ग) उपरोक्त पदों के वेतन क्रम में परिवर्तन भी नहीं किया गया है क्योंकि इन पदों की स्वीकृति पश्चिम बंगाल सरकार के वेतन क्रम पर की गई थी अथवा इन पदों के रिक्त होने के कारण वेतनक्रम पर पुनर्विचार के प्रस्ताव पहले नहीं किये गये थे। अब इस दिशा में नवीन प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हो गये हैं और वेतन क्रमों पर शीघ्र विचार किया जायगा तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को तदनुसार सूचित कर दिया जायगा।

घग्गर में बाढ़

†२२१७. **श्री कर्णीसिंह जी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नाली बाढ़ के लिये स्थायी हल ढूंढ़ने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** सिंचाई तथा विद्युत् के केन्द्रीय मंत्री और पंजाब और राजस्थान के सम्बन्धित मंत्री तथा भारत सरकार और दोनों राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने १३ और १४ सितम्बर, १९६३ को बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी कुछ कार्यों की प्रगति और घग्गर नदी में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इसके स्थायी हल के उपाय ढूंढ़ने के लिये गहन अध्ययन किया जा रहा है।

प्राथमिक शिक्षकों को स्वास्थ्य शिक्षा

२२१७. **श्री ओंकारलाल बेरवा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने प्राइमरी स्कूलों के ३० शिक्षकों को स्वास्थ्य प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है ;

(ख) क्या यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राज्यों में भी चालू करने की योजना है ;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) इस योजना पर कितना व्यय होगा?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय के केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरों में प्राइमरी स्कलों के ३० शिक्षकों के लिए २ सितम्बर, १९६३ से एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया गया है और यह १ अक्तूबर १९६३ तक जारी रहेगा ।

(ख) और (ग). इस समय चल रहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के पूर्ण होने के बाद राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो और शिक्षा विभागों के अध्यापकों और कर्मचारियों के लिए एक दूसरा अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने का विचार है, जो अपने प्रशिक्षण की पूर्ति के बाद अपने अपने राज्यों में इसी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के योग्य हो जायेंगे ।

(घ) अनुमान है कि इस समय चल रहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संचालन पर ४२०० रुपये की राशि खर्च हो जायेगी। अन्य पाठ्यक्रमों पर होने वाले खर्च का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

चीन में रहने वाले भारतीयों के साथ किया गया कथित अमानवीय व्यवहार

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी): मैं प्रधान मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें:—

"चीनी अधिकारियों द्वारा चीन में रहने वाले भारतीयों के साथ किया गया कथित अमानवीय व्यवहार ।"

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इस समय चीन में २७ भारतीय हैं। इनमें से ज्यादातर शंघाई में रहते हैं और अधिकांश पंजाब के सिक्ख हैं तथा पिछले ३०—४० साल से चीन में हैं। इन २७ में से १९ तो डेरी का काम करते हैं। किसी का काम छोटा है किसी का बड़ा । किसी के पास २—३ गायें तो किसी-किसी के पास ४०—४५ तक; ४ व्यक्ति वहां के स्थानीय दफतरों में काम करते हैं। एक व्यापारी है जो कि एक लम्बे अर्से से अपनी पत्नी और पुत्र के साथ मिलकर किराने की दुकान कर रहा है। लेकिन स्थानीय पाबंदियों की वजह से पिछले ५ साल में वह किसी तरह का व्यापार नहीं कर पाया है।

चीन में कोई निजी उद्योग नहीं है और सरकार ही एक-मात्र खरीदार है। इस कारण जो भारतीय वहां डेरी का काम कर रहे हैं उन्हें अपने रोजाना के काम में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें मजबूरन अपना माल और ढोर सरकारी एजन्सियों के हाथ ही बेचने पड़ते हैं जिनका कि डेरी उत्पादों पर नियंत्रण है और जिन्होंने कि चीजों के दाम निश्चित कर रखे हैं। इससे स्वाभाविक ही वे मुश्किल में पड़ गए हैं। इस तरह से भारतीयों ने जितनी रकम लगाकर ढोर खरीदें हैं वह काफी घट गई है।

पहले जब "बैंक आफ चाइना" भारत में काम कर रहा था तब चीन सरकार भारतीय राष्ट्रिकों को सीमित मात्रा में धन भारत भेजने की सुविधा देती रही थी। लेकिन, भारत में "बैंक आफ चाइना" की शाखाएं खत्म होने के साथ ही उसने यह सुविधाएं भी देने से इन्कार कर दिया। चीन सरकार उन्हें चीन से बाहर किसी भी बैंक के द्वारा रुपया भेजने की सुविधा नहीं देती।

इस प्रकार अब जो भारतीय चीन में हैं वह बहुत ही मुश्किल में हैं। हालांकि, चीनी यही दावा करते हैं कि भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। भारतीय भी चीन नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि वे अपनी सम्पत्ति नहीं बेच पा रहे हैं और चीन से अपनी सम्पत्ति को यहां ला भी नहीं पा रहे हैं। चीन से बाहर जाने का परमिट भी उन्हें आसानी से नहीं दिया जाता ।

शंघाई में हमारे प्रधान कोंसलावास के बंद हो जाने के बाद से इन भारतीयों के हितों की देखभाल पेकिंग-स्थित हमारा राजदूतावास कर रहा है। जुलाई १९६३ में हमारे राजदूतावास के प्रथम सचिव शंघाई गए थे और लगभग इन सभी लोगों से मिले थे । उन्होंने कुछ कौंसली

---

†मूल अंग्रेजी में

सेवाएं भी इन लोगों को अर्पित की थीं। पेकिंग-स्थित भारतीय राजदूतावास जहां कहीं भी मुमकिन होता है हर तरह से इन लोगों की सहायता करता है।

हमारे राजदूतावास को इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है जिसमें कि चीन में रहने वाले भारतीयों की सम्पत्ति जब्त कर लेने की अथवा उन्हें निर्धारित मात्रा में राशन और चिकित्सा आदि की सुविधाएं न दिए जाने की बात कही गई हो।

†**श्री हेम बरुआ** : भारतीयों को चीन में जब इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो क्या संसार को इस तथ्य से अवगत कराने और उन भारतीयों की वापिस भारत में लाने के लिय सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : चीन में मैं इस प्रकार का व्यहवहार केवल भारतीयों के साथ ही नहीं वरन सभी विदेशियों के साथ, यहां तक कि स्वयं चीनियों के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार हो रहा है। इसलिये संसार को बताने के लिये कोई नवीन बात नहीं है। मैं शायद वर्ष १९५४ में शंघाई में गया था। उस समय से पूर्व कुछ व्यक्ति तो लौट आये थे और शेष लौटना नहीं चाहते थे क्योंकि वह वहां पर व्यापार धन्दा करते थे। वह व्यापार अब कम हो गया है। अब कठिनाई यह है कि जो सम्पत्ति उन लोगों के पास वहां पर है वह उसे छोड़ना नहीं चाहते ; और कुछ लोगों ने चीनी स्त्रियों से विवाह कर लिया है। वह अपनी पत्नियों को भी शायद छोड़ना नहीं चाहते। इस के साथ ही साथ उन के लिय चीन सरकार से चीन देश छोड़ने का परमिट प्राप्त करना भी कठिन है। शायद यदि वह आने के लिये बहुत उत्सुक हों और अपनी सम्पत्तियों को पीछे छोड़ने को तैयार हों, तो परमिट उन्हें उपलब्ध हो भी जायें। धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो रही है। शंघाई में पहले सैकड़ों भारतीय थे परन्तु अब केवल २७ ही लोग वहां पर हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : क्या यह सच है कि तिब्बत से भारतीयों को पूर्णतया निकालने के पश्चात् अब शंघाई, केंटन आदि से भी उन को निकालने की चीन की योजना है और क्या चीन सरकार भारतीय दूतावास से भारतीयों का सम्पर्क नहीं होने देती ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि बहुत सी बातें जो माननीय सदस्य ने कही हैं वह या तो गलत हैं या वह बढ़ा चढ़ा कर कही गई हैं। माननीय सदस्य चीन में जो स्थिति है उसकी आलोचना कर सकते हैं। परन्तु मूल प्रश्न यह है कि भारतीयों के बारे में कोई विशेष कदम उठाये गये हैं अथवा नहीं। कोई विशेष कदम उठाये गये हैं इस का मुझे ज्ञान नहीं। परन्तु चीन में जो आय स्थिति है वह उन के लिये उपयुक्त नहीं है इसीलिये उन के कारोबार भी खो गये हैं। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है मैंने तो नहीं सुना कि कोई भारतीय हमारे दूतावास से सम्पर्क स्थापित करना चाहता हो और उस के मार्ग में रुकावट डाली गई हो। वह लोग शंघाई में हैं। पीकिंग में नहीं। जब हमारा वाणिज्य दूतावास वहां पर था तो वह उन लोगों से सम्पर्क बनाये हुए था। अब गत वर्ष से वह दूतावास वहां से हटा लिया गया था। तब से हमारा सचिव शंघाई जाता है उन लोगों को देखने के लिये। लोग पीकिंग में जा कर भी उन से मिल सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : * *

†**अध्यक्ष महोदय** : उस अंश को रिकार्ड में सम्मिलित न किया जाय। उन्होंने बोलने के लिय मुझसे अनुमति नहीं ली। इन माननीय सदस्य को मैंने पहले कई बार चेतावनी दी है उसके बावजूद भी वह खड़े हो कर बोलने लगते हैं।

एक बार पहले भी मुझे ऐसा ही करना पड़ा था। स्थगन प्रस्तावों के बारे में मुझे कई बार सभा में यही बात दुहरानी पड़ती है। जब एक सदस्य बिना मेरी अनुमति के प्रत्येक दिन और प्रत्येक सुबह बोलने लगते हैं तो मेरे पास यह कार्यवाही करने के अतिरिक्त और कोई उपचार नहीं रह जाता।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मुझे इस बात पर आपत्ति है। मुझे कभी चेतावनी नहीं दी गई। क्या हम यहां किसी उपचार की आशा नहीं रख सकते? आपात काल में केन्द्र की ओर से राज्यों को निदेश दिये जा सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। यह मेरा निर्णय है कि इस सभा के पास कोई उपचार नहीं है।

मैं आप को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। आप मेरे कक्ष में मुझ से मिल कर यदि विश्वास करा दें कि इस सभा के पास कोई उपचार है तो मैं आप को अनुमति दे सकता हूं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : बहुत कम अवसरों पर स्थगन प्रस्ताव सभा में लाये जाते हैं। यदि कोई ऐसा अवसर हो जब हम स्थगन प्रस्ताव लाना आवश्यक समझें तो क्या आप का यह विनिर्णय है कि हम उसे प्रस्तुत नहीं कर सकते।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां, यह मेरा विनिर्णय है। यदि स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिलती है और मैं उसकी अनुमति नहीं देता तो उसे तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक कि सदस्य मुझे सन्तुष्ट न करें। मैंने यह बात उन्हें कई बार बताई है और चूंकि वह इस बात पर आपत्ति करते हैं इसलियें मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैंने दो दर्जन से अधिक मामलों में उन्हें बताया है जब कि वह खड़े हुए हैं। मुझे खेद से कहना पड़ता है कि एक बार भी मुझे सन्तुष्ट करने के लिये मेरे पास नहीं आये।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के अन्तर्नियमों में संशोधन के बारे में एक वक्तव्य

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: मैं राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के अन्तर्नियमों में संशोधन के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १७६२ / ६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

**कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सीमा शुल्क अधिनियम, आदि के अन्तर्गत अधिसूचना

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) सभा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ७ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४४६ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० १७६३/६३।]

(२) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ७ सितम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १४४४ ।

(ख) दिनांक ७ सितम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १४४५ ।

(ग) दिनांक ७ सितम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १४४७ ।

(घ) दिनांक १० सितम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १४९३ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी। दे खिये संख्या एल० टी० १७६४ / ६३ ।]

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : श्री चे० रा० पट्टाभिरामन की ओर से मैं निम्न पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ४ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) उक्त अधिनियम को केन्टीनों पर लागू करने वाली दिनांक ३ अगस्त, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १२८५ ।

(२) उक्त अधिनियम को एयरेटड जल उद्योग पर लागू करने वाली दिनांक २९ अगस्त, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १४३२ ।

(३) उक्त अधिनियम को फल तथा सब्जी परिरक्षण उद्योग पर लागू करने वाली दिनांक १६ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७८६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २९ अगस्त, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १४६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० १७६५/६+६३।]

संसदीय समितियों के कार्यवाही सारांश

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की छठी बैठक के कार्यवाही—सारांश

†**श्री खाडिलकर (खेड)** : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की वर्तमान अधिवेशन में हुई छठी बैठक के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रजी में

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की चौथी बैठक के कार्यवाही --सारांश

†**श्री मोरारका** (झुनझुन) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की वर्तमान अधिवेशन में हुई चौथी बैठक के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, आश्वासनों सम्बन्धी समिति की कार्रवाई का चौथा जो विवरण श्री मोरारका ने सदन के पटल पर प्रस्तुत किया है। मैं इस के सम्बन्ध में आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं। इस आश्वासन सम्बन्धी समिति के सम्बन्ध में क्या कुछ ऐसी भी व्यवस्था है कि दो, दो, तीन-तीन सालों तक आश्वासन देते रहें और उनका कोई उत्तर न दिया जाय ? उदाहरण के लिय आप की ही अध्यक्षता में पिछले अधिवेशन में जब एक यह प्रश्न आया था तो उस समय आप ने होम मिनिस्टर को कहा था कि पिछले दो सालों में मिनिस्टरों का टी० ए० और डी० ए० कितना हुआ है वतनों के अतिरिक्त, इस का विवरण जल्दी से जल्दी सभा का दिया जाय। लेकिन आज तक उसे नहीं दिया गया। ढाई सालों से सरकार उसे टाल रही है। उस आश्वासन को कब तक पूरा किया जायेगा, इस सम्बन्ध में आप कोई निर्णय अवश्य दे दें ।

†**श्री मोरारका** : जहां तक इस समिति का सम्बन्ध है, यह प्रत्येक सभा में दिये गये आश्वासन पर विचार करती है और यह समय समय पर सम्बद्ध मंत्रालय को याद भी कराती है परन्तु आश्वासन को पूरा करना तो उन का काम है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : समिति फिर से इस मामले को ले और यह देखें कि यथासम्भव शीघ्र इसे पूरा किया जाता है।

लोक लेखा समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं वर्ष १९६१-६२ के लिये दामोदर घाटी निगम के लेखे सम्बन्धी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के बारे में लोक लेखा समिति का पन्द्रहवां' प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक १९६३—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा १८ सितम्बर, १९६३ को श्री अ० कु० सेन द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी, अर्थात् :—

"कि भारत के संविधान म अग्रेत्तर संशोधन करने वाले बिल को ४५ सदस्यों की दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें इस सभा के ३० सदस्य हों, अर्थात :—

श्री कृष्णमूर्ति राव, श्री विभूति मिश्र, श्री सचीन्द्र चौधरी, श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी, अ० क० गोपालन, श्री काशीराम गुप्त, श्री अन्सार हरवानी, श्री हेडा, श्री हेम राज, श्री अजित

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रसाद जैन, श्री कन्डप्पन, श्री कैप्पन, श्री लीलाधर कटकी, श्री ललित सेन, श्री महताब, श्री जसवन्तराव मेहता, श्री विभुधेन्द्र मिश्र, श्री पु० र० पटेल, श्री तु० अ० पाटिल, श्री प्र० ब० राघवन, श्री रघुनाथ सिंह, चौधरी राम सेवक, श्री भोला राउत, डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी, श्री म० प० स्वामी, श्री उ० मू०, त्रिवेदी, श्री राधेलाल व्यास, श्री बालकृष्ण वास्निक, श्री राम सेवक यादव और श्री अ० कु० सेन ।

और राज्य सभा के १५ सदस्य हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई, होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले अधिवेशन के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक रिपोर्ट देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले १५ सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।'

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर): क्या आप बता सकते हैं कि नेफा रिपोर्ट पर वाद-विवाद कब आरम्भ होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे आशा है कि इस विषय के समाप्त होते हुए उसे लिया जायगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता–दक्षिण–पश्चिम) : नेफा रिपोर्ट के लिये ५ घण्टे का समय रखा गया है । कल हमें गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेना होगा । इस सूरत में कल ५ घण्टे इस विषय को कैसे मिल पायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि सभा चाहे तो गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को शनिवार ले लिया जाय और कल नेफा रिपोर्ट के लिये ५ घण्टे का समय निश्चित कर दिया जाय।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर): गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को स्थगित करने की प्रथा नहीं डालनी चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि सभा में इस विषय पर मतभेद है तो मैं यही कहूंगा कि हम अनुसूचित कार्यक्रम के अनुसार ही कार्य करें।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट): मैं इस विधेयक को संयुक्त समिति के सुपुर्द करते के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । इस विधेयक का उद्देश्य उस नीति को कार्यान्वित करना है जो कांग्रेस ने स्वतंत्रता-प्राप्ति से भी पूर्व अपनाई थी। कांग्रेस ने वर्ष १९४६ के निर्वाचन घोषणापत्र में यह घोषित किया था कि वह राज्य और काश्तकार के बीच के मध्यवर्तियों को समाप्त करना चाहती है और कि भूमि केवल काश्तकार ही के पास रहनी चाहिय। सरकार की कृषि नीति को कार्यान्वित करने के लिये दो बार संविधान में संशोधन किया गया है । श्री रंगा सदैव ही कृषि संबंधी सुधारों के विरुद्ध रहे हैं और वह आज भी इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रंगा (चित्तूर): मैं तो मध्यवर्तियों को समाप्त करने के हक में रहा हूं परन्तु मेरा कहना केवल इतना है कि जो भू-स्वामी स्वयं काश्तकार है उस की सहायता करनी चाहिये परन्तु इस विधेयक का उद्देश्य वैसा नहीं है।

†श्री अ० चं० गुह: देश की ७५ से ८० प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है इसलिये कृषि संबंधी सुधारों में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये। कृषि संबंधी सुधार देश की सत्ता-प्राप्त सरकार के निर्णयों के अनुसार और देश के हित में होने चाहियें ।

यह आपत्ति करना कि सरकार कांग्रेस दल के निर्णयों के अनुसार ही काम करती है अनुचित है। कांग्रेस की घोषित नीति के अनुकूल ही सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए।

हम प्राय: देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली निर्धनता की चर्चा करते हैं। परन्तु उस निर्धनता को भूमि संबंधी सुधार लाकर ही हम समाप्त कर सकते हैं। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में तुरन्त सुधार न लाया जायें तब तक उस निर्धनता की बात करना अथवा उस पर आंसू बहाना फिजूल होगा ।

यह आरोप लगाना कि सरकार मनमाने ढंग से काम कर रही है सर्वथा सारहीन है क्योंकि इस विधेयक द्वारा सरकार केवल वैधानिक उपायों को संरक्षण दे रही है और भू सुधार संबंधी कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है ।

इस विधेयक में प्रतिकर संबंधी कोई उपबन्ध नहीं है । प्रतिकर तो प्रत्येक राज्य द्वारा वहां वर्तमान विधियों के अनुसार ही दिया जायगा । इसलिये श्री रंगा की प्रतिकर संबंधी आलोचना में भी बल नहीं है।

मैं नहीं समझ सका कि श्री रंगा का यह कहना कि इस से ६५० लाख किसान प्रभावित होंगे किस प्रकार सच है । जिन राज्य विधान सभाओं द्वारा विधान बनाये गये हैं वह कैसे इतनी बड़ी संख्या में किसानों के हितों की अवहेलना कर सकते हैं ।

राज्य सरकारों द्वारा जो विधान बनाये गये हैं उन के बारे में बहुत अधिक अनिश्चितता पाई जाती है । प्रस्तुत विधेयक द्वारा वह अनिश्चितता दूर हो जायगी । इसके अतिरिक्त यदि कोई राज्य वांछनीय समझे तो वह किसी भी अधिनियम का निरसन कर सकता है । ऐसी शक्ति राज्यों को संविधान के अन्तर्गत प्राप्त है ।

केरल सरकार द्वारा उन के अधिनियम को इस विधेयक की अनुसूची में शामिल करने पर आपत्ति की गयी है । परन्तु यह आपत्ति अनुचित है । उसी अधिनियम को संरक्षण देने के लिये यह विधेयक लाया गया है । वह अधिनियम काफी सोच विचार और परामर्श के पश्चात बनाया गया था । और अब उसे इस अनुसूची में शामिल न करने का आग्रह अनुचित है ।

यह सुझाव भी दिया गया है कि विधेयक को राय जानने के लिये परिचारित किया जाय। परन्तु मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता क्योंकि विधेयक को अभी संयुक्त समिति के सुपुर्द किया जा रहा है जहां सभी को अपने मत व्यक्ति करने का अवसर मिलेगा ।

इसलिये मैं प्रस्तुत विधेयक को संयुक्त समिति के सुपुर्द करने संबंधी प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन कुछ शर्तों के साथ करता हूं। इस विधेयक द्वारा कार्यपालिका को जो शक्तियां प्राप्त होंगी उनका प्रयोग छोटे छोटे किसानों को दबाने के लिये अनुचित तौर पर किया जा सकता है इसलिये मैं चाहता हूं कि या तो इस विधेयक का संशोधन कर के या किसी अन्य प्रकार से सरकार सभा को आश्वासन दे कि रायतबाड़ी तथा उन्हीं के समान अन्य किसानों के हितों का पूर्णतः ध्यान रखा जायगा। हम चाहते हैं कि छोटे छोटे किसानों को इस विधेयक के परिणामस्वरूप हानि न पहुंचाई जाय। स्वयं संविधान में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का वर्णन है। इन ९० प्रतिशत ग्रामीणों को यह न्याय अवश्य मिलना चाहिये।

स्वयं मंत्री महोदय ने कहा है कि संविधान में संशोधन राष्ट्रीय हित की दृष्टि से तथा सामाजिक परिवर्तन लाने के लिये किये जाने चाहियें। इसी सूत्र से मैं प्रस्तुत विधेयक के गुणावगुणों को लूंगा। प्रस्तुत विधेयक द्वारा संविधान का संशोधन कर के सरकार बड़ी सम्पदाओं, जमींदारी और तालुकदारी आदि को रायतवाड़ी के साथ समान स्तर पर लाना चाहती है। यह उद्देश्य स्पष्ट है। इस विधेयक के उपखंड (२) तथा (३) के अन्तर्गत किसी गरीब से गरीब किसान को भी अछूता नहीं छोड़ा गया। सरकार ने अपने दुष्ट हाथ प्रत्येक किसान के ऊपर रखे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि सतर्क संसद द्वारा अथवा जनता द्वारा हर प्रकार का प्रभाव डाल कर सरकार को किन्हीं समुचित परित्राणों का उपबन्ध करने पर मजबूर करना चाहिए। यदि कार्यपालक मनमाने ढंग से कार्य करेगा तो सामाजिक न्याय किसको मिलेगा। अनुच्छेद ३१ के अनुसार किसी भी सार्वजनिक कार्य के लिये भूमि का अधिग्रहण किया जा सकेगा और इस से कार्यपालक को यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह अनुचित प्रतिकर दे कर भूमि प्राप्त कर सकेगा।

संविधान सभा में जब इस विषय पर चर्चा हो रही थी उस समय वाद-विवाद बड़े वेशपूर्ण ढंग से हुआ था। यहां तक कि वित्त मंत्री ने वाक-आउट की धमकी दे दी थी। उस के पश्चात अनुच्छेद ३१ को अन्तिम रूप दे दिया गया। फिर इस अनुच्छेद का संशोधन हुआ। अब उसे अग्रेतर संशोधित किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य लोकतंत्रीय ढंग के समाजवाद की स्थापना करना है। हमें राज्य अथवा सरकार को एक अधिजमींदार नहीं बनाना है। यदि आप ५, १० अथवा १५ एकड़ से कम भूमि रखने वाले किसान को उसकी भूमि से वंचित करेंगे तो यह लोकतंत्रीय समाजवाद का सिद्धान्त नहीं होगा। रायतबाड़ी भूमि प्राप्त करने में आप के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होगी और जो प्रतिकर उस के लिये दिया जायगा वह अन्यायपूर्ण होगा।

रूस में भी इसी प्रकार छोटे काश्तकारों पर अत्याचार किया गया। स्टालिन के काल में लाखों किसानों को भूमि से वंचित कर दिया गया परन्तु उस के बावजूद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। यदि आप प्रस्तुत विधेयक को कार्यरूप देंगे तो आप अहिंसात्मक ढंग से छोटे किसानों को मिटा देंगे। इसलिये यह सभा जो लोक तंत्र के लिये वचनबद्ध है, देश के करीबतर लोगों के लिये परित्राणों के लिये अवश्य आग्रह करे।

माननीय मंत्री ने सदन का ध्यान भूमि सुधारों की ओर दिलाया है। हम निस्संदेह भूमि सुधार के पक्ष में हैं, किन्तु ये सुधार ऐसे उद्देश्य के लिये होने चाहियें जिन्हें संविधान में बताया गया है, हम धन के केन्द्रीकरण के विरुद्ध हैं, किन्तु यदि आप आर्थिक न्याय स्थापित

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरि विष्णु कामत]

करना चाहते हैं, तो हमें केवल ग्रामीण जनता पर नहीं, शहरी जनता पर भी हाथ डालना चाहिये। आप ने शहरी लखपतियों और करोड़पतियों के सम्बन्ध में क्या किया है? ग्रामीण और शहरी जनसंख्या में कोई विभेद नहीं करना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह भी बताते कि विभिन्न राज्यों में "सम्पदा" की कैसे परिभाषा की गई है।

अनुसूची में १४४ अधिनियम सम्मिलित किये गये हैं। इनको भूतलक्षी प्रभाव से ही वैध माना गया है और सदन को यह मालूम नहीं कि इस विधेयक में वास्तव में क्या है। अधिनियम संख्या ८६ को भी जिसे उच्चतम न्यायालय ने अवैध घोषित किया था, इन १४४ अधिनियमों की सूची में शामिल किया गया है। इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि उसको सोचना चाहिये कि क्या विधेयक छोटे किसानों के सम्पत्ति अधिकार को खतरे में नहीं डालता। मैं इस सम्बन्ध में मंत्री से आश्वासन चाहता हूं। मैं संयुक्त समिति से अपील करूंगा कि वह इस विधेयक पर सावधानी से विचार करे और ८० या ८५ प्रतिशत ग्रामीण जनता के, जिन की छोटी छोटी जमीनें हैं, हितों और अधिकारों की रक्षा की जाये और इस विधेयक के द्वारा की जाये। अन्यथा इस विधेयक के पारित होने के बाद, एक और विधेयक लाया जाये जिसमें यह उपबन्ध हो कि अधिकतम सीमा के अन्दर भूमि का राज्य द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए पर्याप्त प्रतिकर दिये बिना अर्जित न किया जा सके और इसको न्यायोचित किया जाये।

तारांकित प्रश्न संख्या ७६० के बारे में वक्तव्य

विदेशी बैंकों में मंत्रियों के लेखे

†**अध्यक्ष महोदय:** मैं कुछ देर के लिये कार्यवाही में बाधा डालना चाहूंगा। आज प्रातः प्रश्न काल में विदेशी बैंकों में मंत्रियों के लेखों के बारे में चर्चा हुई थी। माननीय वित्त मंत्री ने मुझे बताया था कि एक विधि के अन्तर्गत बैंकों के लेखे बताये नहीं जा सकते, हालांकि बैंकों ने जानकारी सरकार को दे दी है। परन्तु चूंकि मंत्री ने उन्हें इसे प्रकट करने के लिए अधिकृत कर दिया है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या वे इसे बताने के लिये तैयार हैं?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी):** अपने उत्तर में एक त्रुटि को दूर करने का यह अवसर मुझे देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। वह लेखा बैंक का लेखा नहीं है, बल्कि वह लेखा है जो विभिन्न पुस्तक प्रकाशक एक विशेष मंत्री की ओर से पुस्तकें प्रकाशित करने के सम्बन्ध में रखते हैं। कुल लेखा रिजर्व बैंक के सामने रखा जाता है और धन समय समय पर निकाल लिया जाता है। रिजर्व बैंक मंत्री को प्रकाशक के पास ५० पौंड रखने की अनुमति देता है। और यह उस खर्च के लिए है जो वे यूरोप या इंगलैंड में जा कर करते हैं। वे मंत्री इस देश के प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिन के लिए उन्हें कई देशों से स्वामित्व मिलता है। १९६१ में कुल देय रकम ७३३ पौंड थी। उसके बाद उन्होंने ५० पौंड से अधिक कोई रकम नहीं रखी। धन समय समय पर निकाला जाता

---

†मूल अंग्रेजी में

है और रिजर्व बैंक को हिसाब दिया जाता है। रिजर्व बैंक इन लेखों पर गहरी नजर रखता है। मुझे विश्वास है कि सदन यह बात मानेगा कि प्रधान मंत्री ने कुछ छुपाना नहीं है क्योंकि ये रकमें पुस्तकों के स्वामित्व के रूप में प्राप्त होती हैं ?

†श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या सरकार के लिए यह जानना संभव है कि क्या भारतीयों के लेखे स्विस बैंकों में भी हैं, जो बिल्कुल गुप्त रखे जाते हैं ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी: जहां तक हमें मालूम है, किसी मंत्री का स्विस बैंकों में लेखा नहीं है। जहां तक इन्हें मालूम करने का सम्बन्ध है, इन्हें 'नम्बर लेखा' कहा जाता है और स्विस बैंक इनके बारे में पत्रव्यवहार नहीं करते। अत: ये लेखे केवल स्विस बैंकों और पक्षों से मालूम होते हैं। मैंने भी सुना है कि इस देश के बहुत से लोगों के स्विस बैंकों में लेखे हैं। मैं कोई ऐसा तरीका नहीं मालूम कर सका, जिनके द्वारा इन लेखों पर हाथ डाला जा सके।

संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६३—जारी

†अध्यक्ष महोदय : अब सदन संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर आगे विचार आरंभ करेगा।

†श्री नी० श्रीकांतन नायर (क्विलोन) : मैं इस विधेयक का बिना अधिक संकोच के समर्थन करता हूं। जैसा कि श्री कामत ने कहा है कि "सम्पदा' शब्द की परिभाषा इतनी विशाल है कि इसका कुछ राज्य सरकारें छोटे भूमिधारियों के विरुद्ध प्रयोग कर सकती हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इसे रोकने के प्रश्न पर विचार करे।

इस विधान को प्रस्तुत करने का मुख्य कारण केरल कृषि सम्बन्ध अधिनियम, १९६० के बारे में उच्चतम न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय का निर्णय है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या उनमें और केरल मंत्रालय के बीच, केरल विधान मंडल में नये कानून को पेश करने के बारे में कोई समझौता हुआ था। जब केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा इस अधिनियम को संरक्षण देना चाहती थी, केरल सरकार एक अन्य विधेयक ला कर इस अधिनियम का खंडन करना चाहती है।

श्री मणियंगाडन और अन्य ऐसे लोग सारे नारियल बागों को अपवर्जित करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि केरल नारियलों की भूमि है। यदि इन भूमियों को अपवर्जित कर दिया जाये, तो बाकी क्या रह जाता है ? अत: श्री मणियंगाडन के सुझाव के अनुसार केरल विधान मंडल के सामने नहीं लाया जा सकता और भारत सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता।

केरल में कांग्रेस में दो गुट हैं। उनमें से एक भूमिसुधारों का विरोध करता है और दूसरा समर्थन करता है। केरल में कांग्रेस को ईसाई कांग्रेस कहा जाता है, क्योंकि इसमें ईसाई बहुत हैं और प्रभावशाली हैं। ये ईसाई जो कि साम्यवादियों के शत्रु हैं, १९६१ के अधिनियम ४ को कुछ संशोधनों के साथ लागू करना चाहते हैं। मैंने देखा है कि कन्नय पदमनाभन इन सब सुधारों के विरुद्ध हैं और वे सब अवैध कब्जाधारियों को निकालना चाहते हैं। चूंकि कांग्रेस मंत्रालय तो एक वर्ष के अन्दर चुनावों का सामना करना है, इसलिये वह दोनों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नी० श्रीकान्तन नायर]

पक्षों को अपने साथ रखना चाहता है । उसके साथ वे आम लोगों को कहना चाहता है कि हम भूमिसुधारों के विरुद्ध नहीं हैं । इसलिये वह सारा दोष केन्द्रीय सरकार पर थोपना चाहता है । इस बात को ध्यान में रखते हुए वे इस विधान के प्रति जल्दी कर रहे हैं और आने वाले चुनाव की कठिन स्थिति को पार करना चाहते हैं ।

मेरे मित्र श्री मणियंगाडन ने कहा है कि केरल अधिनियम इतना व्यवहारिक नहीं है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

केरल के अधिनियम के अनुसार निर्धारण अन्य राज्यों के अधिनियमों के अनुकूल है । फालतू भूमि का मूल्य बाजार भाव के २५ से ६० प्रतिशत पर आंका गया है । अन्य राज्यों के अधिनियमों के साथ तुलना करने से मालूम होता है, यह स्पष्ट है कि १९६१ के केरल अधिनियम ४ में कोई असमानता नहीं है । मैं माननीय मंत्री से यह आश्वासन चाहता हूं कि यह अधिनियम तब तक वापस नहीं लिया जायेगा, जब तक कि इसके स्थान पर नया विधेयक न लाया जा सके । मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि यह ठीक है कि बड़े-बड़े भूमिधारियों के अधिकार कुछ हद तक कम किये जा रहे हैं, हमारे देश के ८० प्रतिशत किसानों को नये अधिकार दिये जा रहे हैं। इस लिये मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं ।

†डा० पं० शा० देशमुख (अमरावती) : मैं समझता हूं कि अधिक लोगों को इस विधेयक के उद्देश्यों पर आपत्ति नहीं होगी ।

मैं जानता हूं कि भूमि सुधार के दो मुख्य प्रयोजन हैं—पहला है अधिक कृषि उत्पादन और दूसरा है सामाजिक न्याय । मैं इन दोनों प्रयोजनों को मानता हूं किन्तु मेरी राय यह है कि पिछले १४ वर्षों में हमने इन में से एक भी प्राप्त नहीं किया । यह सच है कि भूमि की अधिकतम सीमा लागू करने के फलस्वरूप किसानों को देने के लिये एक एकड़ भूमि भी प्राप्त नहीं की जा सकी ।

हम ऐसे देश में रहते हैं कि थोड़ी सी भूमि प्राप्त करने से भी किसी की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है । अब भी लोगों के मन में भूमि की प्यास है । यह प्यास क्यों है ? इससे जीवन में सुधार नहीं हो जाता आर्थिक सुधार नहीं होता केवल सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठा बढ़ जाती है ।

साम्यवादी हर उस कार्यवाही के पक्ष में हैं जिससे उत्पादन में बाधा पड़े और लोगों को सामाजिक न्याय न मिल सके ।

इसमें सन्देह नहीं कि भूमि सुधार होना चाहिये और भूमि के केन्द्रीयकरण को तोड़ना चाहिये । किन्तु आज तक जो भूमि सुधार हुए हैं उनसे केवल एक बात हुई है कि इससे किसानों की मानसिक शांति भंग हुई है । स्वयं डा० राम सुभग सिंह ने माना है कि लोग भूमि में पैसा नहीं लगाना चाहते और बिना पैसा लगाये, अधिक उत्पादन नहीं हो सकता

†मूल अंग्रेजी में

इस समय सब से बड़ी समस्या भूमि के टुकड़े होने की है और हम इसको कम करने के लिये क्या कर रहे हैं, भमि विधानों से इसके टुकड़े होने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है और भविष्य में यह और भी बढ़ेगी ।

कुछ समय पूर्व, प्रधान मंत्री और कांग्रेस दल का यह विचार था कि सहकारी खेती से तीन या चार वर्षों में बहुत सी सहकारी समितियां बना कर इस त्रुटि को दूर किया जा सकेगा। किन्तु सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय ने क्या किया है। उसने इसे एक प्रयोग ही समझा है। हम इन समितियों के द्वारा कितने एकड़ भूमि पर इसे लागू कर सकेंगे । कुल कृष्य भूमि को देखते हुये जो कि ३५०० लाख एकड़ है, यह बिल्कुल ही नगण्य है । अतः हम भूमि के टुकड़े होने से बचाने का कोई और उपाय नहीं सोच सके। इस बात पर विचार करने के लिये कि भूमि सुधार के दो उद्देश्य कहां तक पूरे किये गये हैं, सरकार या तो एक आयोग नियुक्त करे या संयुक्त समिति की एक उपसमिति बनाये ।

मैं यह चाहूंगा कि वर्तमान विधेयक के प्रवर्तन को महाराष्ट्र और केरल तक ही सीमित रखा जाये। केरल अधिनियम को इस में शामिल न किया जाये, क्योंकि स्वयं केरल सरकार इस के विरुद्ध है। केन्द्रीय सरकार के लिये यह उचित नहीं है कि वह केरल विधान मंडल को विधि में संशोधन करने के अधिकार से वंचित करे ।

अन्य विधियों के बारे में भी यही कुछ होने की संभावना है। मुझे इस पर घोर आपत्ति है। संयुक्त समिति, जब तक हर विधान का इस दृष्टिकोण से जांच न कर ले कि ये विभेदपूर्ण तो नहीं हैं इन को अनुसूची में सम्मिलित न किया जाये। इस प्रकार की विधियां बहुत हैं। स्वयं महाराष्ट्र की विधि को विभेदपूर्ण माना गया है ।

श्री अ० न० गुह ने कहा है कि भूमि का वितरण करना सामाजिक न्याय है। किन्तु केवल भूमि का ही वितरण क्यों किया जाये, उन करोड़पतियों के बैंकों में जमा रुपये को लेकर वितरित क्यों न किया जाये। सरकार को एक व्यक्ति से भूमि लेकर दूसरे को दे देने से लोगों को खाद्य देने का प्रयत्न क्यों करती है? हम ६५० लाख परिवारों को बेचैन कर रहे हैं। किसान अधिक क्यों पैदा नहीं करता, क्योंकि उसने विश्वास खो दिया है। उसका ख्याल है कि वह केवल भूमि पर निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिये वह ग्रामों से शहरों में आता है। यदि कृषि उत्पादन असफल हो जाये और हमारी सीमायें लोगों को पर्याप्त भूमि न दे सके, तो इस प्रकार का भूमि सुधार करने का क्या लाभ है ?

श्री ब० प्र० सिंह (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान में संशोधन करने संबंधी यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जा रहा है। संविधान की इस धारा का संशोधन पहले दो बार हो चुका है—१९५१ और १९५५ में। इस संशोधन का भाव यह है कि किसानों से ली हुई जमीन का उचित मल्य न दिया जाये। इसके लिये यह तर्क दिया जाता है कि यह **टिलर्ज आफ दि सायल** की सुविधा के लिये किया जा रहा है। मैं आज तक यह नहीं जान सका हूं कि **टिलर्ज आफ दि सायल** की परिभाषा क्या है। स्वराज्य से पहले एक कमेटी कायम हुई थी जिसके प्रैजिडेंट श्री जे० सी० कुमारप्पा थे। उस कमेटी ने कहा था कि किसानों को रीजनेबल स्टेंडर्ड आफ लिविंग की सहूलियत दी जायेगी। दस बरसों से योजना मंत्री के साथ हमारा पत्र-व्यवहार चल रहा है। मैंने उनसे यह निवेदन किया है कि आप सोशलिस्ट पैटर्न की बात करते हैं, तो आप यह भी बतायें कि एक साधारण नागरिक का जीवन-मान क्या स्थिर किया गया है और न्यूनतम जीवन-मान और उच्चतम जीवन मान में क्या अन्तर होगा, लेकिन आज तक उसका कोई फैसला नहीं हो सका है। मैंने उनसे

(श्री व० प्र० सिंह)

अर्ज किया है कि जब तक एक साधारण नागरिक का जीवन मान स्थिर नहीं किया जायेगा, तब तक देश की आर्थिक उन्नति और अन-एम्पलायमेंट का मसला तय नहीं किया जा सकता है।

आज यह कहा जाता है कि सोशल जस्टिस के नाते संविधान में यह संशोधन किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि सोशल जस्टिस के नाते सभी वर्गों के साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए। यदि सभी वर्गों के साथ एक सा व्यवहार नहीं होता है, तो लोगों में ईर्ष्या और जलन पैदा होती है।

आज लगान का आधार क्या है? आज लगान का आधार ५० प्रतिशत है, जबकि मनु के समय में लगान १२वां हिस्सा और गौतम के समय में १०वां हिस्सा था, जिसे कोटिल्य ने छठा हिस्सा किया था। आप नहीं चाहते हैं कि इसको आप आधा कर दें। हरिपुरा और फैजपुरा कांग्रेस में आपने किसानों को विश्वास दिलाया था कि स्वराज्य मिलने के बाद किसानों को जो लगान देना पड़ता है, उसमें काफी कमी कर दी जायेगी। लेकिन आपने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया है। इसके विपरीत आप लगान की दर में वृद्धि ही करते जा रहे हैं। यह सोशल जस्टिस नहीं है। इस सोशल जस्टिस के नाम पर आज पैदावार बढ़ाने के बजाय, पैदावार को ही कम कर रहे हैं। आज आवश्यकता देश में पैदावार अधिक करने की है। किस तरह से पैदावार बढ़ सकती है, इस पर आप विचार करें। आपको चाहिये कि स्टेंडर्ड आफ कलिटवेशन आप फिक्स कर दें। जो किसान स्टैंडर्ड आफ कल्टिवेशन पर खरा नहीं उतरता है, उसकी जमीन को जब्त कर लिया जाये और उसे दूसरों को दे दिया जाये। इंग्लैंड में स्टेंडर्ड आफ कल्टिवेशन फिक्स किया जा चुका है। इंग्लैंड के तरीके पर आप यहां भी कर सकते हैं।

आप भमि लेकर भूमिहीनों में वितरण करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज ३७ करोड़ एकड़ जमीन में गल्ला पैदा आप करते हैं। इसके बाद भी १९ करोड़ एकड़ जमीन ऐसी पड़ी हुई है जिसका सुधार करके उपयोग में लाया जा सकता है और उसको आप गरीबों को दे सकते हैं। इस तरह से देश के अन्दर पैदावार बढ़ सकती है। इस ओर आपकी दृष्टि नहीं गई है आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसका परिणाम क्या निकलता है. इसको भी आपको देखना चाहिये। आप देखें कि आपकी नीति क्या है, आपका सिद्धांत क्या है, संविधान में आपने क्या प्रतिज्ञा की है। संविधान हर देश के लिये बहुत पवित्र होता है और उसमें कम से कम परिवर्तन होने चाहिये। अगर बार बार उसमें आप परिवर्तन करते रहेंगे तो जन साधारण का विश्वास उस पर से उठ जायगा। आप देखें कि दूसरे देशों में जो संविधान हैं, उनमें कितनी बार परिवर्तन हुये हैं। अमरीका का ही उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां पर संविधान १७८७ में लागू हुआ था और आज तक उस संविधान में केवल २२ बार ही परिवर्तन हुये हैं। इसके विपरीत आप अपने संविधान को लें। हमने पन्द्रह वर्ष के भीतर सोलह संशोधन उसमें कर दियें हैं और सत्रहवीं बार संशोधन करने जा रहे हैं। इस तरह की बातों से जन साधारण का, आम जनता का विश्वास सरकार पर से तथा संविधान पर से उठ जाता है। इस वास्ते आप कम से कम संविधान में संशोधन करें। आप चाहते हैं कि किसान की उन्नति हो. उसका फायदा हो। किस तरह से यह हो सकता है, इस पर आप गम्भीरता से विचार करें। सरकार को इस तरह के संशोधन लाने चाहिये जो संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के आधार पर हों तथा जो संविधान की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाले हों। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि धारा ३१ जिस तरह से है,उसको वैसे ही रहने दिया जाये। जब कभी भी मौका आता है आप इसमें परिवर्तन कर देते हैं। ऐसा करके जनता का विश्वास आप खो देते हैं। आप समझते हैं कि आप इस तरह से किसान का हित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप हित नहीं कर रहे हैं।

किसान की जो जमीन है, उस पर आप सीलिंग लगाना चाहते हैं। एक निश्चित सीमा से अधिक जो उसके पास जमीन है, उसको आप लेना चाहते हैं। अगर किसान की सम्पत्ति पर आप सीलिंग लगाते हैं तो क्या वजह है कि जो दूसरे वर्ग हैं, उनकी सम्पत्ति पर सीलिंग नहीं लगाते हैं। उनके पास एक निश्चित सीमा से अधिक जो सम्पत्ति हो, उसको भी इसी आधार पर आपको अपने कब्जे में ले लेना चाहिय। आप किसान की जब जमीन लेने का वक्त आता है तो मार्किट वैल्यू को आधार मान कर चलते हैं लेकिन जब देने का समय आता है तो कोई और ही आधार लागू करते हैं, बहुत महंगी लोगों को देते हैं। १९४७ में अंग्रेज सरकार ने जब डैथ ड्यूटी बिल ड्राफ्ट किया था, उस वक्त उन्होंने उस बिल में एग्रिकलचरल लैंड्ज का समावेश नहीं किया था। लेकिन हमारी सरकार ने जो बिल बनाया था उसमें उसने उस जमीन का भी समावेश कर दिया। उस समय हमने कहा था कि जमीन का मूल्य लगान के आधार पर आप आंकें, लगान के कुछ गुना पर रखें। लेकिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने मार्किट वैल्यू के आधार पर उसके दाम रख। आपकी नीति यह है कि किसान की जमीन जब लेने का वक्त आता है तो मार्किट वैल्यू के नाम पर कौड़ियों के मूल्य आप उसको लेना चाहते हैं और जब देने की बात होती है, तब संविधान की धारा ३१ का संशोधन आप कर देते हैं। आप कहते हैं कि किसान की जमीन जब आप लेंगे तो उसकी जो वाजिब कीमत है, वह आप नहीं दे सकेंगे, इसलिये आप इस धारा में, परिवर्तन करना चाहते हैं। यह उचित नहीं है यह न्यायसंगत नहीं है। आप किसान की जमीन ले लें और उसकी कीमत अदा न करें और इस हेतु संविधान में संशोधन कर दें, यह अच्छा नहीं है, यह ठीक नहीं है। इस तरह से किसी की सम्पति का अपहरण करना उसके प्रति अन्याय करना है।

आज भी आप देखें कि जो खेत मजदूर है, उनकी आय क्या है। उसकी आय चार आने के लगभग पड़ती है। आमदनी किसान की ४३७ रुपये है और खर्चा ६७१ रुपये। यह जो बढ़ा हुआ खर्चा है, इसको वे लोग कर्ज लेकर जुटाते हैं। इस हिसाब से किसान की जो आय है वह साढ़े सात आने के नीचे ही हो सकती है, इसके ऊपर नहीं हो सकती है। ऐसी हालत में आप देखें कि आपने किसान के साथ कहां तक न्याय किया है और कहां तक न्याय करने आप जा रहे हैं।

समय समय पर आपने किसानों के साथ जो वादे किये हैं, उन सभी वादों को आप धीरे-धीरे भूलते जा रहे हैं। संविधान में आपने कहा था कि दस वर्ष के अन्दर अन्दर छः से १४ वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था आप कर देंगे। लेकिन आज आप कहते हैं कि तृतीय योजना के अन्त में जाकर आप छः से ग्यारह वर्ष के बच्चों की शिक्षा का ही आप प्रबन्ध कर सकेंगे। यह इस कारण से कि पैसे की कमी है। अगर वास्तव में पैसे की कमी है, तो जहां कहीं से पैसा बचाया जा सकता है, क्या वहां से पैसा बचाने की कोशिश आपकी तरफ से की जा रही है? शासन का जो बढ़ता हुआ खर्चा है, उसपर आप रोक नहीं लगा सके हैं। नशाबन्दी आप लागू नहीं कर सके हैं। ये जो सब चीजें हैं, इनका असर खेत मजदूर पर काफी पड़ता है। आप देखें कि दूसरे पेशे करने वाले जो लोग हैं, उनकी आमदनी क्या है और किसान की क्या है। आपको सबसे कम आमदनी किसान की ही मालूम होगी। इसके बावजूद भी आप किसान के ऊपर कर भार लादते जा रहे हैं। जो छोटे से छोटा किसान है, जिसके पास दस बिसवा जमीन भी है, उसको भी आज सरकार को लगान देना पड़ता है। जहां तक दूसरे वर्गों का सम्बन्ध है, यदि कोई पंद्रह सौ रुपया वार्षिक पैदा करता है, तो उसको कुछ देना पड़ता है। किसान को सूखा से, बाढ़ से जो हानि उठानी पड़ती है और जो एक समस्या बन कर उसके सामने प्रतिवर्ष खड़ी हो जाती है, उसका

(श्री व०प्र० सिंह)

भी खयाल नहीं रखा जाता है । इनके बावजूद भी उसको लगान देना पड़ता है । यह सोशल जस्टिस नहीं है। सोशल जस्टिस के नाम पर आपने किसान की जो अवस्था है, उसको छिन्न भिन्न कर दिया है। आप आंकड़ों के आधार पर आज भले ही यह सिद्ध कर दें कि पैदावार बढ़ रही है, उसकी हालत अच्छी हो रही है, लेकिन वास्तव में बात ऐसी नहीं है।

आज हम कहते हैं कि गरीबों को हम जमीन देंगे। मैं कहना चाहत हूं कि गरीबों को जमीन आप दे नहीं सकते हैं। इसका कारण यह है कि आपके पास इस वक्त इतनी जमीन नहीं है जो आप उनको दे सकें। मेंने आपको बताया है कि ३७ करोड़ एकड़ आपके पास ऐसी जमीन है, जिसमें पैदावार होती है। इसके अलावा १९ करोड़ एकड़ जमीन जो है, उसका सुधार करके आप गरीबों को दे सकते हैं। पहले मैं २३ करोड़ एकड़ कहा करता था। लेकिन चूंकि चार सौ करोड़ एकड़ दूसरे कामों मैं आ गई है, इस वास्ते वह घट कर १९ करोड़ एकड़ रह गई है। प्लानिंग कमिशन के श्री श्रीमन्न नारायण जी ने मुझ से पूछा था कि यह १९ करोड़ का आंकड़ा मुझे कहां से मिला है। यह मैंने आपकी ही किताबों से निकाला है। आप किताबों को देखिये, आपको पता चल जाएगा कि इतनी जमीन आपके पास है जिसको सुधार कर आप गरीबों को दे सकते हैं। यदि आपने ऐसा किया तो देश की पैदावार भी बढ़ सकती है और गरीबों को जिनके पास जमीन नहीं है, जमीन भी दी जा सकती है। आपको चाहिये कि आप स्टैंडर्ड आफ कल्टीवेशन इनक्रीज करें। यदि आप यह नहीं कर सकते हैं तो जीवन मान निश्चित कर दीजिये, स्टैंडर्ड आफ लिविंग फिक्स कर दीजिये नीचे से नीचा और ऊंचे से ऊंचा फिक्स कर दीजिये। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस देश की जनता की आमदनी साढ़े सात आने रोज है, वहां पर मंत्रियों की, क्या होनी चाहिये, बड़े बड़े अफसर जो हैं, उनकी क्या होनी चाहिये, जो उद्योगपति हैं, उनकी आमदनी क्या होनी चाहिये। सबको आप एक दृष्टि से देखें और एक आधार पर सबको लायें। केवल किसान के नाम पर इस तरह का बिल बना कर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जो खाई है, उसको भर नहीं सकते हैं। खाई अगर आप भरना चाहते हैं तो जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उनको तोड़ कर आपको उसे भरना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो कुछ भी हो सकता है।

आप देखें कि शराबखोरी में गरीबों का कितना पैसा जाता है। शराब खोरी में गरीब किसानों की, गरीब मजदूरों की आय का बीस सैंकड़ा चला जाता है। आप देश में नशाबन्दी लागू नहीं कर सके हैं। आप किसानों के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर सके हैं, आप जीवन मान स्थिर नहीं कर सके हैं । जब आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सके हैं तो संविधान में इस तरह से परिवर्तन करके आप किसानों में अविश्वास पैदा करेंगे और ऐसा करके आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार इस बिल को वापिस ले ले और मौलिक अधिकारों के आधार पर दूसरा बिल पेश करे जिसमें संविधान का आदर करते हुए, उसकी प्रतिष्ठा को बनाये रखते हुए, संविधान को उसकी पूर्ववत व्यवस्था में लाने की चेष्टा हो।

†श्री मुत्तु गौंडर (तिरूपत्तूर) : लोकतंत्रीय समाजवादी समाज का निर्माण हमारा लक्ष्य है। इसलिए भमि सुधार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण इत्यादि तो चलेगा ही। कुछ राज्यों ने जो भूमि सुधार लागू किये हैं उनमें काफी कमियां रह गयी हैं। उसी प्रकार की कमियों को दूर करना इस विधेयक का उद्देश्य है, अतः मैं इसका समर्थन करता हूं।

मद्रास राज्य में भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए विधान बनाते समय यह मांग प्रस्तुत की गयी थी कि अन्य संसाधनों से आय पर भी अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाय। उस समय सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि ऐसा किया जायेगा। परन्तु अभी तक इस बारे मैं कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। यह भी स्पष्ट हो चुका कि भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में विधि की व्यवस्था से बचने के लिए मद्रास राज्य मैं बड़े भू-स्वामियों को काफी समय दिया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि "द्रविड़ मुनेत्र कषगम" सिद्धान्त के रूप में भूमि सुधारों में विश्वास रखता है। परन्तु इसके साथ ही इसका यह भी कहना है कि सरकार को शहरी आय पर भी अधिकतम सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। जब कृषकों की ३६०० रुपयों की सीमा है तो बड़े बड़े धनिकों को क्यों छोड़ा जाता है। भूमि सुधार के बारे में कुल मिला कर १४९ विधाव विभिन्न राज्यों में बनाये गये ।

एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्यम श्रेणी के रैयतदार अपनी जमीनों के बारे में स्वयं को अधिकतम सीमा के अन्दर होते हुये भी सुरक्षित नहीं समझते। और यह भी सत्य है कि जब तक उन्हें अपने स्वामित्व के सम्बन्ध में पूर्णरूप से विश्वास न हो, उन्हें अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन नहीं कर सकते। सरकार को इस बारे में यह आश्वासन देना चाहिए कि संयुक्त समिति स्तर पर विधेयक में रह गयी सभी कमियों को यथासम्भव दूर कर लिया जायेगा। इससे यह होगा कि अधिकतम सीमा के अन्तर्गत जमीन के मालिकों पर शब्द "सम्पदा" के निर्वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन शब्दों से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। संयुक्त समिति में ४५ सदस्य हैं और १४४ विधेयक हैं जोकि बहुत से राज्यों ने पारित किये हैं। उन सबकी छानबीन कैसे की जायगी। बात यह है कि इस विधेयक में जिन जिन अधिनियमों का उल्लेख है उन सबकी जांच संयुक्त समिति द्वारा की जानी चाहिए। यह भी किया जा सकता ह कि ऐसा करने के लिए कुछ समितियां नियुक्त की जायें। संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में भी इन अधिनियमों का एक परिशिष्ट दिया जा सकता है। इससे पक्ष और विपक्ष दोनों विचारों के माननीय सदस्यों को लाभ होगा।

भूमि सुधार करना बड़ा आवश्यक है, अतः भू-सुधार विधान का विरोध नहीं होना चाहिए। भूमि सुधार सम्बन्धी विधियों से सब प्रकार के किसानों मैं आत्मविश्वास का निर्माण हुआ है। छोटे छोटे भूमिदारों को इस से बहुत ही लाभ हुआ है। सामाजिक न्याय की ओर यह एक बड़ा कदम है। साम्यवादी देशों को छोड़ दीजिये, लगभग सभी देशों में भूमि सुधार संबंधी कानूनों का निर्माण किया गया है। और यदि यह विधेयक हमारे विधि मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा निवेदन है कि यह भूमि सुधार विधान प्रगतिशील विचारधारा पर आधारित है। उन विधियों से सामाजिक रूप में काफी लाभ हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों का यह डर दूर कर दिया जाना चाहिये कि छोटे छोटे लोगों को इस से कोई हानि नहीं होनी चाहिए । इस के लिए मेरा निवेदन है कि यह शहरों के बड़े बड़े जायदाद वाले लोगों पर लागू होने के लिए भी विधान प्रस्तुत किया जाना चाहिए । केवल किसानों के लिये ही इसे बनाना न्यायोचित दिखाई नहीं देता । विधेयक को लागू । करते समय यह तो देखा ही जाना चाहिए कि क्या साधनों वाले लोगों को किसी प्रकार की हानि न हो । आशा करनी चाहिये कि विधेयक को न्यायिक ढंग से ही कार्यान्वित किया जाना चाहिये जिससे कि सभी प्रकार के भू-स्वामी इसके अन्तर्गत आ जायें ।

†श्री हिम्मतसिंहका (गौडा): आज प्राप्तः काल से सदन में हो रहे भाषण सुन रहा हूं । मनोरंजक बात यह है कि जो माननीय सदस्य इस विधेयक का समर्थन कर रहे थे वे वास्तव में इसके विरोधी थे । मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस विधेयक के द्वारा निश्चित की गयी राज्यों द्वारा अधिकतम सीमा से फालतू भूमि को ही ले लिया जायेग । यह तो प्रत्येक व्यक्ति के पास जितनी भी भूमि है उस पर लागू होता है । हमें इस दृष्टि से इस विधेयक का परीक्षण करना चाहिये कि इस से सामाजिक न्याय प्राप्त होता है भी कि नहीं ।

यह विधेयक कृषि भमि तक ही सीमित नहीं है । इसके अन्तर्गत तो वह सभी भूमि आ जाती है जो चाहे इमारत के लिए हो चाहे किसी अन्य उद्देश्य के लिए । और उस में कोई भी. किसी भी रूप में रह रहा हो । सोचना यह है कि, इस से किसी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त होगी ? कोई लाभ होगा ?

मेरा मत यह है कि यदि यह विधेयक कानून बन गया तो सरकार को बहुत व्यापक अधिकार प्राप्त हो जायेंगे । और इन व्यापक अधिकारों का दुरोपयोग भी हो सकता है ? यदि सरकार चाहे तो वह बड़ी आसानी से किसी का पक्ष ले सकती है । फिर इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था नहीं है कि भूमि के अर्जन और प्रतिकर सम्बन्धी विधियों को चुनौती दी जा सके।

कानून ठीक है, परन्तु मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक के सभी उपबन्धों पर संयुक्त समिति द्वारा बड़े ध्यानपूर्वक तथा गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए । जिस अवस्था में यह विधेयक आज है, मुझे महसूस होता है कि इस से लोगों की भलाई की अपेक्षा बुराई अधिक होगी । सामाजिक न्याय के नाम पर प्रभावित होकर किसी प्रकार की शीघ्रता करते हुए, गलत बात नहीं की जानी चाहिये । मैं संयुक्त समिति के ४५ माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि वे इस विधेयक पर ध्यानपूर्वक विचार करें । कोई मुआवजे की भी व्यवस्था नहीं है । भूमि अर्जन अधिनियम में समुचित मुआवजे की भी व्यवस्था है अतः मेरा निवेदन है कि न्याय की दृष्टि से इसके सभी अंगों पर विचार करना होगा

श्री ह० च० सोय (सिंहभूम): उपाध्यक्ष महोदय हमारे शर्मा जी ने जो एक मांग पेश की है उसका मैं समर्थन करता हूं । उनका कहना है कि ये जो सारे १४५ के करीब एक्ट्स

†मूल अंग्रेजी में

हैं, इन सब पर ४५ सदस्यों की समिति द्वारा विचार किया जाना सम्भव नहीं है और वह ठीक रीति से इन सब पर विचार नहीं कर सकती है। इसलिए उनका सुझाव है कि हर एक स्टेट के एक्ट्स के लिए सब-कमेटीज बनादी जाएं और जो शैड्यूल की जांच कर सकें। यह बहुत ही अच्छा सुझाव है और इसको स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

जब भूमि सुधार सम्बन्धी कानून बनाये जा रहे थे या जब लैंड पर सीलिंग लगाने के सम्बन्ध में कानून बनाये जा रहे थे तब यह आशा की जा रही थी कि इससे जो सरपलस ज़मीन निकलेगी वह उन को दे दी जाएगी जिन के पास ज़मीन नहीं है जो बेज़मीन हैं और इस से खेती को पैदावार में वृद्धि होगी। लेकिन हम जानते हैं कि भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों के बावजूद भी खेती की पैदावार इतनी अच्छी नहीं हो सकी है. जितनी अच्छी होनी चाहिये थी और न ही जिस किसान की आर्थिक स्थिति हम अच्छी करना चाहते थे उसकी स्थिति ही अच्छी हो पाई है। हमारा कहना यह था कि जो छोटे किसान हैं और जिन के पास ज़मीन कम है वे ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि उन्नत तरीकों से खेती कर सकें उन्नत खेती के साधनों को अपना सकें। इस वास्ते तज़वीज़ यह रखी गई थी कि कोओप्रैटिव फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। यह जो कोआपरेटिव फार्मिंग का हमने प्रयोग किया है. इस से भी निराशा ही हमारे हाथ लगी है।

अब इस कानून के ज़रिये जितने भी ज़मीन सम्बन्धी या सीलिंग सम्बन्धी कानन हैं. उन को जायज़ करार हम देने जा रहे हैं। और इस हेतु कांस्टीट्यूशन में एमेंडमेंड करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस पर बहुत ही अच्छी तरह से विचार किया जाए। मैं आपके सामने बिहार स्टेट का एक उदाहरण रखना चाहता हूं। वहां पर लैंड सीलिंग सम्बन्धी जो कानून बना उसमें बड़ी खामी रह गई है। ज़मीन के दाम फिक्स कैसे हों और कितने हों इसके बारे में उस में यह कहा गया है कि सब से निचले स्टेंडर्ड की ज़मीन के लिए ४५ रुपये फी एकड़ के हिसाब से मुआवज़ा दिया जाए जब कि ऐसी जो ज़मीनें है उनकी मार्किट वैल्यू बहुत बढ़ी चढ़ी हुई है बहुत जबर्दस्त हैं। मेरा संकेत इंडस्ट्रियल इलाकों से है रांची हतिया वगैरह से है। बिहार के कानन के अन्दर उस ज़मीन का जो मुआविज़ा फिक्स किया गया है वह ७५ रुपये फी एकड़ फिक्स किया गया है। वास्तव में अगर उस ज़मीन को लैंड सीलिंग के अन्दर नहीं लिया जाता है और दूसरे लोगों के साथ बन्दोबस्त किया जाता है तो ी एकड़ तीन हज़ार से चार हज़ार तक दाम मिलते हैं। इस तरह से मैं समझता हूं कि रैयत से जो ज़मीन ली जाती है इतना कम मुआवज़ा दे कर उसके साथ बड़ा भारी अन्याय किया जाता है लैंड सीलिंग कानून के अन्दर जो जमीन ली जाती है उसका मुआवज़ा देते वक्त बड़ी भारी बेइंसाफ़ी की जाती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस बिल पर विचार करते समय ज्वायंट कमेटी बिहार के लैंड सीलिंग एक्ट की फिर से जांच करे और जिन रैयतों की ज़मीने हम लें, इस कानून के अन्दर ऐसी व्यवस्था हो कि उनका उचित दाम उनको मिले। दो तरफा बरताव उन के साथ नहीं होना चाहिये।

बिहार असैम्बली में हम लोगों ने इसका विरोध भी किया था। लेकिन फिर भी उस वक्त बिहार गवर्नमेंट ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। अब एक दूसरा मौका मिल रहा है जबकि उसकी स्क्रूटनी हो सकती है। मेरा सुझाव है कि ज्वायंट कमेटी इसकी जांच करे और अगर वह पाये कि लैंड सीलिंग एक्ट में जो रेट फिक्स किया गया है वह सही नहीं है उसके अन्दर अन्याय की गुंजाइश है तो उसको दूर करे।

[श्री ह० च० सौय]

इंडस्ट्रियल इलाकों में जो प्राजैक्ट्स शुरू किए गए हैं. जैसे दामोदर वैली कारपोरेशन, माइनिंग प्राजैक्ट्स, इरिगेशन प्राजैक्ट्स वगैरह या एफोरैस्टैशन सम्बन्धी हमारी जो नीति है, उसके तथा इन प्राजैक्ट्स के फलस्वरूप खेती के लायक जमीन हमें चाहिये, वह कम होती जा रही है और इन इलागकों में जो पापुलेशन है वह बढ़ती जा रही है । जनसंख्या के हिसाब से जितनी खेती की पैदावार होनी चाहिये, जितनी ज़मीन खेती के काम में आनी चाहिये, वह नहीं आ रही है और एक जबर्दस्त इम्बैलस तैयार हो गया है । इसलिए मैं चाहता हूं कि यह जो कांस्टीट्यूशन एमेंडमेंट बिल है, इस पर इस दृष्टि से विचार किया जाये कि जितने भी भूमि सुधार कानून हैं, जितने भी लड सीलिंग के बारे में कानून हैं, उन के कारण या दूसरे कारणों से भी खेती की पैदावार को कोई धक्का तो नहीं लगता है । जिस किसी कानून की वजह से, इंडस्ट्रीज़ के कानूनों की वजह से भी खेती की ज़मीन कम होती है और पैदावार में फर्क पड़ता है, उसको एमेंड किया जाए और जो कमी है, उसको दूर किया जाए ।

हर एक स्टेट के जितने भी कानून इस में हैं, उन के लिये अलग अलग सब कमेटीज़ होनी चाहियें ताकि हर एक स्टेट के कानूनों की अच्छी तरह से, उचित रीति से जांच की जा सके, यही मेरा निवेदन है ।

श्री क० ना० तिवारी (वगह): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आया है, यह बहुत खतरनाक है । क्यो यह खतरनाक है इसकी बजह है । आपने गोल्ड कंट्रोलआर्डर लागू किया है सी० डी० एस० स्कीम को लागू किया है और इन दोनों को ले कर जो बावेला मचा है उससे कहीं ज्यादा बावेला इस कानून के पास होने के बाद मच सकता है । इस वास्ते सिलैक्ट कमेटी के जो माननीय सदस्य हैं उनको बड़े गौर से इस बिल पर बिचार करना होगा ।

खुशी की बात है कि जितने भी माननीय सस्य हैं कम्यूनिस्टों को छोड़ करके सभी ने इस बात को माना है कि काफी तरमीमें इस में होनी चाहियें । मैं राइट और लैफ्ट का जो झगड़ा है उस में जाना नहीं चाहता हूं । एक्शन और रिएक्शन जो है उस में भी नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि यह कहना बड़ा कठिन है कि कौन रिएकशनरी है और कौन रेंवोल्यूशनरी । कभी स्टालिन रेवोल्यूशनरी हुआ करता था आब उसको रिएक्शनरी की संज्ञा दी जाती है । रूस कहता है कि चीन रिएक्शनरी है और चीन कहता है कि रूस रिएक्शनरी है । इस वास्ते इस पचड़े में पड़ना मैं नहीं चाहता हूं । जो विधेयक आया है इस में लिखा हुआ है कि इस के अन्तर्गत सभी आ जायेंगे : हमारे हिम्मतसिंहका जी ने ठीक ही कहा है कि सीलिंग के बाहर की जो जमीनें हैं वे एफेक्टिड न हों ऐसी बात नहीं है । इस बात में मैं उनका समर्थन करता हूं । उन्होंने एक और बात कही है जिस का मैं समर्थन करता हूं । गांव के रहने वाले जो लोग हैं वे जानते हैं कि जो जबर्दस्त आदमी होता है वह अगर चाहता है किसी की ज़मीन को लेना तो अफसरो या दूसरे लोगों को इस तरह से इन्फलुएंस कर लेता है कि गरीब आदमी की जमीन उसको मिल जाती है । इस तरह से जो ज़मीन वाले हैं वे मारे जायेंगे । इसलिये यह जो प्राविजन जो है उस में खास कर वे लोग जो देहात के हरिजन हैं या लडलेस लेवरर हैं जो आज भी सताये जाते हैं वे आगे भी सताये जायेंगे हम लोगों को इस बात का तजुर्बा है कि सीड मल्टिप्लिकेशन फार्म जिस जिस ब्लाक में बनाये गये वहां धनिकों की जमीनें नहीं ली गई गरीबों की जमीनें ली गई । इसलिये इस खतरे को हम लोग देख चुके हैं और इस बात की ओर ज्वायेंट कमेटी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वह बड़े गौर के साथ इस पर बिचार करें ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, सोशियों एकानमिक सर्वे में हाई एनडेटेडनेस इन रूरल एरियाज के बारे में भी दिया गया है । उस की रिपोर्ट है कि जिन परिवारों का सर्वेक्षण किया गया उन

में से ५० प्रतिशत लोग कर्जदार थे। यह हालत है। ऐसी हालत में अगर गरीबों की जमीन ले ली जायेगी तो उन के पास कमाने का और फैमिली के भरण पोषण का कोई साधन नहीं रह जायेगा।

इसके बाद में कम्पेन्सेशन के मामले की ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं खासकर अपने ला मिनिस्टर साहब का। मान लीजिये कि हमारे पास एक जमीन का एक एक्ड़ या आधा एक्ड़ है। हम गरीब आदमी हैं। हमने किसी प्रकार से १०० रु० में या ५० रु० में जमीन ले ली। उसकी मालगुजारी ४ आ० ८ आ० या १ रु० है। हमने चाहे गवर्नमेंट से या साहूकार से २००, ४००, ५०० या ७०० रु० कर्जा ले कर उस जमीन को अच्छी बनाया। आप अब कहते हैं कि आप ६ गुना या १० गुना कम्पेन्सेशन देंगे मालगुजारी का जब उसकी माकट वैल्यू यानी बाजार की दर २,००० रु० है। इस कानन के मुताबिक उस का जो ६ गुना या १० गुना कम्पेन्सेशन होगा? उस से क्या लाभ होगा? मान लीजिये कि मेरी मालगुजारी १ रु० है तो हमको ६ रु० या १० रु० मिलेगा। जिस जमीन पर हमने ५०० या ७०० रु० लगा कर ठीक किया उस की कीमत आज २ ००० रु० है मगर हम को सिर्फ ६ या १० रु० मिलेगा। यह कहां तक सोशिलिज्म की बात होगी और इससे गरीबों का कितना फायदा होगा। इस पर मंत्री महोदय को खुद बिचार करना चाहिए।

दूसरी बात जिस की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है। हर जगह हर प्रदेश में जमीन की सीलिंग है। लेकिन सब जगह जमीन एक सी नहीं है। इस संबंध में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो कानून बनाने वाले होते हैं वे आम तौर से ऐसे होते हैं जिनका देहात के जीवन से कोई सम्बंध नहीं होता जो गृहस्थी के कामों को समझते नहीं हैं और न उनकी डिफिकल्टीज को ही समझते हैं। सीलिंग के लिये हर जगह पर कानून बनाये गये हैं जहां पर जमीन की सिलिंग १० एक्ड़ से ले कर ३० एक्ड़ तक है। मैं बीकानेर गया था। अगर वहां की जमीन का एक हजार एकड़ भी किसी के पास हो तो उससे कोई लाभ नहीं है क्योंकि वह जमीन बलुही है। सारी वालू है वहां पर। वहां पर जो सीलिंग होगी वह बंगाल की जमीन या नेपाल की तराई के पास जो चम्पारन है बिहार में वहां की जमीन के बराबर नहीं हो सकती। इसी तरह से छोटा नागपुर है। हर प्रदेश में अलग अलग सीलिंग हैं। आन्ध्र में एक एक्ड़ जमीन की ६ ००० रु० ४ ००० रु० या ३ ००० रु० कीमत है।

श्रीमती लक्ष्मी बाई (बिकाराबाद) : होल आफ आन्ध्र में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

†**श्री क० मा० तिवारी**: होल आफ आन्ध्र में न सहीकुछ जगहों में है। जब यह कानून बन जायेगा तो हम को आप रेवेन्यू का तीनगुना कम्पेन्सेशन भी दे सकते हैं। मार्केट वैल्यू नहीं देंगे। और यह कानून सारे प्रान्तों में लागू हो जायेगा। हमारे यहां १ ०० वीघा २०० बीघा या ४०० बीघा जोतने वाले लोग नहीं हैं। छोटी छोटी जमीनों वाले हैं। फिर हमारे यहां एक एक्ड़ जमीन की कीमत १ ००० रु० से कम नहीं है। आप कहीं पर भी जा कर देख लें जिस जमीन की मालगुजारी पहले ४ आ० थी वह अब की दर से १० रु० होगी ज्यादा से ज्यादा। आप ने १० गुना भी दे दिया तो वह बहुत कम होगी। मैंने कर्जा ले कर जमीन का इम्प्रूवमेंट किया है। इन सारी बातों का ख्याल न करके अगर आप ने हम से जमीन ले ली तो वह एक लीगल डकैती हो जायेगी। अगर कोई डकैती करने जाता है तो उसे आप जेल में डाल देते हैं लेकिन आप इस कानून को बना कर पूरी तरह से लीगल डकैती की बात कर रहे हैं। आप ने सीलिंग का कानून पास किया और रिफार्म किया। उस से जो जमीन मिली उसे ले कर आपने गरीबों को और हरिजनों को बांटा। लेकिन इस कानून के मुताबिक आप उसी हरिजन की जमीन को छीन रहे हैं। मान लीजिये मैंने एक झोंपड़ी बनाई। पचास एक्ड़ में से २ एक्ड़ में वह घर बना

†मूल अंग्रजी में

[श्री क० ना० तिवारी]

हुआ है। वहां आप को छोटी सी इंडस्ट्री लगानी है। उसके लिए आप जमीन मांग रहे हैं। इस कानून के मुताबिक आप उस जमीन को ले लेंगे। इस में कोई रुकावट आप के लिये नहीं है। ऐसी हालत में यह जरूरी है कि जो ज्वायेंट कमेटी बन रही है वह इस बात के ऊपर अच्छी तरह से विचार करे। चाहिये तो यह था कि इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जाता। और काफी पब्लिक ओपीनियन आ जाने पर फिर इस बिल को यहां पर लाया जाता।

एक बड़ी दिक्कत हम लोग यह महसूस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की एक आदत है कि पहले तो वह कानून पास करती है फिर कहीं से कोई प्रेशर किसी का आ जाता है तो उसके नतीजे को सरकार नहीं सोचती है कि क्या होगा लेकिन अपने कानूनों को बदलने की कोशिश करने लगती है। जैसे कि गोल्ड कंट्रोल का मामला है सी डी० एस० का मामला है ठीक उसी तरह से जो लोग आज इस बिल का समर्थन कर रहे हैं वे पब्लिक में जा कर लोगों को समझायेंगे कि यह सरकार गरीबों की जमीन छीनने के लिये इस कानन को बना रही है, आप इस खतरे को समझिये। इसलिये आप इस खतरे को भी ध्यान में रखें कि वही समर्थन करने वाले लोग जा कर आप के खिलाफ प्रचार करेंगे।

इस के बाद मनीलेन्डर्स आन टाप और रूरल क्रेडिट की बात आती है। यह फिगर्स दिये गये हैं जयपुर के: ५७.५५ प्रतिशत लोग साहूकार से १६.५७ प्रतिशत सरकार से तथा १३.९६ प्रतिशत सहकारी संस्थाओं से कर्जा लेते हैं। हम लोगों के पास जो जमीन है गहस्थों के पास जो जमीन है उस के वे कर्जे लेते हैं शादी के लिये विवाह के लिये लड़के की पढ़ाई के लिये श्राद्ध के लिये। इन सारे कामों के लिये वे कर्जे लेते हैं। जितने गहस्थ होते हैं उनको कर्जा मिलता है जमीन के ऊपर। आज मान लीजिये कि मेरे पास पांच एकड़ जमीन है और उस पर मैंने १ ००० रु० कर्जा लिया है। उस जमीन के कम्पेन्सेशन के रूप में अगर आप हम को १०० रु० देते हैं तो आप ही बतलायें कि चाहे सरकार का कर्जा हो, चाहे मनीलेंडर का कर्जा हो, चाहे को आपरेटिव का कर्जा हो, वह मैं कहां से अदा करूंगा ? मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे असेट्स लेना चाहते हैं तो सारे असेट्स ले लीजिये, जो चाहें रिफार्म कीजिये, लेकिन जितनी हमारी लायविलटीज हैं उन्हें भी ले लीजिये। आखिर जमीन किस लिये होती है ? जैसे कोई रोजगार करता है, कोई सर्विस करता है और उससे जीवन के सारे साधनों को मुहैया करता है जमीन की भी वही हालत है। यह भी हमारी एक इंडस्ट्री है। इस को आप बिट बाई बिट लें इससे तो यह अच्छा है कि इसको एक मर्तबा में ले लीजिये। हम तो इस पक्ष में हैं कि जैसे बिनोवा जी कहते हैं—"सकल भूमि गोपाल की"—तो यह सकल भूमि गोपाल की हो जाए लेकिन उसके साथ हमारी जितनी लाएविलिटीज है जैसे कर्जा बाल बच्चों की पढाई शादी विवाह नौकरी चाकरी आदि इन को भी सरकार ले ले। ऐसा हो तो मैं इस पक्ष में हूं कि सारे लैंड का नेशनेलाइजेशन हो जाए।

एक माननीय सदस्य : गोपाल की नहीं सरकार की कहिए।

श्री क० ना० तिवारी : चूंकि समय कम है इसलिए मैं आप से यही निवेदन करना चाहूंगा कि सिलेक्ट कमेटी को इस पर बड़ी गम्भीरता के साथ बड़े इत्मीनान के साथ बिचार करना चाहिए और इसके जितने इम्प्लीकेशन्स हैं उन पर अच्छी तरह बिचार करना चाहिए। जहां तक लोगों को मैंने इस हाउस में सुना है उन सब का मत यही है कि इस बिल पर ठंडे दिल से बिचार किया जाए क्योंकि इस में जो प्रावीजन हैं उनके अन्तर्गत भूमि हीन लोग भी आ जाते हैं कल्टीवेटर और आर्टिजन तक आ जाते हैं। तो इसका सारे गरीब लोगों पर बड़ा प्रभाव होगा इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए और इसमें जल्दबाजी न होनी चाहिए

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, इस बहस में मैं हिस्सा लूंगा मुख्य तौर पर संविधान के संशोधन पर अपनी राय रखने के लिए। संविधान की बहुत हद तक मैं इज्जत करता हूं और मैं चाहता हूं कि जो कुछ रुकावट रहती है इस इज्जत को पूरा करने के लिए वह दूर की जाए। इसी लिए मैंने संविधान की कसम लेते वक्त कुछ आप के सामने अर्ज करना चाहा था और सब सवा महीने के बाद मुझ को मौका मिल रहा है।

पहली बात तो यह है कि कुछ कमियां जो संविधान के बनाते वक्त रहीं उनके दूर करने का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर वह कमियां हम में से हर एक के दिमाग में रहें तो शायद अपने रुख से किसी हद तक उन कमियों को दूर करें। यह संविधान बनाया था गुलाम भारत के प्रतिनिधियों ने। जो संविधान को बनाने की सभा बैठी थी उसको चुना था उन विधान सभाओं ने जो अंग्रेजी जमाने में चुनी गई थी और उसी तरह से दूसरी कमी रही कि जिन लोगों ने इन विधान सभाओं को और संविधान बनाने वाली सभा को चुना वे सारे के सारे बालिग नहीं थे। इसलिए यह संविधान बालिग मत पर बना हुआ नहीं है। ये दो कमियां तो मैंने आपके साम जो पुराना इतिहास है उसके आधार पर रखी। अगर सरकारी पार्टी उनको और किसी तरह से दूर कर सके तो अच्छा है लेकिन कम से कन हम अपने दिमाग में रखें कि आजाद हिन्दुस्तान के सभी बालिगों का बनाया हुआ यह संविधान नहीं है।

अब यहां पर संविधान पर जो अधूरा अमल होता है उस की दौड़ती हुई कुछ मिसालें देता हूं। धारा ४० है इस संविधान की, जिसमें स्वराज्य की छोटी इकाइयों का जिक्र है। लेकिन मुझे, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नगरपालिकायें, जिला परिषदें और गांव पंचायतें, बजाये इसके कि वे खुद मुख्तार हों, ताकत वाली हों, अपने मन पर रहें, वे इस तरह रहती हैं कि या तो प्रदेश सरकार या और कोई संस्था उनको भ्रष्ट मान ले तो वे भंग कर दी जाती हैं। इसी तरह से मान लो कि प्रदेशीय और केन्द्रीय सरकारें भ्रष्ट हों तो फिर उनको क्यों न भंग कर दिया जाए। वे भी स्वराज्य की इकाइयां हैं चाहे वे बड़ी हों या छोटी हों।

इसी तरह से मैं धारा ३४४ के बारे में कहना चाहता हूं, और मैं आपके सामने बहुत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक वह धारा इस संविधान में है तब तक किसी भी आदमी का इस सदन में अंग्रजी बोलना संविधान को तोड़ना है, उसे भग करना है। इसलिए या तो वह धारा खत्म कर दी जाए वरना इस सदन में अंग्रजी का इस्तेमाल बन्द किया जाए। मैं यह नहीं कहता कि उसकी जगह हिन्दी आ जाए। बल्कि मेरा कहना है कि उसकी जगह हिन्दुस्तान की सभी मातृभाषायें आ जायें और लागू हो जायें और उनके तरजुमे का भी इन्तिजाम हो जाए।

इसी तरह से मैं आपके सामने वोटों की जब्ती की बात रखना चाहता हूं। जो उम्मीदवार लोग पैसा जमा करते हैं उसकी जब्ती की बात तो किसी हद तक समझ में आती है लेकिन वोट गिनते वक्त जिन पार्टियों को मान्यता दी जाती है उनके उन उम्मीदवारों के वोट नहीं गिने जाते जिनकी जमानत जब्त हो जाती है। वे वोट जब्त कर लिए जाते हैं। सिर्फ उन उम्मीदवारों के ही वोट गिने जाते हैं जिनकी जमानत जब्त नहीं होती। जमानत का जब्त होना तो समझ में आता है लेकिन हमारे देश में वोट जब्त हो रहे हैं .....

अध्यक्ष महोदय : अब आप सारे विधान पर जहां तहां से .....

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं बहुत सरसरी तौर पर कहना चाहता हूं। मेरा मकसद संविधान और संविधान के संशोधन की महत्ता पर बोलने का है और मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, चार पांच मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। लेकिन अगर टोका टाकी हुई तो वक्त बढ़ जाएगा।

[श्री राम मनोहर लोहिया]

इससे अच्छा है कि मुझ चलने दिया जाए। इस सदन में जो बठ हैं व संविधान पर और संविधान के के संशोधनों पर विचार करते हैं, इसलिए यह बात उनके दिमाग में रहनी चाहिए।

अब मैं एक और चीज आपके सामने लाना चाहता हूं और वह है मुर्तियों का सवाल। अक्सर लोग इस सवाल को यह कह कर टाल देते हैं कि अगर इंडिया गेट पर पंजुम जार्ज की मूर्ति लगी है या लोक सभा के सामने लार्ड इर्विन की मूर्ति लगी है तो इससे क्या आता जाता है, और कम से कम हिन्दुस्तान में किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यहां तो सारा हिन्दू धर्म ही मूर्ति पूजा पर टिका हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि अगली २६ जनवरी तक ये दो मूर्तियां हट जानी चाहिए, और जार्ज पंजुम की मूर्ति की जगह महात्मा गांधी की मूर्ति लगाई जाए और .....

अध्यक्ष महोदय : मगर यह तो विधान में नहीं है।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह विधान में है, मैं आपको बता दूं किस तरह। एक गुलाम भारत था और आज एक आजाद भारत है। गुलाम भारत और आजाद भारत के बीच में धारावाहिकता नहीं रहनी चाहिए, वह टूटनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पांच मिनट देने में कोई उज्र नहीं लेकिन जो मामला सदन के सामने है उससे कुछ सम्बन्ध तो होना चाहिए।

डा० राम मनोहर लोहिया : गुलाम भारत के हमको अवगुण खत्म करने हैं और इसका सबसे अच्छ तरीका यह है कि जार्ज पंजुम की मूर्ति की जगह महात्मा गांधी की मूर्ति लगायी जाए और लार्ड इरविन की मूर्ति की जगह नेता जी सुभाषचन्द्र बोस की मूर्ति लगायी जाए। ये दो चीजें हो जाएं। अभी तो सारा जितना काम होता है, स्वाधीवनता दिवस होता है, उसकी परेड होती है, या लोक सभा का काम होता है, वह सब इन दो साम्राज्यशाही मूर्तियों की नजर के नीचे होता है। (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : लोग एतराज कर रहे हैं, आप के भाषण का कुछ सम्बन्ध उस मामले से होना चाहिए जो कि हाउस के सामने है।

डा० राम मनोहर लोहिया : जो लोग एतराज कर रहे हैं उनकी तरफ मैं मुखातिब होऊंगा तो आप कहेंगे .....

अध्यक्ष महोदय : उनकी तरफ तो मैं आपको मुखातिब नहीं होने दूंगा, मगर मेरी तरफ मुखातिब होते हुए भी आप कुछ तो उस बारे में बोलें जो चीज इस हाउस के सामने है। अब तो आप संविधान से भी बाहर चले गए।

डा० राम मनोहर लोहिया : हमारे संविधान में सब से पहला जुमला है कि हम एक सार्वभौम गणतन्त्र हैं। सार्वभौम यानी जिसकी सब से ऊपर ताकत है, और हम गणतन्त्र हैं यह पहला वाक्य है। और अगर इस सार्वभौम गणतन्त्र का जो भी काम होता हो वह इन दो साम्राज्यशाही मूर्तियों की नजरों के नीचे होता है तो उससे संविधान तो टूटता ही है। (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : आगे चलिए। लोग एतराज कर रहे हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके हुक्म से बंधा हुआ हूं, नहीं तो इन लोगों को मैंने पहले भी देखा है और आगे भी देख लूंगा। लेकिन मुश्किल यह है कि मैं आपके हुक्म से दबा हूं।

अध्यक्ष महोदय आप आगे बढ़िए।

डा० राम मनोहर लोहिया : तो मेरा कहना यह है कि यह काम २६ जनवरी, १९६४ तक खत्म हो जाना जरूरी है। मैं यह भी कहता हूं कि यह जो तजवीज मैंने रखी है इस पर कांग्रस वालों ने भी दस्तखत किये थ। मैंने अध्यक्ष महोदय का हुक्म माना है, वरना मैं यह तजवीज यहां पर लाता। उस पर कांग्रस वालों ने दस्तखत किए हैं, उस पर कम्युनिस्ट लोगों ने दस्तखत किए हैं और सभी की यह इच्छा है कि यह काम जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है कि लार्ड इरविन की मूर्ति की जगह नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की मूर्ति लगायी जाए और जार्ज पंजुम की मूर्ति की जगह महात्मा गांधी की मूर्ति लगायी जाये।

आप कहते हैं कि हमारी पल्टनों ने उर्वशीयम में अच्छा काम नहीं किया। क्यों अच्छा काम नहीं किया इसका कारण यह है कि अंग्रजों वाली पल्टन में और आज जो मौजूदा हिन्दुस्तान की पल्टन है उसमें धारावाहिकता का सम्बन्ध कायम है, और मैं कहता हूं कि हमको किसी न किसी वक्त इनकलाबी तौर पर इस सम्बन्ध को तोड़ना होगा। यह मुझे आप के सामने अर्ज करना है। संविधान से बिलकुल जुड़ी हुई चीज है। इस तरीके से जब हम यहां बैठे रहते हैं लोक सभा के रहते हुए तो लोक सभा के सामने .....

अध्यक्ष महोदय : अब आप बिल पर आ जाएं। आपने कहा कि आप यही कहना चाहते थे इसलिए अब आप बिल पर आ जाएं।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैंने तो आपसे अर्ज किया कि मैं मुख्य रूप से संशोधन और संविधान पर बोलना चाहता हूं। जहां तक बिल का सवाल है वह एक मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बिल से मुझको क्या मतलब क्योंकि सारी जमीन की नीति बदलनी है। यह इस तरीके से छटपुट नीतियों से नहीं चलेगा। यह तो एक ही थैली के दो मिले जुले चट्टे बट्टे हैं जो कि अपनी छोटी मोटी चीजें रख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं डा० साहब से कहूंगा कि मैं उनको २० मिनट या २५ मिनट दे भी दूं लेकिन उसमें अगर वह बिल पर तो एक मिनट बोलना चाहें और २४ मिनट बाकी चीजों पर बोलें तो मैं उनको कैसे यह समय दे सकता हूं। अब जसा उन्होंने कहा कि जो और बातें उनको कहनी हैं उनको वह ४, ५ मिनट में खत्म कर देंग तो बाकी १५ मिनट अगर वह बिल को दें तब तो ठीक है। आखिर कुछ निस्बत तो होनी चाहिए।

डा० राम मनोहर लोहिया : अब बिल के लिए मुझे जमीन की नीति पर बोलना है लेकिन चूंकि वह ज्यादा लम्बी चीज है इसलिए मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता। इस समय मैं संशोधन और संविधान पर ही बोलना चाहता हूं और बिल को मैं छोड़ता हूं। जहां तक जमीन का सवाल है जमीन के बारे में हमारी नीति बिलकुल साफ़ है कि एक खेतिहर खानदान बिना मशीन लगाये जितनी जमीन पर खेती कर सके, उसकी तीन गुनी तक जमीन उसके पास रहनी चाहिए। यह जमीन के बारे में हम लोगों की नीति है और उसके अनुसार सारा काम होना चाहिए।

शहरों में भी जो जमीनें हैं जिनके कि ऊपर बड़े बड़े लोगों ने कब्जा जमा रखा है, खास तौर से जो सरकारी और अन्य लोगों के कब्जे में चली गई है, एक, एक सरकारी अफ़सर के पास ५–५ और १०–१० एकड़ बगीचा रहता है, जैसे कि कलक्टर्स वगरह के मकान और साथ में बगीचे होते हैं, उनका भी बंटवारा होना चाहिए क्योंकि यह सारी जमीन का सवाल जुड़ा हुआ है इस बात से कि आज हमारे देश में बम्बई, कलकत्ता, और दिल्ली जैसे शहरों में एक रद्दी से रद्दी कमरे का किराया

[डा० राम मनोहर लोहिया]

लगता है ५० रुपये, ७० रुपये और ८० रुपये जब कि उसी ढंग के नहीं बल्कि उससे पांच गुना और दस गुना ज्यादा अच्छे कमरों का किराया मासक्वा शहर में २५ रुपये महीना पड़ता है। आखिर इसका क्या सबब है। यह एक दफ़ सवाल आपके सामने भी आया कि किसानों से जो ज़मीन सरकार २ रुपये ८ आने या ३ रुपये गज़ में खरीदती है, उसी ज़मीन की कीमत ५–१० वर्ष के अन्दर ५० रुपये और १०० रुपये गज हो जाया करती है। अब इन चीजों के ऊपर हम लोगों को पूरी तरह से विचार करना चाहिए कि भले ही ज्यादा दिन क्यों न लग जायें कि क्या बात है कि रुपये दो रुपये की चीज़ १०० रुपये और १५० रुपये में बिकने लग जा सकती है। उस वक्त जब मैंने सवाल छेड़ा था तो सरकार की तरफ़ से ख़ाली जवाब मिला कि ठीक है हम कोशिश करेंग कि किसानों को भी उसी क़ीमत में से कुछ हिस्सा मिल जाया करे। लेकिन मेरा यह मक़सद ख़ाली नहीं था, मैं यह चाहता था कि ज़मीनों की कीमत हमेशा इतनी नीची रहे कि उन ज़मीनों पर बने हुए मकानों में जो लोग रहें उनको सस्ते किराये में अपने अपने कमरे मिल सकें। तो यह सारा जो ज़मीन का सवाल है वह एक नीति वाला लम्बा सवाल है और उस पर कभी अच्छे तरीके से बहस हो तो उसमें ज़रूर मैं लम्बा हिस्सा लूंगा। लेकिन जैसा मैंने कहा संविधान और संविधान के संशोधन की बात को हमें अपने दिमाग़ में बहुत महत्ता के साथ अहमियत के साथ रखना चाहिए। हमरा संविधान क़दम क़दम पर टूटता रहता है। अभी इस लोक सभा के सामने कुछ दिन हुए ३०–४० सुनार गिरफ्तार हुए थे, साढ़े बारह बजे गिरफ्तार हुए थे और ६ बज तक वह मोटर गाड़ी में बठाये रख गये। यह बिलकुल संविधान के ख़िलाफ़ है। जब कोई आदमी गिरफ्तार हो जाय तो घटे, आध घंटे के अन्दर उसको जेल में रख देना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि वह जहां तहां मारा मारा फिरे।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यह मौका दिया कि किसी क़दर संविधान और संविधान के संशोधन के बारे में अपना विचार रक्खूं। लेकिन मैं देखता हूं कि जरा उधर वाले लोग बड़े नाजुक दिल के हैं और ज़रा में घबड़ा जाया करते हैं इसलिए मैं अपनी इस बात को आगे बढ़ाने से छोड़ता हूं।

†श्री मुथिया (तिरुनेलवली) : संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक बहुत विवादास्पद बात बन गई है। उसी तरह जिस तरह आज स्वर्ण नियंत्रण आदेश और अनिवार्य जमा योजना विवादास्पद बने हुए हैं। इस बारे में मेरा निवदन यह है कि यदि अधिकारी लोग गैर सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनायें, तो "सम्पत्ति" शब्द की व्याख्या में किसानों कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों के पास भूमि को शामिल करने से निर्धन वर्ग को बड़ी कठिनाई होगी यह ठीक है कि समाजवादी समाज के निर्माण के लिए हम वचनबद्ध हैं। उसके लिए भूमि सुधार बड़ आवश्यक हैं। परन्तु हम तो लोक तन्त्रीय समाजवाद का निर्माण कर रहे हैं और उसमें यह जरूरी है कि जो भी परिवर्तन किया जाय लोगों की मर्जी से हो।

पंचवर्षीय योजनाओं में समाजवादी योजना पर ही बल दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद ३८ और ३९ में यह समाजवादी लक्ष्य की बात बिल्कुल स्पष्ट है। परन्य मेरा निवदन है कि यदि भू-सम्पत्ति के केन्द्रीकरण को कम करना आवश्यक ही हो, तो शहरों में बड़े बड़े उद्योगपतियों, व्यापारियों और सम्पत्ति स्वामियों के हाथों में घन इकट्ठा होने से रोका जाना भी परम आवश्यक है। शहरी आय की अधिकतम सीमा को निर्धारित करना उतना ही आवश्यक है जितना कि कृषि आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करना।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विधेयक की आवश्यकता शायद इसलिए हुई है कि उच्चतम न्यायालय ने रैयत बाड़ी भूमि पर केरल अधिनियम लागू करने की अनुमति नहीं दी है। मेरा निवेदन है कि रैयत बाड़ी भू-स्वामियों की स्थिति जमींदारी और जागीरदारों से भिन्न है। वे केवल बिचौलियों और लगान वसूल करने वाले नहीं है, उनको भूमि पर पूरे मालिकाना अधिकार प्राप्त है। अतः मेरा कहना है कि उनके मामले पर सरकार को बड़ी सहानुभूतिपूर्ण विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रतिकर यथासम्भव बाजार भाव पर दिया जाना चाहिए। यह बाजार भाव का कम से कम ८० प्रतिशत तो होना ही चाहिए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यों द्वारा प्राप्त की गयी फालतू भूमि भूमि-हीन कृषि श्रमिकों को दी जानी चाहिए। छोटे छोटे भू स्वामियों अथवा उन व्यक्तियों को नहीं जिन के पास खेती करने के लिए काफी भूमि है। मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि मद्रास भूमि अधिनियम सीमा अधिकतम के अन्तर्गत एक विवाहित महिला को १० स्टैण्डर्ड एकड़ की अनुमति है, जबकि एक अविवाहित प्रौढ़ा को ३० स्टैण्डर्ड एकड़ की अनुमति है। महिलाओं में इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। विवाहित महिला को कम से कम १५ स्टैण्डर्ड एकड़ की अनुमति दी जानी चाहिए। और भी ऐसी कमियां हैं जिसकी ओर उच्चतम न्यायालय ने भी ध्यान दिलाया है। अतः उन सब की ओर संयुक्त समिति का ध्यान जाना चाहिए और उस पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री त्रिलोकी सिंह (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक संविधान का संशोधन है और उस का स्वागत करते हुए मैं संविधान के सम्बन्ध में कुछ अर्ज करना चाहता हूं।

आर्टिकल ३१ए में दिये गए शब्द "एस्टेट" को लेकर यह संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। मेरा इस सदन से खास तौर पर यह अनुरोध, है कि जब संविधान बना, उस समय प्रापर्टी, जायदाद, सम्पत्ति के बारे में केवल आर्टिकल ३१ में व्यव था की गई थी। आर्टिकल ३१ के अनुसार सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह कानूनों के द्वारा हर प्रकार की सम्पत्तियों को हासिल कर सकती है, लेकिन उन सम्पत्तियों के लिए कुछ मुआवजा देना पड़गा, जो कि कानून के द्वारा निर्णीत होगा और वह मुआवजा किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, उस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। प्रापर्टी की उस परि-भाषा में शहर की प्रापर्टी और देहात की प्रापर्टी, चल सम्पत्ति और अचल सम्पत्ति, दोनों शामिल हैं। लेकिन बाद में कुछ ऐसी सूरत आई कि उस प्रापर्टी को हम ने दो हिस्सों में बांट दिया—एक शहरी प्रापर्टी और दूसरी देहाती प्रापर्टी।

देहाती प्रापर्टी के लिए संविधान में हम ने आर्टिकल ३१-क रखा। आर्टिकल ३१-क प्रथम बार १९५१ में आया। उस के बाद उस में १९५५ में संशोधन हुआ और आज १९६३ में हम फिर उस में सशोधन कर रहे हैं। इस का तात्पर्य यह है कि आर्टिकल ३१-क में तीन बार संशोधन हो चुका है और यह आखिरी संशोधन "एस्टैट" की परिभाषा को ले कर किया जा रहा है। "एस्टेट" की परिभाषा पहले भी है आर्टिकल ३१-क में। उस परिभाषा में कहीं कोई खामी रही, जिस को दूर करने के लिए यह संविधान का संशोधन आज सदन के सामने पेश है।

इस सदन से मेरा केवल इतना कहना है कि हम को बार-बार एक ही आर्टीकल को संशोधित करने की नौबत आती है और संशोधत किये गए संविधान के अनुसार जब भी हम कानून बनाते हैं, तो हर बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कह देते हैं कि वह संविधान के

[श्री सिंहासन सिंह]

विरुद्ध है, इस लिए वह जायज नहीं है और फिर उस को जायज करने के लिए हमें आना पड़ता है। इस का अर्थ है कि कहीं कुछ खामी है हमारे संविधान के बनाने वालों में। माननीय सदस्य, डा० लोहिया, की और बातों से हम एग्री नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि नाबालिगों ने यह संविधान बनाया है। यह बात नहीं है। संविधान बनाने वाले बालिग थे।

अध्यक्ष महोदय: उन में से एक मैं भी था।

श्री सिंहासन सिंह : जैसा कि मैंने कहा है, संविधान बनाने वाले बालिग थे और हमारे सदर साहब भी उन में रहे।

लेकिन डा० लोहिया की एक बात जरूर ठीक है कि संविधान बनाने के लिए गुलाम भारत के प्रतिनिधि चुन कर आए थे और उन्होंने स्वतंत्र भारत का संविधान बनाया।

मेरे मन में बहुत दिनों से यह भावना है कि संविधान बनाने वालों के मन में शायद यह आकांक्षा रही हो कि इस देश में समाजवाद की रचना हो, लेकिन संविधान बनाया गया पूंजीवाद का। उन की भावना रही समाजवाद की लेकिन पूंजीवाद का संविधान बना और इस लिए हमारा देश समाजवाद की तरफ जाये, इस के लिए बार-बार संविधान में तरमीम और तबदीली करने की नौबत आती है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यद्यपि समाजवाद की तरफ हम ढ़े, लेकिन उस बढ़ने में भी हमारे दो दृष्टिकोण हो गए हैं। आज समाजवाद चल रहा हैदेहातों में, लेकिन वह शहरों में नहीं चल रहा है। इस बात पर इस सदन को विचार का पड़ेगा।

माननीय सदस्य, श्री तिवारी और श्री हिम्मतसिंहका ने, कहा कि जो संशोधन हम कर रहे हैं, उस का दुरुपयोग होगा और कौन दल करेगा? जो आज इस का विरोध कर रहा है अर्थात् स्वतंत्र पार्टी के लोग। अभी कहा गया कि इसके ज़रिये ज़मीन ले ली जायगी और ग़रीब लोग ज़मीनों से महरूम हो जायेंगे, और वह ज़मीन और काम में लाई जायेगी। संविधान की तरमीम से ज़मीन नहीं ली जायगी। ज़मीन लेने के लिए अलग कानून बनाना पड़ेगा। वह कानून जो बनेगा, वह संविधान के अन्तर्गत बनता है या नहीं, वह झगड़े की चीज बनती है, लेकिन ज़मीन लेने के लिए अलग कानून बनेगा।

इस बारे में मेरा दृष्टिकोण यह है कि आर्टिकल ३१ प्रापर्टी के सम्बन्ध में है। उस आर्टिकल के साथ आर्टिकल ३१-ए जोड़ कर "एस्टेट" की परिभाषा में हम उलझे हुए हैं और उस में हमारी गाड़ी उलझी हुई है, ठीक चल नहीं पाती है। इस लिए हम अपने कानून मंत्री से कहेंगे कि वह आर्टिकल ३१, ३१-ए० और ३१-बी० इन तीनों को साथ ले कर यह संशोधन करने की व्यवस्था क्यों नहीं करते कि जितनी भी प्रापर्टीज हैं वे एक तरह से चलें।

हम ने इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया, लाइफ इन्शोरेंस कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन को जो मुआवजा हम ने दिया, वह आर्टिकल ३१ की रू से नहीं दिया। इन को मार्केट

वैल्यु से अधिक मुआवजा दिया गया। अभी केरल के माननीय सदस्य ने कहा कि मुआवजे की जो परिभाषा की गई है, वह **२५ परसेंट लैस दैन मार्केट वैल्यु** है। अर्थात् अगर मेरी ज़मीन की माकट वैल्यू सौ रूपये है तो मुझे सिर्फ़ पच्चीस रुपये मुआवजा दिया जायेगा, या जो मालगुजारी हम हरकार को देते हैं, उस का कुछ अनुपात, दस, बीस, या पचास गुना दिया जायगा। लेकिन जहां तक पूंजीपतियों की सम्पत्तियों का सम्बन्ध है, अगर हम ने कोई कल-कारखाने लिये, अगर हम ने एयरवेज़ को लिया, तो उन के सड़ेगले पुर्जों की कीमत बाजार-भाव के हिसाब से दी। हम ने इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया, तो यदि दस रुपये के शेयर का बाजार-भाव सौ रुपये या उस से अधिक था तो मुआवजा उस भाव के हिसाब से दिया। लाइफ़ इन्सोरेंस कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करते हुए भी हम ने मुआवजा मार्केट वैल्यू से कई गुना दिया। लेकिन ज़मीन का जब सवाल आता है तो हमारा व्यवहार कुछ अलग ही किस्म का होता है। तब समाजवादी ढांचे पर चलने वाली सरकार दूसरी तरह का मार्किट वैल्यु लगाये यह बात कुछ समझ में नहीं आती है। इस तरह का दोतरफा व्यवहार देहातों के लिए अलग मार्किट वैल्यू और शहरों के लिए अलग मार्किट वैल्यू देहातों के लिए अलग कानून शहरों के लिए अलग कानून देहातों के लिए अलग व्यवहार और शहरों के लिए अलग व्यवहार इसको शायद देश बहुत दिनों तक बरदाश्त नहीं करेगा।

दुःख की बात है कि कानून बनाने वाले अधिकतर शहर के ही लोग हैं और मंत्रिमंडल में भी ज्यादा तर नम्बर उन लोगों का ही है और उनकी नज़र देहातों पर नहीं गई है। यह जो कानून बनने जा रहा है यह तो बने लेकिन आमूल परिवर्तन इस में हों। परिवर्तन से मैं नहीं डरता हूं। लेकिन परिवर्तन हो तो उस में कुछ हमारी नेकनीयती हो। केरल के कानून को ले कर आज यह नौबत आई है। सीलिंग का कानून हम ने बनाया ज़मीन की सीमा बांधी और वह सीमा देहातों में बांधी। लेकिन दुख यह है कि उस ज़मीन के कानून में भी दो तरह के कानून बन गए हैं देहात की ज़मीन के बारे में भी दो तरह के कानून बन गए हैं। आप देखें कि काफी एस्टेट्स और टी एस्टेट्स जो हैं वे ज़मीन के कानून में नहीं आते हैं वे एस्टेट की परिभाषा में नहीं आते हैं। जब हम एस्टेट की परिभाषा करते हैं तो उस परिभाषा में से इसको निकाल देते हैं और कह देते हैं कि यह तो इंडस्ट्री है। टी गार्डन और काफी गार्डन को हम इंडस्ट्री मान कर चलते हैं और उन पर कोई सीलिंग लागू नहीं होती है कोई ला लागू नहीं होता है। वे भी तो एस्टेट में आ जाते हैं वे भी तो एस्टेट कहलाते हैं। इतना होने पर भी उनको हम इसकी परिभाषा से बरी कर देते हैं। जहां कहीं कानून बनते हैं उनको इंडस्ट्री डिक्लेयर करके सरकार उनको अलग कर देती है। देहातों में भी दो तरह के भाव चल रहे हैं। टी गार्डन और काफी गार्डन वाले शहरों के रहने वाले हैं बड़े मालदार आदमी हैं और वे गांवों में जा कर ज़मीन ले करके टी एस्टेट और काफी एस्टेट बना लेते हैं। मैं चाहता हूं कि जो विशिष्ट समिति बन रही है वह इस पर विचार करे कि इन टी गार्डनज़ को और काफी गार्डनज़ को क्यों निकाल दिया गया है।

आप ने देखा होगा कि दूसरी योजना जब बनी थी तो देहातों के अन्दर भी कुछ किस्म की ज़मीन थीं जिन को सीलिंग से अलग रख दिया गया था। कैटल फार्म, ट्रैक्टर फार्म तथा इसी तरह के जो बड़े बड़े फार्म थे, उन को बरी कर दिया गया था। उस में यह भी लिख दिया गया था कि शूगर फैक्ट्रीज़ के साथ जो शूगर केन फार्म्स हैं, वे भी सीलिंग में नहीं आ सकेंगे। हर्ष की बात है कि हमारे

[श्री सिंहासनसिंह]

प्रदेश की सरकार ने और महाराष्ट्र की सरकार ने भी इन को सीलिंग के कानून में शामिल किया। लेकिन दिल्ली में जो नमूने का कानून बना था और जिसे इस सभा ने बनाया था, उस में शूगर फैक्ट्रीज़ के जो शगर फार्म्स हैं, उन को सीलिंग में शामिल नहीं किया गया था। यहां भी दुहरा व्यवहार किया गया। इस तरह की बातें करना समाजवादी सरकार को शोभा नहीं देता है। ज़मीन के बारे में दो तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिये।

अभी हमारे तिवारी जी ने कहा "सभे भूमि गोपाल की"। सभी धन गोपाल का तो है ही। लेकिन गोपाल का नाम ले कर मैं यह बिनती करता हूं कि यह लोगों में भ्रम पैदा करेगा।

इस बिल का समर्थन करते हुए विशिष्ट समिति के जो माननीय सदस्य हैं उन से मैं प्रार्थना करता हूं कि वे देखें कि दो तरह का व्यवहार क्या उचित है? इस दल के और उस दल के माननीय सदस्यों ने भी यह कहा है कि जहां तक मुआवज़े का प्रश्न है ज़मीन के लिए तथा दूसरी किसी प्रकार की सम्पत्ति के लिए, चाहे वह कहीं भी लगी हुई हो लोहे में लगी हुई हो, मशीन में लगी हुई हो या ज़मीन की ख़रीद में लगी हुई हो, उस का मूल्य एक ही सिद्धान्त से निर्धारित होना चाहिये, दोनों के साथ एक सा व्यवहार होना चाहिये। जब ऐसा होगा तभी सही रूप में समाजवाद की ओर हम अग्रसर हो सकेंगे वर्ना समाजवादी ढांचे वाली जो बात है, वह ढांचा तो रह जायगा और समाजवाद शायद देश में नहीं आ पायेगा।

मैं आप को धन्यवाद देता हूं। मैं समझता हूं कि और भी कानून हम बनायेंगे, संविधान में परिवर्तन करेंगे और ऐसा करते वक्त कहीं न कहीं उन के अन्दर गलती रह जायेगी। ऐसी सूरत में क्या यह उचित नहीं होगा कि संविधान पर हम फिर से विचार करें। संविधान में एक आर्टिकल ३१४ और दूसरा ३११ है। जब तक ये दो आर्टिकल बने रहेंगे, जब तक आर्टिकल ३१४ बना रहेगा, हमारे देश से जो बुराई है, वह नहीं निकल पायगी . . . .

श्री कपूर सिंह : (लुधियाना) : कब तक पोस्टपोन रखें, इस बिल को ?

श्री सिंहासन सिंह : पोस्टपोन रखे या जो भी करें, लेकिन इन चीज़ों पर आप को विचार करना होगा। ३११ और ३१४ आर्टिकल्ज़ को तो वैसे ही संविधान में से निकालना चाहिये। ३१४ में हम ने पुरानी सर्विसस को प्रोटेक्शन दे रखा है, ब्रिटिश सर्विसिस को प्रोटैक्शन दे रखा है, जो हम पर हुकमत करती थीं ?। वे हमारे रास्ते में बाधक है, ईमानदारी से मैं यह कहता हूं।

मैं समिति के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि संविधान में वे ऐसा परिवर्तन करें कि देहाती ज़मीन के बारे में और लोहे, लकड़ी, मशीनी कारखानों आदि के बारे में दो तरह का भाव काम न करे, एक ही भाव से व्यवहार हो ताकि देश की जनता समझ सके कि सही मानों में समाजवाद की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं।

†**श्री वासुदेवन नायर** (अम्बलपुजा) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि विधेयक चार महीने पहिले प्रस्तुत किया था तथापि निहित स्वार्थों का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि इसे पारित होने में इतना समय लग गया।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

शासक दल के कुछ सदस्यों तथा राज्य सरकारों ने भी केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग पर काफी प्रभाव डाला है। जबकि कांग्रेस की सरकार कई वर्षों से यह घोषणा कर रही है तथापि इस घोषणा को क्रियान्वित नहीं किया गया है।

कुछ सदस्योंने छोटे जमींदारों की कठिनाइयों का उल्लेख किया है । कई सदस्यों ने उन की कठिनाइयों पर आंसू बहाये हैं । वे किसी प्रकार के भी भूमि सुधार सम्बन्धी विधान के समर्थक नहीं हैं । वे केरल सरकार के प्रस्तावित विधेयक के भी विरोधी हैं । तथापि उन्हें सरकार से काफी रियायत प्राप्त हो गयी हैं अतः वे आंशिक रूप से सहमत हो गये हैं । वस्तुतः बड़े बड़े जमींदार भी जिन्हें जमीनों से काफी आय है, वे छोटे जमींदारों की आड़ ले कर इन भूमि सुधार सम्बन्धी अधिनियमों का विरोध कर रहे हैं । वे लोग केरल कृषि संबंधी अधिनियम का विरोध करना चाहते हैं । वास्तव में यह अधिनियम छोटे छोटे किसानों के प्रति समुचित न्याय करता है । तथापि जिन के पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं वे इस अधिनियम के विरोधी हैं ।

इस विधेयक के आलोचकों को यह ध्यान रखना चाहिये कि इस समय देश को बाहरी शत्रु से हमले का खतरा है । अतः उन्हें देश में गड़बड़ी और भ्रान्ति नहीं फैलानी चाहिये । हमें चाहिये कि हम कृषकों को बेदखली से रोकें तथा भूधारण सम्बन्धी आश्वासन दिये जायें ।

वस्तुतः यह बात समझ में नहीं आती है कि केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग ने केरल सरकार को नया विधेयक बनाने की अनुमति किस प्रकार दी । यदि नये और पुराने विधेयक में कोई अन्तर नहीं है तो फिर इस नये विधेयक को लाने से क्या लाभ है ? पुराने विधेयक में ही इस आशय से परिवर्तन किया जा सकता था । जब तक केन्द्रीय सरकार इस बात का आश्वासन न दें, कि वे कृषकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की भरसक कार्यवाही करेंगे तब तक उनके आश्वासनों को सच नहीं माना जा सकता है ।

†**श्री कृष्ण पाल सिंह** (जलेसर) : मेरे पिछले कुछ समय का यह अनुभव है कि जो व्यक्ति सभा में कुछ नारे लगा सकता है और यह कह सकता है कि लोग जनता का शोषण कर रहे हैं उसे समाजवादी या साम्यवादी समझ लिया जाता है, भले ही वह व्यक्ति करोड़पति हो ।

जो लोग कृषकों या मजदूरों के प्रतिनिधि होने का दम भरते हैं उन्हों ने न तो एक भी दिन उन के बीच काम किया है और न किसी प्रकार का शारीरिक श्रम करने में समर्थ ही हैं ।

सरकार द्वारा जिस समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना की जा रही है उस का प्रभाव यही होगा कि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था समाप्त हो जायेगी । जो भी भूमि सुधार संबंधी विधान बनाये जा रहे हैं उससे केवल एक ही उद्देश्य की पूर्ति होगी और वह यह है कि ९० प्रतिशत ग्रामीण जनता दास बन जाये । यद्यपि हमारे पास समस्त देश के आंकड़े उपलब्ध नहीं है तथापि मैं महाराष्ट्र राज्य के आंकड़ों के बारे में एक बात बताना चाहता हूं । भुम्बारकर ने अपनी एक पुस्तिका में बताया है कि इस प्रकार के प्रयत्नों से न तो ग्रामीण संसाधनों का वैज्ञानिकन ही होगा और न राष्ट्रीयकरण ही होगा । सरकार यदि अच्छे सिपाही, अच्छे कारीगर और अच्छे मजदूर चाहती है तो उसे कृषकों की प्रगति करनी होगी ।

रैयतवाड़ी प्रथा के अधीन आने वाले अधिकांश किसान अपनी जमीन स्वयं जोतते हैं यदि उन्हों ने अपने श्रम से धन अर्जित किया है तो इस में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

सरकार का अभिप्राय यह ज्ञात होता है कि वह इन छोटी छोटी भूमियों को ले कर उन पर सहकारी खेती कायम की जायेगी । कृषि अर्थव्यवस्था से यह सिद्ध हो चुका है कि यह व्यवस्था लाभ-

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कृष्ण पाल सिंह]

कारी नहीं है । यदि वे इस व्यवस्था को लाभकारी समझते हैं तो वे अपने पद छोड़ कर स्वयं गांवों में जा कर अपनी सहकारी खेती आरम्भ क्यों नहीं करते । वस्तुतः जो लोग भूमि सुधार करना चाहते हैं वे कभी भी भूमि के निकट नहीं रहे हैं उन्हें खेती का कोई अनुभव नहीं है । वे केवल सैद्धान्तिक सुधार चाहते हैं ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : हमें इस निर्णय में माननीय सदस्यों की ओर से जो सहयोग मिला है उस के लिये मैं उनका आभारी हूं । तथापि मुझे कुछ भाषणों को सुन कर आश्चर्य हुआ । अन्तिम भाषणकर्त्ता ने यह कहा है कि हमें जमीन, खेती तथा कृषकों के सम्बन्ध में कोई अनुभव नहीं है । जैसे केवल बड़े जमींदार ही यह जानते हैं कि खेती क्या होती है और जमींदारी क्या होती है । श्री रंगा ने कृषक भूमिधारियों का मुकाबला बड़े जमींदारों से किया है जो अपने को किसान कहते हैं । हमारा उद्देश्य यह है कि ये सुधार उन क्षेत्रों पर भी लागू किये जाये जहां ये लागू नहीं किये गये हैं, यह अभी आंध्र प्रदेश में लागू नहीं हुआ है । हमारा उद्देश्य यह है कि जो लोग अभी भूमि के स्वामी नहीं बने हैं उन्हें भूमि का स्वामित्व प्रदान किया जाये । दूसरे जो लोग अधिकतम सीमा से अधिक भूमि जोतते हैं उन्हें अतिरिक्त भूमि से वंचित किया जाये और यह भूमि भूमि जोतने वाले या साझियों को दी जाये ।

एक किसान तब तक समृद्धिशाली और संतुष्ट नहीं हो सकता है जब तक कि उसे यह विश्वास नहीं हो कि जिस भूमि को वह जोतता है वह उस की है ।

माननीय सदस्य का यह तर्क कि हम रैयतवाड़ी हितों को ले लेना चाहते हैं, तथा किसानों को सरकार का मुखापेक्षी बना देना चाहते हैं । मैं नहीं समझ सका कि वे इस संशोधन से इस प्रकार का अभिप्राय किस प्रकार निकाल सके । वह इस बात को भूल गये हैं कि स्वयं उन के क्षेत्र में रैयतवाड़ी प्रथा के नाम पर बड़ी बड़ी जमीनें काश्तकारों और साझियों को दे दी जाती हैं । आंध्र प्रदेश, मद्रास तथा केरल के कुछ भागों में समस्त देश में अधिकतम सीमा से अधिक भूमि जिन लोगों के पास भी थी वह ले ली गयी है । इस संबंध में जो प्रक्रिया अपनाई गई थी वह संक्षेप में इस प्रकार थी :—गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश इत्यादि में किसानों को भूमिधारी मान लिया गया तथा जमींदारों को प्रतिकर देने का दायित्व सरकार ने अपने ऊपर लिया । दिल्ली में सरकार ने जमीन स्वयं अर्जित कीं और जमीनों का प्रतिकर जमींदारों को दिया । उत्तर प्रदेश व केरल में किसानों को यह अधिकार दिया कि वह विहित प्रतिकर दे कर भूमिधारी हो सकते हैं ।

उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि जानते हैं कि अधिकांश किसानों ने भूमिधारी बनना पसन्द किया । कुछ अन्य लोग अभी भी काश्तकार चले आ रहे हैं । तथापि अब उस काश्त में जमींदार अपना हक पुनः प्राप्त नहीं कर सकता है इसलिये राज्य तथा काश्तकार के बीच सीधा संबंध है । गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों में भी २४ लाख एकड़ भूमि १३ लाख काश्तकारों को वितरित की गयी । प्रश्न यह है कि उक्त २३ लाख एकड़ भूमि कहां से आई । यह भूमि रैयतवाड़ी तथा अन्य प्रकार के स्वामियों से अधिक भूमि के रूप में प्राप्त की गयी थी । वे इस भूमि के अपने किसानों के आसामियों या उन के अधीन व्यक्तियों से जुतवा रहे थे । इस से स्पष्ट है कि प्रत्येक को औसतन २ एकड़ भूमि मिली और साथ ही उस का स्वामित्व भी प्राप्त हुआ ।

उत्तर प्रदेश में भी १५ लाख काश्तकारों तथा उपकाश्तकारों की २० लाख एकड़ भूमि को सीधे राज्य के सम्पर्क में लाया गया तथा उन्हें यह विकल्प दिया गया कि या तो स्वयं जमीन

---

†मूल अंग्रेजी में

के मालिक बनें या उचित लगान देते रहें। दिल्ली के राज्य क्षेत्र में २५०० एकड़ भूमि को १८,००० किसानों में वितरित किया गया। उन्हें औसत २ एकड़ से भी कम भूमि मिली।

मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति भूमि जोतता है वही भूमि का मालिक है, हम इसी लक्ष्य की पूर्ति चाहते हैं।

एस्टेट 'सम्पदा' शब्द के विचित्र अर्थों के कारण केरल तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में इस का अर्थ पृथक है अन्यथा देश के सभी भागों में रैयतवाड़ी हितों को भी 'सम्पदा' समझा जाता है और अधिकतम सीमा से अधिक सम्पदा काश्तकारों को वितरित हो जाती है। उन विशेष क्षेत्रों का, जिनके साथ केरल उच्च न्यायालय तथा पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णयों के कारण इस विषय से सम्बन्ध है, रैयतवाड़ी सम्पत्ति के अतिरिक्त भाग को भी 'सम्पदा' कहा जायेगा। श्री रंगा मेरी बात सुनना नहीं चाहते।

†**श्री रंगा** : मैं व्यर्थ की बकवास नहीं सुनना चाहता।

†**श्री खाडिलकर** (खेड़) : माननीय सदस्य ने शिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया है।

†**श्री त्यागी** : "बकवास" (नानसंस) शब्द निकाल दिया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यद्यपि यह शब्द असंसदीय नहीं है तो भी इस का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं उस उत्तरदायित्व को निभाना चाहता हूं।

यदि हम सम्पदा शब्द की परिभाषा को नहीं बदलते हैं तब तक रैयतवाड़ी हित जारी रहेंगे और हम उन को छू नहीं सकेंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के कहने के मुताबिक वे उन क्षेत्रों में सम्पदाएं नहीं हैं। इस का कारण संविधान में दी हुई विशिष्ट परिभाषा और दक्षिण के कुछ क्षेत्रों में भू-धृति, भूमि खेतों और उन की पारिभाषिक शब्दावलि के बारे में विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं। चूंकि संविधान इस त्रुटि को एक बार नहीं देख सका तो क्या हमें पता लगने पर भी हमें उसे दूर नहीं करना है और कुछ क्षेत्रों में बड़े रैयतवाड़ी हितों को चलने देना है जो हित कि हमारी चुनी हुई पद्धति से बिलकुल उलट हैं और भारत के उन भागों से भिन्न हैं जहां कि रैयतवाड़ी हितों पर पहले ही भूमि सुधार लागू कर दिया गया है।

†**श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या इन्हें शहरी क्षेत्रों पर लागू करना अच्छा नहीं है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : हम नागरिक क्षेत्रों की बात नहीं कर रहे।

अतः प्रो० रंगा के इस तर्क का कोई आधार नहीं कि हम संविधान का दिखाने के लिए ही सम्मान करते हैं, कि हम संविधान में प्रायः परिवर्तन कर रहे हैं और हर तरीके से हम पाखंडी हैं। यदि मैं ने संवैधानिक विधि और संवैधानिक इतिहास के बारे कुछ समझा है, तो मेरे विचार में संविधान मनुष्यों के लिए है न कि मनुष्य संविधान के लिए और कोई भी संविधान संविधान कहलाने के योग्य नहीं है यदि यह लोगों के कल्याण और हितों की ओर ध्यान नहीं देता है। यदि यह उन लोगों के हितों की जिन के लिए यह संविधान है रक्षा नहीं कर सकता है तो इसे बदलना है। यदि सौ बार बदलना है, तो सौ बार बदलना चाहिए। और इस मामले में, इन मामलों का जिक्र इसलिए किया गया है, कि न्यायालयों की परिभाषा में कुछ त्रुटियां पाई हैं और संविधान के

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

नाम में कुछ क्षेत्रों में चालू पुरानी भू-धृति की प्रणाली को चालू रखने में इन त्रुटियों का लाभ उठाया जा रहा है। इन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी हित व्यक्ति-विशेष को निर्धारित की गई अधिकतम सीमा कहीं अधिक भूमि के स्वामी बने रहने देते हैं और बाकी काश्तकारों को स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं रहने देते हैं। हमारा स्पष्ट इरादा इन सब भूमिगत हितों को अनुच्छेद ३१-क में दिये गये "सम्पदा" के अर्थ के अन्तर्गत लाना है।

प्रो० रंगा ने धमकी दी है कि हमें इसका जवाब अगले निर्वाचनों में देना चाहिए, क्योंकि पिछले निर्वाचनों में हम ने इस बात को आगे नहीं रखा था। मेरे विचार में कांग्रेस चुनाव के घोषणा-पत्र में भूमि सुधार एक बहुत महत्वपूर्ण मद्द था। इसी बांत पर प्रो० रंगा का हमारे साथ विरोध था और उन्होंने हमें छोड़ दिया। अफसोस है कि उन्होंने हमें छोड़ा। परन्तु यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि नागपुर कांग्रेस के बाद हम ने भूमि सुधार को बुनियादी नीति माना है जो कि हमारी आर्थिक योजना का अंग होगी। मेरी समझ में नहीं आता कि वे कैसे कहते हैं कि हम ने इस बात को मतदाताओं के सामने नहीं रखा और अतः हमें अगले चुनावों में इस का जवाब देना पड़ेगा।

जो हम कर रहे हैं उस में कोई गलती नहीं। हम बड़े जमींदारों से जिन के पास अधिक भूमि है ले कर उन लोगों को देना चाहते हैं जो कि इस भूमि को काश्त करते रहे हैं और उत्पादन का काफी भाग देते रहे हैं। अतः जो हम कर रहे हैं उस में कोई अस्पष्टता नहीं। इस बात में कोई सार नहीं कि संविधान पवित्र है। संविधान में इस के संशोधन की व्यवस्था है। संविधान के उपबंध के अनुसार ही हम संविधान का संशोधन कर रहे हैं।

प्रो० रंगा ने कहा कि यह विधेयक विवादास्पद है और हमें आपात में ऐसे विधेयक नहीं लाने चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि इस का आपात से क्या सम्बन्ध है। उन के कहने के अनुसार सम्भवतः ये बड़े जमींदार हमारा साथ नहीं देंगे यदि उन से कुछ भूमि छीन ली गई। यदि उन से फालतू भूमि लेनी है तो ली जायेगी। मेरे विचार में आपातकालीन स्थिति का इस से कोई सम्बन्ध नहीं।

फिर प्रो० रंगा का कहना है कि संविधान के संशोधन से सरकार किसानों की भूमि को एक आदेश मात्र से ही ले लेगी। मैं इसी पर ही एतराज़ करता हूं। यह तो जो उद्देश्य हमारे सामने है उस के बारे में गुमराह करने के लिए है।

कोई भी संविधान की व्यवस्था अपने आप भूमि सुधार नहीं करेगी। राज्य भूमि सुधार करेंगे।

विरोधी दल के सदस्यों की सारी आलोचना इस कल्पना पर थी कि यह संशोधन किसानों के स्वामित्व को नष्ट कर देगा, परन्तु यह तो राज्य में भूमि सुधार के लिए कानून बनाने के लिए है जो कि किसान को कृषि जीवन का केन्द्र बना देगी।

श्री गोपालन ने स्थानीय हितों के प्रश्न उठाये। उन्होंने उस विधेयक के बारे में कहा जो कि केरल सरकार पुरःस्थापित कर रही है और उस पिछले अधिनियम के उपबन्धों पर प्रभाव डाल रही है जो कि हम मान्य कर रहे हैं। हम या तो उस अधिनियम को मान्य कर सकते हैं जिस में कोई संवैधानिक त्रुटि हो या किसी संवैधानिक कठिनाई को दूर कर सकते हैं ताकि राज्य विधान मण्डल विशेष प्रकार का विधान बना सकें। हम इस से अधिक कुछ नहीं कर सकते। भूमि सुधार का असली ढांचा तो राज्य सरकारें चुनेंगी।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड़) : क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं ? मान लीजिये कि इस विधेयक को पारित करने के दौरान में राज्य सरकार योजना आयोग से प्रार्थना करती है कि केरल भूमि सुधार सम्बन्धी विधेयक को अनुसूची से हटा दिया जाये, तो क्या आप ऐसा कर देंगे ?

†**श्री अ० कु० सेन** : संयुक्त समिति का काम अभ्यावेदन स्वीकार करना है । अन्य संस्थाओं की तरह केरल सरकार अभ्यावेदन संयुक्त समिति को भेज सकती है । अन्त में यह सभा पर होगा कि वह उसे हटाने के लिए माने या न माने । जहां तक सरकार का सम्बन्ध है उन्होंने पुराने अधिनियम को नवीं अनुसूचि में शामिल करने के लिए व्यवस्था सामने रखी है ।

†**श्री त्यागी** : क्या सत्तारूढ़ केरल सरकार से इस विधेयक के बारे में परामर्श कर लिया गया है । यदि हम पुराने अधिनियम को मान्य बना रहे हों तो उन्हें नया कानून बनाने से रोकना चाहिए या हमें शुरू में इसे हटा देना चाहिए और उन्हें आज़ादी दे देनी चाहिए । क्या हम उन पर उन की इच्छाओं के विरुद्ध कानून थोप रहे हैं ?

†**श्री अ० कु० सेन** : सारा उद्देश्य उस अधिनियम को मान्य बनाने का है जो पारित किया जा चुका है और उसे राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी है ।

वे भी संसद् की तरह से पहले पारित किये हुए कानून में परिवर्तन कर सकते हैं । राज्य विधान मण्डल को ही भूमि सुधार कानून पारित करने की क्षमता है क्योंकि भूमि राज्य-सूचि में है । अत: मान्य बनाने के बाद भी जो वह पुराने कानून में परिवर्तन करेंगे, वैसा ही श्री गोपालन की पार्टी की सरकार द्वारा भी बदला जाता ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : यह संशोधन करने वाला विधेयक है या कि नया विधेयक है । राज्य सरकार किसी भी अधिनियम का संशोधन कर सकती है ।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैंने यह देखा नहीं है ।

†**श्री त्यागी** : क्या राज्य सरकार की राय ली गई है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : जी हां ।

†**श्री त्यागी** : यदि उन की राय ली गई तो उन की क्या राय है ? हम इसे राज्य सरकार की इच्छा के विरुद्ध पारित कर रहे हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संयुक्त समिति इस बात की जांच कर सकती है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : इस विधेयक में एक अधिनियम संख्या ६८ है जिसे उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वे संयुक्त समिति के सदस्य हैं । वे वहां इस प्रश्न को उठा सकते हैं ।

†**श्री उ० मू० त्रिवदी** (मंदसौर) : संयुक्त समिति इस मामले में कुछ नहीं कर सकती । यह प्रश्न विचार करने योग्य है कि क्या सरकार उस अधिनियम को मान्यकरण देना चाहती है जिसे उच्चत्तम न्यायालय ने अमान्य करार दिया है । क्या ऐसा अज्ञानता से किया जा रहा है कि जानबूझ कर ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं कहता हूं कि यह संयुक्त समिति द्वारा विचार किया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा :** ऐसा नहीं हो सकता है ।

†**श्री बड़े :** ऐसा नहीं हो सकता है ।

†**डा० म० श्री० अणे :** क्या नवीं अनुसूची में अधिनियमों को शामिल करने से पहले राज्य सरकारों की सलाह ले ली गई थी ।

†**श्री अ० कु० सेन :** सभी राज्य सरकारों की सलाह ले ली थी और जो भी अधिनियम नवीं अनुसूची में हैं वे केवल अधिनियम को छोड़ कर राज्य सरकारों के कहने पर शामिल किए गए थे । केरल अधिनियम के बारे में केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को बताया था कि वे और अधिनियम पर विचार कर रहे हैं जो कि कुछ महत्वपूर्ण उपबन्धों के मामले में पुराने अधिनियम से भिन्न होगा । परन्तु हम ने कहा कि यह पूर्णतया राज्य विधान मंडल से सम्बन्ध रखता था ।

†**श्री बड़े :** मैं औचित्य प्रश्न उठाता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** आपका औचित्य प्रश्न क्या है ?

†**श्री बड़े :** जो नया अधिनियम विधान सभा में पुरःस्थापित किया जा रहा है क्या वे निरसन के लिए है । यदि वह निरसन कहने के लिए है तो संयुक्त समिति उन पर विचार नहीं कर सकती ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह औचित्य प्रश्न नहीं है ।

†**श्री अ० कु० सेन :** केरल सरकार ने हमें बताया था कि उन्हें नवीं अनुसूची में इस अधिनियम को शामिल करने पर कोई एतराज नहीं ।

†**डा० पं० शा० देशमुख :** यह गलत है । मेरे पास इस का जीवित सबूत है । केरल सरकार इसे नवीं अनुसूची में रखने के लिए सहमत नहीं है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** आप को मंत्री की सूचना स्वीकार करनी है ।

†**श्री अ० कु० सेन :** खेद है कि डा० देशमुख यह कह कर मेरा विरोध करते हैं कि उन के पास इस का दस्तावेजी सबूत है । मैं भूमि सुधारों के लिये केन्द्रीय समिति, जिस में केरल के गृह-कार्य मंत्री मौजूद थे, की बैठक की कार्यवाही के सारांश में से पढ़ रहा हूं । उन्होंने यह कहा था :

> "उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार को केरल भूमि सुधार सम्बन्धी विधेयक को नवीं सूची में रखने पर कोई एतराज नहीं था यदि वर्तमान विधेयक संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने से पूर्व पारित हो कर कानून न बन गया ।"

†**डा० पं० शा० देशमुख :** लोक सभा के पुस्तकालय में एक नोट है जिस में योजना आयोग ने कहा है : केरल सरकार इस नवीं अनुसूची में शामिल करने के पक्ष में नहीं है । मैं उन से निवदन करूंगा कि वे फाइल को वापस लायें और देखें ।

†**श्री त्यागी :** यह विधेयक पारित करने से पहले यह जानकारी हमें दी जानी चाहिये ।

†**श्री अ० कु० सेन :** किसी ने यह कहा है कि सम्बन्धित जानकारी नहीं दी जा रही है । श्री त्यागी को केरल अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई । परन्तु प्रश्न यह है कि जिस माननीय सदस्य ने यह औचित्य प्रश्न उठाया वह यह भूल जाते हैं कि इन अधिनियम को नवीं अनुसूची में रखने से राज्य

---

†मूल अंग्रेजी में

विधान मंडलों को उन्हें निरसन या संशोधन करने में कोई रुकावट नहीं होती है,क्योंकि यह ऐसा मामला है जिस के सम्बन्ध में राज्य विधान मंडल विधेयक पारित करने में पूर्णतया सक्षम हैं। विधेयक का सारा प्रयोजन दो प्रक्रियाओं से भूमि क्षेत्रों और भूमि सुधारों के कुछ ढ़ांचों को मान्य बनाना है। दो प्रक्रियायें ये हैं कि एक तो 'संपदा' शब्द की परिभाषा को बदला जाएगा और दूसरे उन सभी अधिनियमों को नवीं अनुसूची में रखा जायगा जिन की मान्यता के बारे में प्रश्न उठे हैं ताकि उन की कोई आलोचना नहीं हो सकेगी जब तक राज्य विधान मंडल स्वयं न सोचें कि या तो वे उन्हें बदल सकते हैं या उन का निरसन कर सकते हैं।

जहां तक संवैधानिक बाधा का सम्बन्ध है हम उसे दूर कर रहे हैं। हम राज्य विधान मंडलों को क्षमता दे रहे हैं। संविधान के संशोधन का सारा यही प्रयोजन है।

यदि माननीय सदस्यों को विशिष्ट अधिनियमों की विशिष्ट व्यवस्थाओं के बारे कुछ आपत्ति है तो उन्हें अपने राज्य विधान मण्डल को लिखना चाहिये। यहां पर हमारा सम्बंध जो पद्धतियां हमने अपने लिए मंजूर की हैं उन को लागू करने के लिए कुछ कानून पारित करने के लिए राज्य विधान मंडलों की शक्ति से है।

अतः इस प्रस्ताव के बारे में कोई उचित हरजाना मंजूर नहीं किया जा सकता।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब श्री रंगा के संशोधन को मतदान के लिय रखता हूं।
प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पर राय जानने के लिए उसे १५ फरवरी, १९६४ तक परिचालित किया जाय।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में २९ ; विपक्ष में १८९।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

†**श्री रंगा** : जो निर्णय अभी किया गया है उस के विरोध में सदन त्याग करते हैं।

उसके पश्चात्, श्री रंगा और कुछ अन्य सदस्यों ने सदन का त्याग किया।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है ...

†**श्री बूटा सिंह** :...**

†**अध्यक्ष महोदय** : जो भी माननीय सदस्य ने कहा है वह कार्यवाही के वृतांत में सम्मलित नहीं किया जाएगा।

---

†मल अंग्रेजी में

**कार्यवाही के वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इसके पश्चात् श्री बूटासिंह ने सदन त्याग किया

†**श्री अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले बिल को ४५ सदस्यों की दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें इस सभा के ३० सदस्य हों, अर्थात् :—

श्री कृष्णमूर्ति राव, श्री विभूति मिश्र, श्री सतीश चन्द्र चौधरी, श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी, श्री अ० क० गोपालन, श्री काशी राम गुप्त, श्री अन्सार हरवानी, श्री हेडा, श्री हेम राज, श्री अजीत प्रसाद जैन श्री कन्डप्पन, श्री केप्पन, श्री लीलाधर कटकी, श्री ललित सैन श्री महताब, श्री जसवन्त राज मेहता, श्री विभुधेन्द्र मिश्र, श्री पु० र० पटेल, श्री तु० अ० पाटिल, श्री अ० व० राघवन, श्री रघुनाथ सिंह, चौधरी राम सेवक, श्री भोला राउत, डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी, श्री म० प० स्वामी, श्री उ० मू० त्रिवेदी, श्री राधेलाल व्यास, श्री बालकृष्ण वास्निक, श्री राम सेवक यादव, और श्री अ० कु० सेन और राज्य सभा के १५ सदस्य हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले अधिवेशन के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक रिपोर्ट देगी ;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रुपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें, और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले १५ सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : विधेयक संयुक्त समिति को सौंप दिया जायगा।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : यह संविधान संशोधन विधेयक हैं। मतदान मत विभाजन से होना चाहिए।

†**श्री त्यागी** : यह संशोधन नहीं है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

नेफा जांच के बारे में चर्चा

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, नेफा की घटनाओं ने भारत के मस्तक पर एक ऐसा कलंक का टीका लगाया है, जिसे धोने में अभी न जाने कितनी शक्ति और समय लगेगा और कितने बलिदान और देने होंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा अपना अनुमान है कि यदि इस सारे घटनाचक्र को देश के किसी कोने में बैठ कर कोई निष्पक्ष इतिहास लेखक लिख रहा होगा तो उस ने इस नाटक के प्रमुख सूत्रधार तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री और उन की पीठ थपथपाने वाले देश के प्रधान मंत्री को इस के लिये क्षमा नहीं किया होगा।

भारत की गौरवशाली सैनिक परम्पराओं पर इसका बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जिस सेना की बहादुरी का विश्व में सिक्का माना जाता था, जिस सेना ने न जाने कितने विक्टोरियाक्रास, परमवीर और महावीर चक्र प्राप्त किये, जिस सेना ने काश्मीर, हैदराबाद और गोआ में शत्रु के दांत खट्ट किये, दुर्भाग्य से नेफा की इस घटना से उस सेना को भी बदनाम होना पड़ा।

नेफा में हुई भगदड़ की जांच रिपोर्ट पर संरक्षण मंत्री श्री चव्हाण ने जो वक्तव्य दिया है उस के आधार पर जिन निष्कर्षों पर मैं पहुंचा हूं उसकी प्रमुख बातें यह है :—

१. सरकार युद्ध के लिये बिलकुल तैयार नहीं थी।

२. नेताओं को व्यावहारिकता के धरातल से ऊपर उठ कर आदर्शवाद की हवाओं में उड़ने की आदत अधिक हो गई थी।

३. कुछ गिने चुने असैनिक नेता सेना पर छा गये थे और स्वतंत्र निर्णय लेने की बुद्धि उन से छीन सी ली गई थी। इसीलिए लड़ाई नेफा की पहाड़ियों पर नहीं बल्कि नई दिल्ली के एयर कन्डीशंड कमरों में बैठ कर लड़ी गई।

४. पुराने और अनुभवी कुशल सेनाध्यक्षों को ऐसे आड़े वक्त में पदमुक्त किया गया जबकि उन की सेवाओं से देश को बड़ा लाभ पहुंच सकता था तथा उन के स्थान पर कुछ मनचाहे व्यक्ति किसी भी ढंग से लाये गये।

५. इतनी गंभीर और संकटपूर्ण स्थिति में उच्चतम नेताओं ने वास्तविकता को देश से छिपाया और उसके लिए असत्य तक का सहारा लिया।

६. नेफा में जो कुछ हाथ-पैर मारे भी वह भारतीय और विश्व जनमत से विवश होकर मारे गये।

७. इसलिए भगदड़ और हार का दोष सेना पर उतना नहीं है जितना कि सरकार पर है।

सरकार की ओर से बारबार यह कहा गया था कि हमला अचानक हुआ। पहले इस की कोई सम्भावना नहीं थी लेकिन अभी हाल में नेहरू जी ने कुछ दिन पहले यह कहा था कि चीन के इरादे १९५० से ही अच्छे नहीं थे। और भूतपूर्व सेनाध्यक्ष जनरल करिअप्पा और जनरल थिमैया की रिपोर्टें क्या हैं? संरक्षण मंत्री शायद उनसे अच्छी तरह परिचित होंगे। मैं अपनी छोटी सी जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि गंगटोक (सिक्किम) में जो हमारे राजनैतिक प्रतिनिधि थे जो अब शायद इंडोनेशिया में हैं, तीन वर्ष पहले उन्होंने भी इस के सम्बन्ध में यह संकेत दिया था। जहां तक देश के दूरदर्शी नेताओं और राजनीतिज्ञों का सम्बन्ध है उनमें राजर्षि टंडन, आचार्य कृपालानी, डाक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी, डाक्टर लोहिया और डाक्टर रघुवीर जैसे व्यक्तियों ने संसद में और संसद से बाहर भी चेतावनी दीं, उनके अतिरिक्त कुछ विदेशी राजनीतिज्ञों ने भी भारत को इस सम्बन्ध में सावधान किया था। पर सबसे अधिक चेतावनी तो सीमा पर चीनियों द्वारा सड़कों और हवाई अड्डों का बनाया जाना था। हमारी सीमा पर जो सड़कें बन रहीं थीं और हवाई अड्डे बन रहे थे, क्या वह हमारी आंख खोलने के लिए काफ़ी नहीं थे। आखिर यह सड़कें इसलिये तो बन नहीं रही थीं कि एक मित्र सायंकाल के समय पेकिंग से विमान में बैठ कर वहीं आया करेगा और दूसरा दिल्ली से विमान में चढ़ कर वहां जाया करेगा।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

और शाम को उसे ठंडी सड़क पर दोनों मित्र हाथ में हाथ डाल कर पंचशील का कनसुर राग अलापा करेंगे ? स्पष्ट है कि यह सड़कें किसी और उद्देश्य से बन रही थीं। और फिर हमें तब तो सावधान हो ही जाना चाहिए था जब नौ सिपाहियों की लाशें न जाने कितने दिन बाद हमारे आग्रह पर हमको हवाले की गई। इतने पर भी यह कहना कि हमले की सम्भावना बिलकुल नहीं थी और हमको पता नहीं था सच्चाई से कोसों दूर है। सच्चाई यह है कि पहले प्रतिरक्षा मंत्री लड़ना बिलकुल नहीं चाहते थे। स्थान स्थान पर उन्होंने यह वक्तव्य भी दिये कि लड़ाई अगर कभी होगी तो वह पाकिस्तानी से होगी। चीन के साथ तो लड़ाई का कोई सम्बन्ध है ही नहीं। तेजपुर में १० जनवरी १९६० को तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री ने यह वक्तव्य दिया कि भारत चीन सीमा विवाद का गुरुत्व इतना नहीं समझा जाना चाहिए कि यह कभी आगे चल कर युद्ध में बदल जायगा। न केवल अपने देश में वरन दूसरे देशों में भी वाशिंगटन में २१ नवम्बर को तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री ने यह कहा कि भारत और चीन के बीच मतभेद अवश्य है, और हमारे क्षेत्र में भी चीनी घुस आये हैं परन्तु उनके साथ में कोई सक्रिय शत्रुता नहीं है। यहीं तक नहीं बल्कि आक्रमण से एक महीना पहले तक जब वह अमरीका जा रहे थे तो रास्ते में १८ सितम्बर को लन्दन के हावई अडडे पर प्रैस प्रतिनिधियों को वक्तव्य देते हुए उन्होंने कहा कि भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा नेफ़ा की स्थिति नियंत्रण में है। कोई गम्भीर स्थिति वहां नहीं है। अगर ऐसी कुछ बात होती तो मैं भारत छोड़ कर कभी विदेश न आता। और एक महीने बाद जब हमला हो गया तो आक्रमण होने की—अगले ही दिन जब २१ अक्तूबर को दिल्ली के लोगों ने यह चाहा कि हम अपने प्रतिरक्षा मंत्री से यह जाने कि हमारी प्रतिरक्षा की क्या संतोषजनक व्यवस्था की गई है। रीगल बिल्डिंग के पास नई दिल्ली में एक सभा हुई। उस सभा में उन्होंने अपने भाषण में कहा कि चीनियों ने १० सितम्बर को ही हमारी सीमा में प्रवेश करने का फैसला कर लिया था और १८ सितम्बर को एक मास पूर्व लन्दन में यह वक्तव्य दिया कि कोई लड़ाई जैसी स्थिति नहीं है। जैसा कि पहले उनके वाक्य को मैंने पढ़ कर सुनाया असल में प्रतिरक्षा मंत्री का मन लड़ने का नहीं था। उनकी वाणी कुछ बोलती थी और हृदय कुछ बोलता था। ऐसे समय में जब कि देश में चारों ओर घबराहट थी, चारों ओर से उलटे समाचार आ रहे थे, प्रतिरक्षा मंत्री अचानक बंगलौर गये। वहां बड़े साहस और घमंड के साथ उन्होंने कहा, उन्हीं के शब्दों को मैं आप को पढ़ कर सुनाये देता हूं :—

> "भारत चीनियों को भारत की भूमि से बाहर फेंकने के लिये दृढ़ निश्चय था। कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं को भाषण देते हुए श्री मैनन ने कहा कि यद्यपि भारत किसी तरह की जंग करने के लिए तैयार नहीं था, यदि इस पर आक्रमण किया गया तो यह उसका मुकाबला करेगा। उन्होंने घोषणा की हम अन्त तक लड़ेंगे।"

उन्होंने ये शब्द बंगलौर के कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं के बीच कहे। मैं नहीं कह सकता कि यह उनके अपने हृदय की आवाज़ थी, या बंगलौर के उत्साही कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं को देख कर उनके मुंह से ये शब्द सहसा निकल गए। पर वास्तविकता क्या थी, इसका परिचय तब मिला, जब कि श्री मेनन ने, जिन्होंने बंगलौर में कहा था कि हम आखिरी आदमी और आखिरी हथियार रहने तक लड़ेंगे, उनका हाल ही में प्रकाशित "इंडिया एंड दि चाइनीज़ इन्वेज़न" नाम की अपनी पुस्तक के ३१ वें पृष्ठ पर लिखे तीसरे पैराग्राफ को पढ़ा :

> " मैं यह खुले आम कहना चाहता हूं : हमारी सरकार की कभी नीति नहीं रही है और न रहेगी कि हम अन्त तक लड़ेंगे। फौज का यह कर्तव्य नहीं है कि शान समझ कर आत्म हत्या की जाए।"

ये भी उनके ही शब्द थे । इसी से उनके हृदय का अच्छी तरह अनुमान लगाया जा सकता है ।

दूसरी बात यह है कि उसी २१ अक्तूबर को यहां की सार्वजनिक सभा में अपनी इस पुस्तक में और कई स्थानों पर दिये गए अपने वक्तव्यों में भी उन्होंने यह कहा है कि लड़ाई के साधनों के लिए गवर्नमेंट ने पैसा बहुत कम दिया है । मैं नहीं कह सकता कि तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री इस बात को कह कर किसी व्यक्ति विशेष पर लांछन लगाना चाहते थे या अपनी भूलों पर पर्दा डालना चाहते थे । आचार्य कृपालानी ने पीछे जब ऐसी ही कुछ बातें कहीं थीं— तो तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा कि आचार्य कृपालानी भी उनमें थे, जो पैसा कम देने के लिए कहते थे । इसके उत्तर में आचार्य कृपालानी ने कहा कि मैं उन परिस्थितियों में यह बात कहता था, जब तुम "हिन्दी चीनी भाई भाई" कहते थे और तब तुम को पैसा देने का कोई लाभ भी नहीं था ।

लेकिन प्रश्न यह है कि जो पैसा उनको दिया गया, क्या उस पैसे को उन्होंने सुरक्षा के कार्य में पूरा इस्तेमाल किया । अभी तीन दिन पहले श्री कामत के एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया कि जबसे श्री मेनन हमारे देश के प्रतिरक्षा मंत्री हुए, इन पांच सालों में उन को जो पैसा दिया गया, उसमें से १,३२,००,००,००० रुपया ऐसा था, जो उन्होंने खर्च न कर के सरकार को सधन्यवाद वापस कर दिया ।

कुछ माननीय सदस्य : शेम, शेम ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: एक ओर उन्होंने यह कहा कि सरकार पूरा पैसा खर्च के लिये नहीं दे रही थी और दूसरी ओर उन्होंने सरकार को पैसा भी वापस किया ।

अपनी इस किताब में उन्होंने फारेन एक्सचेंज की भी चर्चा की है । लेकिन मैं चाहूंगा कि संरक्षण मंत्री अपना उत्तर देते हुए इस प्वायंट को साफ़ तौर से बतायें कि इस १,३२,००,००,००० रुपये में विदेशी मुद्रा कितनी थी, जोकि सरकार को वापस की गई ? जिसके बारे में भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री कहते हैं कि उन्हें पैसा नहीं दिया गया था ।

मुझे इस समय महाभारत के शल्य की याद आ जाती है, जो बैठा किसी के रथ पर था और विजय किसी दूसरे की चाहता था । मैं नहीं जानता कि जैनेवा के काफ़ी हाउस में बैठ कर चीन के विदेश मंत्री, चेन यी, के साथ उनकी क्या बातचीत हुई, लेकिन इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे देश में जगह-जगह जा कर उन्होंने किस तरह अपनी ही सीमाओं की रक्षा सम्बन्धी रहस्यों को प्रकट किया । लखनऊ की एक सार्वजनिक सभा में २६ दिसम्बर को तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा, "अगर युद्ध छिड़ गया, तो एक माचिस से ले कर टैंक तक वहां पर भेजने पड़ेंगे" । और जब लड़ाई हुई और हमने देखा कि हमारे पास साधनों का अभाव दीखा, तो फिर यह बात सत्य साबित हुई ।

लेकिन इससे भी भयंकर २३ अप्रैल को बम्बई में उन्होंने जो वक्तव्य दिया था, उस के शब्दों को मैं पढ़ कर सुनाता हूं । क्या किसी भी देश का प्रतिरक्षा मंत्री इतनी ग़ैर जिम्मेदारी की बात कर सकता है कि अपनी सेना के रहस्य को सार्वजनिक सभाओं में प्रकट कर के शत्रु तक पहुंचाने की कोशिश करे ? लेकिन तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री ने यह भी किया ।

श्री त्यागी (देहरादून) : आन ए प्वायंट आफ़ आर्डर, सर ।

[श्री त्यागी]

मेरा प्वायंट आफ़ आर्डर यह है कि मैं आपके सामने विनयपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य, शास्त्री, जी जो बातें कह रहे हैं, उनका नेफ़ा एन्क्वायरी से, जो मज़मून इस वक्त हमारे सामने है, उससे, कोई सम्मन्ध नहीं है ।

कुछ माननीय सदस्य : सम्बन्ध है । (अन्तर्बाधाएं) ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपाध्यक्ष जी, अपने घर के रहस्यों को शत्रु को दे देने जिस से वह हमारी धरती पर निटांक आक्रमण कर दे, त्यागी जी उसका नेफा जांच के सम्बन्ध ही नहीं मान रहे तत्कालीन प्रतिरक्षा प्रत्री ने क्या कहा जरा अब सुनिये —

> "भारत हिमालय पर्वन पर लड़ना नहीं चाहता, परन्तु यदि चीन का इरादा हिमालय पर्वत से मैदानों में आने का है तो हम उनका उनकी आशा से अधिक स्वागत करते तैयार हैं"

इसका तो सीधा ही अभिप्राय यह था कि हिमालय में हम कोई मुकाबला नहीं करेंगे, आप आसानी से कूदते-फांदते आ सकते हैं । यदि इसका अभिप्राय यह होता कि हमने तो शत्रु को चाल में लाने के लिए यह वक्तव्य दिया था, तो उसका परिचय फिर तब मिलता, जब हमने भी वहां पर जम कर दो-दो हाथ किये होते या मुकाबला किया होता । मैं आपको कहना चाहता हूं कि शायद इसी कारण १९ नवम्बर को जब बामडीला का पतन हुआ, तो प्रधान मंत्री ने दिल्ली रेडियो से बड़ी भरी हुयी आवाज़ में अपनी शुभ-कामना आसाम निवासियों को भेजी । और शायद वही सब उन बातों की पृष्ठ भूमि भी थी,—जिसमें—आसाम के माननीय सदस्य जो यहां बैठे होंगे, वे मेरी बात की साक्षी करेंगे—गोहाटी के सर्कट हाउस में, जब श्री लाल बहादुर शास्त्री वहां गये, उस समय उनके साथ गये उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने बिना किसी अधिकार के यह कह डाला—कि अगर आसाम जाता भी है, तो चला जाने दो, कुछ दिनों बाद हम उसको फिर वापस ले लेंगे ।

कुछ माननीय सदस्य : शेम, शेम ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं संरक्षण मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी बातों की पृष्ठभूमि से यह और आवश्यक हो गया है कि यह जो जांच की गई है, उस के अतिरिक्त एक और स्वतंत्र जांच समिति बिठाई जाये, जोकि इन असैनिक राजनीतिज्ञों की गतिविधियों का निरीक्षण करे और देखें कि यह जो हमको पराजय का मुंह देखना पड़ा या यह जो हमें चोट लगी, कहीं उसका कारण वे ही तो नहीं थे । मेरा अपना अनुमान यह है कि देश के प्रधान मंत्री ने भी जो उन्हीं लोगों से मिलते जुलते कुछ वक्तव्य दिये हैं शायद उन की जानकारी के स्रोत भी बिल्कुल वही थे । पर अब मैं इस चर्चा को छोड़ कर आगे बढ़ता हूं

विदेशों से हथियार लेने के सम्बन्ध में जहां उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा के लिए हथियार लेना आत्म-हत्या करने के बराबर है, वहां संरक्षण मंत्री ने अब कहा है कि हम अच्छी तैयारियां कर रहे हैं । इससे यह ध्वनि निकलती है कि इससे पहले इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी । लेकिन प्रधान मंत्री ने २५ नवम्बर, १९५९ को शायद तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री

---

†मूल अंग्रेज़ी में

के आधार पर इसी लोक सभा में जो शब्द कह डाले, मैं उनको फिर भी सुनाना चाहता हूं उन्होंने कहा :

> "परन्तु मैं सभा को बता सकता हूं कि स्वाधीनता से लेकर किसी समय हमारीं प्रतिरक्षा सेनाएं इतनी अच्छी हालत में, शक्तिशाली नहीं रही हैं और उनके पीछे इतना औद्योगिक उत्पादन भी नहीं रहा है जितना कि आज है। हमारी सेनाएं प्रतिरक्षा के लिए ठीक तरह से योग्य हैं।"

प्रधान मंत्री जो इस प्रकार की गर्वोक्ति-भरी बातें कह रहे थे, मेरा अपना अनुमान है कि उनकी जानकारी के सारे आधार भी वही थे।

संरक्षण मंत्री ने अपने वक्तव्य में उच्च-अधिकारियों की कर्तव्यहीनता के सम्बन्ध में भी कुछ संकेत दिया है। पर ये सारी बातें भी इसीलिए हुईं कि हमारे जो पुराने अनुभवी सेनाधिकारी थे, उनको हटा कर—जबकि हर देश आड़े वक्त में अपने पुराने अनुभवी व्यक्तियों को प्रतिष्ठा देकर रखता है—इस प्रकार के व्यक्तियों को मोर्चे पर नियुक्त किया गया, जिनको मोर्चे की शक्ल देखते ही जुकाम और बुखार हो गया और जो दिल्ली के हास्पिटल में आ कर पड़ गये। हमारी उस पराजय का एक बहुत बड़ा कारण यह भी हुआ। पर क्या संरक्षण मंत्री अपने वक्तव्य में बतायेंगे कि जिस वयक्ति की वजह से हमको वहां चोट खानी पड़ी, ब्रिटिश सेना की उस व्यक्ति के बारे में क्या रिपोर्ट थी? कोरिया में जब वह व्यक्ति गया, तो भारतीय सेनाधिकारियों ने उस व्यक्ति के सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट दी और क्या यह सत्य नहीं है कि जब वह व्यक्ति कोर कमांडर बना कर वहां पर रखा गया, तो अपनी दुर्बलता और भय के कारण वह सेना के हैडक्वाटर को तेजपुर से हटा कर गौहाटी ले आया और उसने यनिवर्सिटी के होस्टल को इसलिए खाली करा दिया कि सेना का हैडक्वार्टर वहां रखा जायेगा, लेकिन जब ईस्टर्न कमांड को यह सारी बात पता चली तो उनके अनुरोध पर—मुझे यह पता लगा है—दोबारा हैडक्वार्टर को तेजपुर भेजा गया?

मैं संरक्षण मंत्री को यह कहना चाहता हूं कि अनुभव का दुनियां में आज तक कोई विकल्प नहीं हुआ है। अनुभव को बड़े से बड़े शक्तिशाली देश भी बहुत सम्हाल करते हैं। नेफ़ा में हुई हमारी पराजयों में एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमने अनुभवी अधिकारियों को अपने हाथों से खो दिया था। इसीलिये सुना तो यहां तक गया है कि १४ नवम्बर, को जब प्रधान मंत्री का जन्म-दिन था, उन महाशय ने बधाई का तार दिया और अपने तार में यह भी लिखा कि मैं आपको यह भी सूचना देना चाहता हूं कि बामडीला को कोई खतरा नहीं है। और फिर तीन दिन बाद उसी बामडीला का पतन भी हो गया प्रधान मंत्री को रेडियो पर घोषणा करनी पड़ी कि बोमडीला का पतन हो गया है।

लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति को क्या सजा सरकार ने दी? यह कि सेना से हटा कर एक असैनिक जहाज कम्पनी में दस हजार रुपये प्रतिमास पर उसको नियुक्त कर दिया। क्या सरकार इस प्रकार सेना में अनुशासन रख सकेगी?

संरक्षण मंत्री ने अपने वक्तव्य में सैनिक गुप्तचर विभाग की गतिविधियों पर बहुत बल दिया है। अपने सारे वक्तव्य में उन्होंने किसी बात पर अधिक बल दिया है, तो मिलिटरी इन्टेलिजेंस पर। संरक्षण मंत्री के वक्तव्य में इस विषय के अतिरिक्त किसी एक विषय पर पांच पैराग्राफ्स नहीं हैं। मैं समझता हूं कि युद्ध-काल में गुप्तचर विभाग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूसरे महायुद्ध में यही गुप्तचर विभाग था, जिसने जर्मनी से इंग्लैंड पर आने वाली विपत्ती के मुंह को रूस की ओर मोड़ दिया था। अगर कहीं

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

हमारा गुप्तचर विभाग पूर्ण सतर्क होता तो जिस प्रकार से पिछले आठ दस सालों से चीन के गुप्तचर विभाग ने.....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य और समय लेना चाहते हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : तो कल माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : धन्यवाद :

---

*आकाश वाणी से प्रयोग की जाने वाली भाषा

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, ९ सितम्बर, को आल इंडिया रेडियो की जो मौजूदा पालिसी है उसके मुताल्लिक जो सवाल आया था मैं उसके बारे में कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं।

सरकार ने ९ सितम्बर को जो जवाब दिया था वही जवाब उसने २४ अप्रैल को दिया था। भाई भक्त दर्शन जी ने जो सवाल चार महीने पहले पूछा था उसके जवाब में सरकार ने कहा था कि इसके लिये कोई तारीख नहीं बतलाई जा सकती न कोई डेडलाइन कायम की जा सकती है। वही सवाल मैंने ९ सितम्बर, को पूछा तो सरकार ने यह कहा कि हम अमल कर रहे हैं लेकिन कोई डेडलाइन सरकार तय नहीं कर सकती। चार महीने के बाद सरकार वहीं की वहीं है। हम लोग यह खयाल करते थे कि सरकार वहां से बहुत आगे बढ़ेगी लेकिन चार महीने बाद भी सरकार वहीं की वहीं है। सरकार को इसके लिये ठोस कदम उठाने पड़ेंगे।

आल इंडिया रेडियो के ऊपर सारे देश का दारोमदार है। अगर प्रचार की पालिसी गलत रहेगी तो सारे देश को पतन की तरफ जाना पड़ेगा। क्या मैं जान सकता हूं कि आज इमरजैन्सी के वक्त सरकार इस जनता को युद्ध के लिये तैयार करने के लिये क्या कर रही है? जिस आल इंडिया रेडियो पर दो दफे यह कहा जाता है, सवेरे और शाम, कि हम कभी भी युद्धप्रिय नहीं रहे थे, हम कभी जंग से मुहब्बत करने वाले लोग नहीं थे, क्या यह जनता आज जंग के लिये तैयार हो सकती है? हर्गिज नहीं हो सकती। कब हम लोग युद्ध के लिये तैयार नहीं थे? अगर गीता को उठा कर देखा जाये तो गीता का सारांश है :

"सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम्"

अगर भगवान राम के जीवन से युद्धलीला को समाप्त कर दिया जाये तो उनका जीवन शून्य हो जायेगा। अगर आज गुरु गोन्विन्द सिंह महाराज से हम लोग प्रेरणा लेते हैं और कोटि कोटि जनता जो उनके नाम से जागृत होती है तो सिर्फ इस लिये कि उन्होंने युद्धकला को दिखलाया और युद्धलीला की। देश को पीछे हटाने के लिये कहा जाता है कि हम लोग कभी युद्ध प्रिय नहीं थे, हमने कभी जंग के साथ प्रेम नहीं किया था। यह गलत है। हमारी धारणा और हमारे यहां का धर्म हमेशा से यह रहा है :

"हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्"

---

*आधे घंटे की चर्चा

हमारी धारणा और हमारा धर्म यह रहा है कि अगर जंग करते करते मर जाओगे तो स्वर्ग जाओगे और अगर जंग जीत जाओगे तो राज्य भोगोगे। आज जो हमारी २६ हज़ार मुरब्बा मील जमीन दुश्मनों के कब्जे में है उसके लिये ठोस प्रचार की ज़रूरत है, लेकिन आज भी आल इंडिया रेडियो के ऊपर आशिकाना गाने गाये जाते हैं, अश्लील हास्य होता है, अश्लील गाने होते हैं। इस पालिसी को बदलना पड़ेगा। लैंग्वेज पालिसी के मुताल्लिक मैं साफ कह दूं कि अगर भारत की भाषा आज स्थिर नहीं हुई तो भारत की आज़ादी भी स्थिर नहीं रह जायेगी।

मातृ भाषा का सवाल मातृ भूमि के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे याद है कि आयरलैंड में ८० साल के बूढ़े डीवेसरा ने कहा था कि अगर हमारे आयरलैंड की आज़ादी को तराजू के एक पलड़े में रक्खा जायें और आयरलैंड की मातृ भाषा को दूसरे पलड़े में रक्खा जाये तो मैं मातृ भाषा की ओर झुकूंगा, क्योंकि अगर हमारी मातृ भाषा रहेगी तो हमारे मुल्क की आज़ादी मेरे पैर चूमेगी और अगर मातृ भाषा नहीं रही तो हमारी आज़ादी छिन जायेगी। आल इंडिया रेडियो से जितनी देर गाने होते हैं, मैं पूछता हूं कि क्या हम यह उम्मीद नहीं करते कि जंग की तैयारियां हों? इमरजेन्सी के मतलब बतलाये जायें, देश के बच्चे को तैयार किया जाय, उसके ऊपर खूब पट्टी बांधने से ले कर राइफल की धांय धांय तक की ट्रेनिंग दी जाये, आज ज़रूरत इस बात की है, लेकिन यह ट्रेनिंग नहीं दी जाती। मुझे कहते हुए शर्म आती है कि आज ही सवेरे मैंने देखा कि कितने संगीत ऐसे थे जिनका युद्ध के साथ ताल्लुक था, कितने संगीत ऐसे थे जिनका मातृ भूमि के साथ ताल्लुक था। एक तरफ मैं देखता हूं कि नौजवान के लिये समय है तैरने का, घुड़सवारी करने का, राइफल चलाने का, बाडी बिल्डिंग करने का दूसरी तरफ रेडियो गाना सुनाता है:

"घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के"

भला जिनका दिल धड़कता है उनको हार्टट्रबल नहीं होगी, उन पर हार्ट अटैक नहीं होगा, दिल धड़कने वाले नौजवान गिरेंगे तो क्या होगा? आज ज़रूरत इस बात की है कि इस पालिसी की ओवरहालिंग की जाय, इस पालिसी को बदला जाये। यह हमारे प्रचार का साधन है। आज जिस तरह से रूस ने अपने रेडियो से दुनिया को और अपनी जनता को ट्रैक्टर की ट्रेनिंग दी, राइफल की ट्रेनिंग दी, युद्ध की ट्रेनिंग दी, अन्नोत्पादन की ट्रेनिंग दी, उसी प्रकार से हमारे माननीय मंत्री जी भी कर सकते हैं। जितना समय हमारे माननीय मंत्री जी को मुझे समझाने में लगता है, डांटने में लगता है उतना समय वे आल इंडिया रेडियो के सुधार में लगायें तो इस देश का बच्चा बच्चा पत्थर की तरह से लोहे की तरह से लौहपुरुष बन सकता है, लेकिन इसके लिये आप को काम करना पड़ेगा।

मैं आप को आज की बात बतलाऊं। सुबह मेरे पास एक ठाकुर साहब आ गये, बहुत बड़े, बहुत तगड़। मेरे पिता के साथी थे, मैं उन की गोदी खेला हुआ था, मैं उनका पाला हुआ था। सवेरे आ कर मुझ से नाराज होने लगे। मैंने कहा आप नाराज क्यों होते हैं? आप मुझे बतलाइये, अगर मैं आपकी आज्ञा से न चलू तो आप नाराज हों। मैंने उन से पूछा कि आखिर क्या बात है और व क्यों मुझ से नाराज हो रहे हैं। ठाकुर साहब ने कहा कि बात पर तो बनिया नाराज हो जाये, लेकिन ठाकुर तो वह है जो बगैर बात के ही नाराज हो जाये। मैं मंत्री महोदय से दख्वास्त करूंगा कि जितना समय वह हमें डांटने में लगाते हैं उतना समय वे आल इंडिया रेडियो की पालिसी

[श्री यशपाल सिंह]

को बदलने में लगायें तो यह देश लोहे का देश बन जायेगा । यह गुरु गोविन्द सिंह की भूमि है, महाराणा प्रताप की भमि है, यहां भूषण की जरूरत है, यहां कविवर तुलसीदास की जरूरत है, बाल्मीकि की जरूरत है । यहां पर कोई गीता के कृष्ण का पुजारी पैदा हो इस बात की जरूरत है ।

मैं आपसे पूछता हूं कि इतनी रिकमेन्डेशन्स की गई थीं उनमें से कितनी रिकमेन्डेशन्स ऐसी हैं जिनके ऊपर आपने अमल किया ? श्री प्रकाश जी खुद कहते हैं कि मैं तो ७५ वर्ष का बूढ़ा हो गया हूं, ७५ साल की उम्र में मेरी एनर्जी थक गई है, लेकिन हमारी सरकार कहती है कि नहीं, आल इंडिया रेडियो के लिये जो सिफारिशें हुई हैं उनको इम्प्लिमेंट करने के लिये श्री श्रीप्रकाश आयेंगे । वह कहते हैं कि मैं इनवैलिड हूं, वह कहते हैं कि मैं जर्जर हो गया हूं, मैं वृद्धावस्था में हूं, और सरकार यह कहती है मानो न मानो, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा । जरूरत इस बात की है कि इस पालिसी को बदला जाय । अगर आप कहें कि देश इसके बगैर उन्नति कर सकेगा तो मैं कहना चाहता हूं कि वह हर्गिज इस काम में उन्नति नहीं कर सकता । आल इंडिया रेडियो के महकमे के लिये सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है । अगर इस रेडियो पालिसी को आप नहीं बदलते तो अंग्रेजी के जो भी शब्द हमारी जबान में आते हैं वे हमारी भाषा को भ्रष्ट करने के लिये आते हैं । अंग्रेजी जहां भी गई, उस मुल्क की आजादी को खत्म करने के लिये गई । जो जबान बोसीदा हो चुकी है, जिस जबान को कान पकड़ कर इजराइल निकालता है, जिसे कान पकड़ कर दूसरे मुल्क निकालते हैं वह अंग्रेजी जबान हमारी इस भाषा पर लादी जा रही है । आप से मेरा निवेदन यह है कि आज से आल इंडिया रेडियो की पालिसी को बदला जाये ।

अगर मैं भूलता नहीं हूं तो पिछले महीने की २९ तारीख थी, या उस से एक दो दिन पहले बाद में हो सकती है, मैं बैठा हुआ शाम को रेडियो सुन रहा था । वहां से कोई प्रवचनकर्ता बोल रहे थे । मुझे शर्म आई उस को सुन कर । मैं ने दस मिनट तक उनके भाषण को सुना, मालूम होता था जैसे कोई दर्जा चार का लड़का पढ़ रहा हो । शायद उन को चश्मे से दिखलाई न देता हो, इसलिये नाक से लगा कर पढ़ रहे थे, अटक अटक कर के । हमारी भाषा का इस प्रकार से इतना पतन हो चुका है कि जो लोग आते हैं वे सिफारिशों के बेटे हैं, जो लोग आते हैं बोलने के लिये वे सि ारिश ले कर आते हैं । अधिकारी लोग नहीं आते । आज ऐसी भाषा की जरूरत है जो भूषण ने दी थी, जो गीताकार भगवान कृष्ण ने दी थी । आप इस काम को कर सकते हैं । आप भगवान राम के वंश से हैं, उनके वंशज हैं । भगवान राम की यह तारीफ थी कि :

"रामोद्विर्नविभाषते"

राज जो कुछ कह लेते हैं उस से पीछे नहीं हटते हैं । आपने यही वादा किया है कि आप आये हैं तो आप हिन्दी की सेवा करेंगे, आप ने वादा किया है कि आप राष्ट्र का निर्माण करेंगे । मैं पूछता हूं कि क्या यही भाषा राष्ट्र का निर्माण करेगी जिस का आप उपयोग करते हैं ? मैं आप से साफ कहता हूं कि आज अय्याशी के गाने या शृंगार रस के गाने देश को ऊपर नहीं उठा सकते । महाकवि के अनुसार मुझे याद आता है कि आज वह समय है कि :

"विभुक्षितैः व्याकरणं न भुज्यते पिपासतैः काव्य रसो न पीयते ।"

आज जरूरत इस बात की है कि देश के अन्दर एक ठोस आवाज पैदा की जाये, देश के अन्दर मारने और मिटने की भावना पैदा की जाय । जब नैगोशियेशन्स की बात कही जाती है, जब परसुएशन की

बात कही जाती है, जब मैं आल इंडिया रेडियो खोल कर बैठता हूं और लेक्चर सुनता हूं नेगोशिएशन, परसुएशन और ऐसोसिएशन के, तो मैं एक दम समझ लेता हूं कि देश की खुद्दारी को बेचा जा रहा है, देश के आत्मसम्मान के साथ धोखा किया जा रहा है। देश अगर उठेगा तो नेगोशिएशन से नहीं उठेगा, देश अगर उठेगा तो परसुएशन से नहीं उठेगा, देश अगर उठेगा तो ऐसोसिएशन से नहीं उठेगा। देश **टिट फार टैट** मांगता है, देश **ब्लड फार ब्लड** मांगता है, देश **इन्जरी फार इन्जरी** मांगता है। देश अपमान का बदला लेना चाहता है, देश हर्गिज इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज अगर कोई कहते हैं कि बातों से मसला हल करेंगे तो वे बातों से मसला हल नहीं करना चाहते, वे देश के अभिमान को बेचना चाहते हैं। मुझे याद है कि अपने जमाने के सब से बड़े आदमी प्रिंस बिसमार्क ने लिखा था : बहुमत के भाषणों का मतदान से सरकारी प्रश्नों का हल नहीं होता है, परन्तु खून की नीति से होता है। एक तरफ देश की २६ हजार मुरब्बा मील जमीन दुश्मन के कब्जे में है, एक तरफ हमारे नौजवानों को, महाराणा प्रताप और गुरु गोविन्द सिंह की औलादों को, निहत्था करके मरवाया जाता है, और दूसरी तरफ ऐयाशी के गाने सुनाये जा रहे हैं। इस पालिसी को बिल्कुल बदलना होगा अगर आप को देश को उसका आत्म सम्मान वापस दिलाना है। मैं आप को बतलाऊं कि मेरे भतीजे विक्रम सिंह को चीनियों ने कुल्हाड़ों से तीन टुकड़ों में काटा और उसका खून पिया। हमारे दिल से पूछिये जिन के लाल गये हैं कि क्या हम को आल इंडिया रेडियो से ये शृंगार रस के गाने अच्छे लगते हैं। ये ऐयाशी के गाने अच्छे लगते हैं, ये अश्लील गाने अच्छे लगते हैं ? हरगिज अच्छे नहीं लगते, आज आप को केवल वीरता के गाने प्रसारित करने चाहिए।

†**डा० सरोजिनी महिषी** : मैं औचित्य प्रश्न उठाती हूं। क्या आधे घंटे की चर्चा आकाशवाणी की भाषा के बारे में है या कार्यक्रमों की अन्तर्वस्तु के बारे में है ?

श्री यशपाल सिंह : माननीया महोदया, अभी तो दस मिनट हुए हैं, अभी बीस मिनट और बाकी हैं।

मैं बड़े अदब से अपने मिनिस्टर साहब से निवेदन करता हूं जो कि जो आज शृंगार रस के गाने सुनाये जाते हैं उन को बन्द करायें। जिन लोगों को ऐसे गाने सुनने हों, उन के लिए बहुत ज्यादा घर खुले हैं, वे वहां जा कर उन को सुन सकते हैं। हमें तो आज देश के गिरते हुए चरित्र को उठाना है, देश की गिरती हुई भावनाओं को उठाने के लिए आज वीरता के गानों की जरूरत है, आज देश के आत्म सम्मान की रक्षा के लिए, देश के उत्थान के लिए वीरता की जरूरत है, आज ऐयाशियाने गानों की जरूरत नहीं है।

नशा पिला के गिराना तो सब को आता है,
मजा तो जब है कि गिरतों को उठाये साक़ी :

आज जरूरत इस बात की है कि जो देश का अपमान हुआ है, जो देश की पराजय हुई है उस पराजय के कलंक को धोया जाये। आज देश की ४४ करोड़ जनता में आत्म सम्मान की भावना भरनी चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि जहां धर्म करने वाले पहुंचते हैं, जहां इबादत करने वाले पहुचते हैं, जहां बन्दगी करने वाले पहुंचते हैं उसी स्वर्ग में धर्म युद्ध में मरने वाले वीर भी पहुंचते हैं।

तो मेरा निवेदन है कि आज आल इंडिया रेडियो की भाषा नीति में सुधार की नहीं बल्कि आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, उसकी नीति को अलिफ से लेकर ये तक बदलना पड़ेगा।

†मूल अंग्रजी में

[श्री यशपाल सिंह]

प्रात:काल के समय उठने का समय होता है, सायंकाल को सोने का समय होता है । अगर आप को देश की रक्षा करनी है तो देश की भावना को बदलना पड़ेगा । मैं आप से पूछता हूं कि आप मुझे कोई भी ऐसा देश बतायें जहां कि राष्ट्र गीत सोते हुओं को सुनाया जाता हो । लेकिन हमारे आल इंडिया रेडियो से "जन मन गण" सोते वक्त गाया जाता है । संसार में राष्ट्र गीत सोतों को जगाने के लिए सुनाया जाता है, लेकिन इस अभागे देश में राष्ट्र गीत गाया जाता है लोगों को सुलाने के लिए, यह गीत उस समय बजाया जाता है जब सोने का समय होता है । मेरा कहना है कि राष्ट्रगीत के समय को बदला जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म करें ।

श्री यशपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह एक सच्चे क्षत्रिय की तरह से, एक सच्चे योद्धा की तरह से, एक सच्चे नेता की तरह से मैदान में आवें और आल इंडिया रेडियो की भाषा नीति को बदलें, और ऐसी व्यवस्था करें कि आल इंडिया रेडियो से देश भक्ति के और वीरता के उपदेश दिये जायें और शुद्ध मातृभाषा का उपयोग किया जाये और अंग्रेजी भाषा के गन्दे शब्द ले कर हमारी भाषा को नापाक न किया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री दी० चं० शर्मा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** आकाशवाणी आपातकालीन स्थिति की औसत से प्रति दिन कितना समय देता है । जब आपात शुरू हुआ था तो कितना समय दिया जाता था और अब कितना समय दिया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य का भाषण जिनके नाम से यह विवाद रखा गया था बड़े गौर से सुना । उन्होंने जो कुछ कहा वह तो श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी के भाषण से मिलता जुलता था । रेडियो से तो तो शायद उस का सम्बंध कम ही रहा । ये बातें तो माननीय सदस्य नेफा रिपोर्ट पर बोलते समय कह सकते थे । उनके मोशन से तो में यह समझा था कि रेडियो पर जो हिन्दी इस्तेमाल की जाती है उसके बारे मैं कुछ कहेंगे । जो बातें उहोंने कहीं उनसे लगता है कि वह या तो रेडियो को ठीक से सुनते नहीं या केवल रात को ही सुनते हैं या ऐसे वक्त ही सुनते हैं जिस वक्त कि श्रृंगार रस के गाने ही आते हों ।

पहले क्या होता था यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन आजकल सुबह राष्ट्र गान होता है । जब से इमरजेंसी शुरु हुई है तब से कोई दस ग्यारह महीने से एक कमेटी की राय से रेडियो का प्रोग्राम रखा जाता है और उस कमेटी में दोनों सदनों के सभी दलों के सदस्य शामिल हैं । उस कमेटी में कम्युनिस्ट भाई भी हैं और अन्य दलों के सदस्य भी हैं । और उन की सब की राय यह है कि इमरजेंसी के बाद से जो इन दस महीनों में रेडियो प्रोग्राम आता है वह बहुत अच्छा है । मैं भी कभी कभी रेडियो सुनता हूं । जैसे ही शहनाई बजना बन्द होता है राष्ट्रीय गीत गाया जाता है । जो सुनते होंगे उनको इसका पता होगा । किसी दिन ऐसा नहीं होता कि प्राथना के शुरु होने से पहले या जो अंग्रेजी बुलेटिन पांच

---

†मूल अंग्रेजी में

मिनट का होता है, उसके पहले राष्ट्र गीत न बजाया जाता हो। उसके बाद प्रार्थना होती है। उसमें हमने कभी कोई अश्लील गाना नहीं सुना। आधे घंटे या ४० मिनट तक यह कार्यक्रम होता है।

जो जय भारती प्रोग्राम होता है उसको आप देखें। उसमें वेद से, पुराण से, और अन्य ग्रंथों से वीर गाथाएं दी जाती हैं। आज ही मैं सुन रहा था उस में अर्जुन का और श्रीकृष्ण का सम्बाद आ रहा था जिस में अर्जुन से कहा जाता है :

"युद्धस्व कृत निश्चय:

अर्जुन से कहा जाता है कि तू क्यों डरता है। युद्ध कर। वेद से वीरता की कथाएं आती हैं। मुझे पता नहीं था कि वेद भी ऐसी चीजें हैं। इस प्रोग्राम में वेदों की ऋचाएं सुनायी जाती हैं। उस में एक बात मैंने सुनी जो कि आज के युग में भी कितनी लागू होती है। उस में सुनाया गया कि पीले रंग के लोगों से बहुत होशियार रहना चाहिये। मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ कि आज से चार पांच हजार वर्ष पहले भी लोगों की यह धारणा थी। मैं चाहता हूं कि वहां से ला कर वह ऋचा आप लोगों को सुनाऊं। उस में दिया गया है कि ऐसे दुश्मन की जीभ काट देनी चाहिए। उसके कान काट देने चाहिए।

श्री यशपाल सिंह : भाई भाई नहीं करना चाहिए।

श्री सत्य नारायण सिंह : तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वेदों से इस प्रकार की ऋचाएं उस प्रोग्राम में सुनायी जाती हैं, शास्त्रों से, तुलसी दास की रामायण से वीरता के प्रसंग उसमें सुनाए जाते हैं। मैं समझता हूं कि यह कहना अनुचित है कि आल इंडिया रेडियो से सिर्फ श्रृंगार रस के गाने ही प्रसारित किए जाते हैं।

और फिर जीवन में और चीजें भी हैं। माननीय सदस्य क्या जीवन को बिल्कुल शुष्क बना देना चाहते हैं। अगर सिर्फ लड़ाई की ही बात चलती रहे तो लोग कहेंगे कि यह मोजू नहीं है। फिर अभी तो लड़ाई नहीं है। लड़ाई के लिए हमारी तैयारी हो रही है। अगर हम रात दिन मारशल सांग सुनाते रहे तो लोगों पर उस का क्या असर पड़ेगा। शायद माननीय सदस्य को यह पसन्द हो या उन जैसे दो चार प्रतिशत लोगों को पसन्द हो। लेकिन उनको छोड़ कर और लोग कहेंगे कि यह क्या हो रहा है कि सिर्फ मारशल सांग ही चल रहे हैं। हर वक्त मारशल सांग लोगों को अच्छे नहीं लग सकते थोड़े वक्त दूसरे गाने भी इसलिए बजाए जाते हैं। और फिर माननीय सदस्य जीवन को इतना खुश्क क्यों बनाना चाहते हैं, वह श्रृंगार रस से इतना नाराज क्यों हैं। मेरी समझ मैं नहीं आता कि माननीय सदस्य को श्रंगार रस से इतनी नाराजगी क्यों है ? मनुष्य जीवन में उस का भी एक बड़ा जबरदस्त हिस्सा है। अश्लील श्रंगार अलबत्ता ख़राब है लेकिन अच्छा श्रंगार रस तो आदमी को और ऊंचा उठाता है।

अब जहां तक भाषा का सवाल है, उसको ले कर श्री श्री प्रकाश के सम्बंध में जो कुछ कहा गया है में उसे उचित नहीं समझता हूं। अब उमर का कोई सवाल नहीं है। कुछ लोग ३२ साल की उम्र में ही कमजोर और बूढ़े हो जाते हैं। आप स्वयं अपने नेता को ही देख लीजिये। उनके लिए मेरे दिल में बड़ी इज्जत है। मेरा मतलब श्री राजगोपालाचार्य से है जोकि ८५ वर्ष के हैं लेकिन इस उम्र में भी उन में कितनी इनर्जी विद्यमान है यह आप और हम सब खूब जानते हैं। आज वह ८५ साल की उम्र में भी हिन्दुस्तान में तहलका मचाये हुए हैं तो हमारे श्री श्री प्रकाश तो ७५ साल के ही हैं,वह काफी तगड़े हैं और खूब काम करते हैं। इसलिए उम्र की बात इस में लाना फिजूल है। जो कमेटी बनी उस कमेटी की एक वर्ष में चार मीटिंग्स हुई। चारों मीटिंग्स उन्होंने एटेंड की। उनके जो सुझाव आये थे,

[श्री सत्यनारायण सिंह]

उन में जो सिफ़ारिशें की गई उन पर काफ़ी तौर पर अमल किया गया है। अब एक, आध ऐडमिनिस-ट्रेशन की बात को जाने दीजिये लेकिन उन को छोड़ कर बाक़ी सिफारिशों पर काफ़ी तौर पर अमल किया गया है। थोड़ी बहुत चीज़ों को छोड़ कर वह काम हुआ।

आप को मालूम होगा कि पिछले साल अगस्त महीने में १९६२ के बाद रेडियो की हिन्दी भाषा के सम्बंध में विवाद शुरु हो गया था। अब कैसे हुआ और वह क्यों हुआ में उस में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन यह सही बात है कि हमारे संसद के सदस्यों की काफ़ी तादाद में और संसद के बाहर भी हिन्दुस्तान में इस चीज़ की बड़े जोर से चर्चा चली कि यकायक जो इस रेडियो की भाषा थी हिन्दी की, उस में ख़ास तौर पर उर्दू के शब्द आ गये हैं। रेडियो की भाषा हिन्दी नहीं बल्कि उर्दू हो गयी है। मेरे कान में भी यह बात आई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मुझ से कहा इसलिए मेंने उस वक़्त के जो इनफारमेशन एंड ब्राडकास्टिंग के मंत्री थे, श्री गोपाला रेड्डी, उन को मैंने इस बारे में एक कमेटी बैठाने का सुझाव दिया और उसी वक्त उन्होंने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के वह चेअरमैन हुए। और कमेटी के सदस्य हुए मामा बरेड़कर, सेठ गोविंद दास, श्री महावीर त्यागी, श्री गंगाशरण सिंह, डा० गोपाल सिंह, श्री रामधारी सिंह दिनकर, श्री प्रकाशवीर शास्त्री, श्री नवल प्रभाकर, श्री ललित सेन, श्री एम० पी० सत्यनाराण और प्रोफेसर एच० एन० मुकर्जी। इसी से आप समझ सकते हैं कि कैसे लोगों की कमेटी बनी थी? उसी कमेटी ने सिफ़ारिश की और वह कमेटी बनी जिस के कि अध्यक्ष श्री श्री प्रकाश जी हैं। इस कमेटी की जो कुछ सिफारिशें आई हैं वे सब कबूल हो गयी हैं। याद रखिये जो कुछ उन्होंने बताया। उन्होंने यह बताया कि रेडियो की हिन्दी भाषा शुद्ध तो होनी चाहिए लेकिन साथ ही साथ सरल भी होनी चाहिए। एक बात हम को हमेशा याद रखनी है कि एक स्पोकैन वर्ड होता है और एक रिटैन वर्ड होता है। जब हम रेडियो से प्रसार करते हैं तो रेडियो ख़ाली माननीय सदस्य जैसे विद्वान लोगों के लिए ही नहीं है बल्कि वह उन लाखों और करोड़ों आम आदमियों के लिए है जो कि पान की दुकान को घेर कर, चौपाल में बैठ कर गांवों में रेडियो सूनते हैं। उन में बहुत बड़ी तादाद अनपढ़ लोगों की है। अब ऐसे लोग जोकि दस्तख़त कर सकते हैं उनकी गिनती मरदमशुमारी में लिखे पढे लोगों में की जाती है हालांकि वह पढ़े लिखे ख़ाक होते हैं, वह चिट्ठी पत्री नहीं लिख सकते हैं, अख़बार नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन चूंकि वह अपना नाम लिख पाते हैं इसलिए पढ़े लिखे लोगों में ऐसे लोगों का भी नाम लिख लिया जाता है। अब ज़रा ध्यान दीजिये कि जब ऐसी हालत हो तो अगर बहुत क्लिष्ट हिन्दी और साहित्यक हिन्दी का प्रयोग किया जायगा तो उनके पल्ले क्या पड़ेगा? में तो रेडियो की भाषा आम लोगों की समझ में आने वाली है या नहीं इस की जांच में अपने नौकर से कर लेता हूं। में उससे पूछता हूं कि भाई तेरी कुछ समझ में आता है या नहीं। अब अगर ऐसे लोग रेडियो की भाषा नहीं समझ सकते तो फिर देश की बहुत बड़ी आबादी उससे लाभ न उठा सकेगी।

यह ठीक है कि रेडियो में कुछ साहित्यक चर्चा भी होनी चाहिए। में मानता हूं कि इस तरह का अगर कोई आप प्रोग्राम चलाते हैं जैसे मालविकामिमित्र, किरातार्जुनीय और भारवि अर्थ गौरव की चर्चा करते हैं तो उसकी भाषा कठिन होगी, उसकी भाषा साहित्यक होगी। लेकिन रेडियो के जो न्यूज बुलेटिंस होते हैं, स्वास्थ्य से सम्बंध रखने वाली वार्त्ताएं निकलती हैं और कृषि से सम्बंध रखने वाली जो वार्त्ताएं निकलती हैं या जानवरों की किस तरीके से हिफाजत करनी चाहिए इस सम्बंध में जो वार्त्ताएं निकलती हैं, उनकी भाषा सरल होनी चाहिए। अगर उनकी भाषा कठिन होगी, साहित्यक अथवा लिटरैरी होगी तो उस का कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि जिनको आप इस बारे में बतलाना चाहते हैं वह ९५ फीसदी आदमी इसको नहीं समझ पायेंगे। इसलिए यह देखना होगा कि ऐसी चीजें जिनको कि आप आम लोगों तक और गांव, गांव में पहुंचाना चाहते हैं और

उनके लिए प्रचार बुलेटिस निकालते हैं तो उन बुलेटिस की भाषा सरल होनी चाहिए और वह ऐसी होनी चाहिए जिस को कि सब लोग समझ सकें ।

मैं इस बात को मानता हूं कि अहिन्दी लोग संस्कृतमय हिन्दी को जल्दी समझ लेते हैं । शुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिन्दी उनको जल्दी समझ मैं आ जाती है क्योंकि देश की सभी प्रादेशिक भाषाएं, एक खाली तामिल को छोड़ कर, सभी भाषाओं की एक प्रकार से जननी संस्कृत है, और उनकी भाषाओं मैं संस्कृत शब्द काफी मात्रा मैं होते हैं इसलिए बंगला, आसामी और तेलगू वाले उस हिन्दी को बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं जिस में कि संस्कृत के शब्द होते हैं । मैं उसको मानता हूं । उसके लिए जो प्रोग्राम हमारे होते हैं जैसा मेंने बतलाया लिटरैरी प्रोग्राम्स होते हैं उनकी भाषा उस तरह की होनी चाहिए, में इसे मानता हूं । लेकिन आम जनता के लिए जो आम बुलेसिं समाचार आदि के होते हैं उनकी भाषा सरल होनी आवश्यक है । इसलिए में तो समझता हूं कि जो कुछ कम ववेशी उस की कार्यवाही कमेटी हुई है उस म कोई ख़ास शिकायत की बात मुझे नज़र नहीं आती है ।

अब जहां तक हिन्दी लें अंग्रेजी अथवा अन्य भाषाओं के पापुलर शब्दों को न ले कर हिन्दी मैं ही उनके लिए शब्द रखने का आग्रह है मैं समझता हूं कि इस के लिए जिद करना उचित न होगा । आप किसी भी भाषा को देख लीजिये । आज अंग्रेजी भाषा दुनिया मैं सबसे ऊंची भाषा मानी जाती है । उस का प्रचार आज संसार में फ्रेंच भाषा से भी ज्यादा हो गया है हालांकि फ्रेंच भाषा सब से ज्यादा बोली जाती थी और समझी जाती थी । अब अंग्रेजी भाषा को देखिये । उस भाषा में क्या है । उसके साहित्य मैं हिन्दी के हजारों शब्द भरे पड़े हैं । जिस तरह से स्वस्थ आदमी को पचाने की शक्ति होती है उसी तरह से एक बलवती भाषा की यह निशानी है कि उस मैं दूसरी भाषांओं के शब्दों को पचाने की शक्ति होती है, उनको ले कर वह अपने मैं ऐवसौर्व कर लेती है, ऐसिमिलेट कर लेती है और उनको अपने अन्दर रख लेती है । इसलिए अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं के जो शब्द आ गये हैं और उनको हम अपने व्यवहार मैं रख सके हैं तो ख़ामख्वाह ऐसे अंग्रेजी शब्दों की हिन्दी के लिए ज़िद करना उचित नहीं है । अब अगर इस पर ज़िद करी जाय तो कोशिश करके नये नये शब्द उनके लिए गढ़े जायेंगे और हो सकता है कि वे शब्द ऐसे गढ़े जांय जोकि अनपढ़ लोगों का तो कहना ही क्या पढ़े लिखे लोगों की समझ में भी न आयें ।

पोस्टकार्ड, रेल, स्टेशन और चैक आदि शब्द जोकि काफ़ी प्रसिद्ध हो गये हैं और हर कोई उनको बखबी समझ लेता है अगर हिन्दी अनुवाद निकालने का आग्रह किया गया तो इस तरह के क्लिष्ट और अनपापुलर शब्द गढ़े जायेंगे कि आम लोगों का तो कहना ही क्या पढ़े लिखे लोगों को भी उनको समझने में कठिनाई होगी ।

जहां तक न्यूज़ बुलेटिस का सवाल है मैं यह तो नहीं कह सकता कि उससे सभी लोग सन्तुष्ट होंगे लेकिन आम तौर पर उसकी भाषा जैसी होनी चाहिए वैसी होती है । मैं यह तो दावा नहीं करता कि उसमें कुछ भी सुधार की गुंजाइश नहीं है लेकिन निश्चित रूप से हम प्रगति की तरफ जा रहे हैं । दोनों कमेटियां और जो उसके सदस्य लोग हैं, उन्होंने जो कुछ भी राय मशविरा दिया है, उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि जो भी थोड़ी बहुत कमी बाक़ी रहती है उसको भी हम सदस्यों के परामर्श से उस अधूरे काम को पूरा कर लेंगे ।

इमरजेंसी के बारे मैं प्रचार के लिए जो उन्होंने पूछा तो में यकायाक उसका जवाब नहीं दे सकता हूं कि कितना समय उसमें दिया जाता है लेकिन जहां तक मैं समझता हूं जैसा कि मैंने उसके सम्बन्ध में बतलाया था दस महीने पहले हाल में जो रेडियो का प्रोग्राम बना है उसके लिए भी समय दिया

[श्री सत्यनारायण सिंह]

जाता है। माननीय सदस्य के पास उसके लिए कोई सुझाव हो तो वे मेरे पास भेज दें। जो कुछ भी सम्भव होगा मैं हमेशा करने के लिए तैयार रहूंगा। आप जानते ही हैं कि मेरा आप लोगों से कैसा सम्बन्ध रहा है। आप लोगों के सहयोग से ही हम सब कुछ काम करते हैं। जब तक यह डिपार्टमैंट मेरे हाथ में है, मुझे आशा है कि आपका सहयोग मुझे सदा की तरह मिलता रहेगा और जो भी आपका सुझाव होगा उस पर बराबर अमल करने की कोशिश की जायगी।

श्री यशपाल सिंह : यह नेशनल एथम प्रातःकाल को होना चाहिए संध्या को नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, २० सितम्बर, १९६३ / २९ भाद्र, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

(गुरुवार, १९ सितम्बर, १९६३)
(२८ भाद्र, १८८५ (शक))

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३३९१--३४१४
तारांकित प्रश्न संख्या		
७५६	भांडागार रसीदों पर पेशगी	३३९१–९२
७५७	गंडक परियोजना .	३३९२–९३
७५८	कार्यालयों का दिल्ली से बाहर ले जाया जाना	३३९४—९६
७५९	भाखड़ा विद्युत संयंत्र .	३३९६–९७
७६०	विदेशी बैंकों में मंत्रियों के खाते .	३३९७--३४०४
७६१	कोसी नदी	३४०४–०५
७६२	उपनगर . .	३४०५—०७
७६३	तिब्बिया कालेज, नई दिल्ली	३४०७—०९
७६४	कार्य अध्ययन . . .	३४०९--११
७६५	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा विशेषज्ञ	३४११—१३
७६६	फर्जी हुंडियां	३४१३–१४
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या		
१०	पी० फार्म .	३४१४--१६
११	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क विभाग द्वारा नागपुर में ली गई तलाशियां	३४१६--१८
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३४१८--४९
तारांकित प्रश्न संख्या		
७६७	कर प्रस्तावों का प्रभाव .	३४१८–१८
७६८	किशाउ बांध परियोजना .	३४१९
७६९	अनिवार्य जमा योजना . . .	३४१९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
७७०	ब्रह्मपुत्र नदी	३४२०
७७१	सिंधु जल आयोग	३४२०
७७२	पेंशन में वृद्धि	३४२०–२१
७७३	नोटों आदि का कागज बनाने का खारखाना	३४२१
७७४	पयागपुर के विस्थापित व्यक्ति	३४२१–२२
७७५	निर्यात वस्तुओं पर बिक्री कर	३४२२
७७६	असैनिक कर्मचारियों को वेतनों का भुगतान	३४२२
७७७	औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम के लिये विश्व बैंक से ऋण	३४२३
७७८	पंजाब से दी जाने वाली बिजली	३४२३
७७९	राजस्थान में "सुपर ग्रिड"	३४२३–२४
७८०	स्विटजरलैंड से ऋण	३४२४
७८१	दक्षिण के राज्यों में प्लेग	३४२४
अतारांकित प्रश्न सख्या		
२१६२	आंखों का रोग	३४२४–२५
२१६३	बीरगोविंदपुर परियोजना	३४२५
२१६४	उड़ीसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	३४२५
२१६५	छोटी बचत प्रमाणपत्र	३४२५
२१६६	दण्डकारण्य में बसने वाले आदिम जाति के लोग	३४२६
२१६७	दवाई की खुराकें	३४२६
२१६८	पथरी पिघलने की दवाई	३४२६
२१६९	आंध्र प्रदेश में कर निर्धारण के मामले	३४२६–२७
२१७०	स्वर्णकारों के लिये रोजगार की व्यवस्था	३४२७
२१७१	चोरी छिपे लाये गये हीरे	३४२७–२८
२१७२	जीवन बीमा निगम द्वारा	३४२८
२१७३	केरल में बकाया आय कर	३४२८
२१७४	आयकर अधिकारियों के लिये क्वार्टर	३४२८
२१७५	उड़ीसा में होम्योंपैथिक अस्पताल	३४२९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

२१७६ उड़ीसा में चेचक और हैजा . ३४२९
२१७७ राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र . . ३४२९–३०
२१७८ राजस्थान में गुप्त रोग के अस्पताल . ३४३०
२१७९ राजस्थान में केन्द्र द्वारा चलाई जाने वाली योजना . ३४३०
२१८० राजस्थान में चेचक तथा हैजा . . ३४३१
२१८१ अन्तर्राष्ट्रीय डाक पार्सलों में घड़ियां ३४३१–३२
२१८२ टीके लगाने का कार्यक्रम . ३४३२
२१८३ राष्ट्रीय बचत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ३४३२–३३
२१८४ सरकारी इमारतों के किराये का बकाया ३४३३
२१८५ चिकित्सकों की कमी . ३४३३–३४
२१८६ आसाम में तापीय विद्युत यूनिट . ३४३४
२१८७ होम्योपेथी सलाहकार समिति . ३४३४–३५
२१८८ पेय जल बोर्ड . . . ३४३५
२१८९ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वर्टरों में पंखें . ३४३६
२१९० पेंशन पाने वालों को मंहगाई भत्ता ३४३६
२१९१ सरकारी बस्ती, नागपुर . ३४३६–३७
२१९२ 'पी' ब्लाक के भूतपूर्व दूकानदार . . ३४३७
२१९३ सफदर जंग और विलिंगडन अस्पताल ३४३७–३८
२१९४ बंबई कार फर्म . ३४३८
२१९५ झूठी रक्त बैंक अनुसन्धान संस्था . . . ३४३८
२१९६ मैकलिओड एण्ड कम्पनी . . . ३४३९
२१९७ सरकारी बस्तियों में नालियों की प्रणाली . . ३४३९–४०
२१९८ अधिक समय तक काम करने का भत्ता . . ३४४०
२१९९ स्टाफ कारें ३४४०
२२०० होजियरी माल पर बिक्री कर ३४४०
२२०१ दिल्ली के आयुर्वेद तथा युनानी बोर्ड का रजिस्ट्रार . ३४४१
२२०२ केरल में चेचक उन्मूलन . ३४४१–४२
२२०३ केरल में राष्ट्रीय रक्षा कोष का संग्रह . . ३४४२
२२०४ तिब्बिया कालेज, नई दिल्ली . . ३४४२–४३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या		
२२०५	केरल में बाढ़ नियंत्रण योजनायें . .	३४४३
२२०६	दिल्ली में रेडियोग्राफरों के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम . .	३४४३–४४
२२०७	स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय का पुस्तकालय	३४४४
२२०८	स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय में पुस्तकाध्यक्ष . .	३४४४–४५
२२०९	बिहार में विद्युत संभरण . .	३४४५
२२१०	भूमि कटाव और भूमि संरक्षण . . .	३४४५–४६
२२११	नोटों पर राजनीतिक नारे	३४४६
२२१२	एगमार्क के लिये प्रयोगशाला . . .	३४४६
२२१३	विदेशी ऋण .	३४४६–४७
२२१४	आयकर सर्विस . . .	३४४७–४८
२२१५	तवा बहुप्रयोजनीय परियोजना	३४४८
२२१६	अखिल भारतीय स्वच्छता तथा लोक स्वास्थ्य संस्था कलकत्ता .	३४४८–४९
२२१७	घग्घर में बाढ़ . .	३४४९
२२१७–क	प्राथमिक शिक्षकों को स्वास्थ्य शिक्षा .	३४४९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		३४५०–५१
श्री हेम बरुआ ने चीनी अधिकारियों द्वारा चीन में रहने वाले भारतीयों के साथ किये गये कथित अमानवीय व्यवहार की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया। प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।		
स्थगन प्रस्ताव के बारे में .		३४५२
सभा पटल पर रखे गये पत्र		३४५२–५३
(१) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के अन्तर्नियमों में संशोधन के बारे में एक वक्तव्य।		
(२) सीमाशुल्क अधिनियम १९६२ की धारा १५९ और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ७ सितम्बर, १९६३ की अधि-सूचना संख्या जी०एस०आर० १४४६ की एक प्रति।		
(३) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्न-लिखित अधि सूचनाओं की एक-एक प्रति :—		
(क) दिनांक ७ सितम्बर, १९६३ की जी०एस०आर० संख्या १४४४।		

सभा पटल पर रखे गये पत्र—क्रमशः **विषय** **पृष्ठ**

(ख) दिनांक ७ सितम्बर, १९६३ की जी०एस०आर० संख्या १४४५ ।

(ग) दिनांक ७ सितम्बर, १९६३ की जी०एस०आर० संख्या १४४७ ।

(घ) दिनांक १० सितम्बर, १९६३ की जी०एस०आर० संख्या १४९३ ।

(४) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ४ की उप-धारा '(२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) उक्त अधिनियम को केन्टीनों पर लागू करने वाली दिनांक ३ अगस्त, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १२८५ ।

(दो) उक्त अधिनियम को एयरेटेड जल उद्योग पर लागू करने वाली दिनांक २९ अगस्त, १९६३ की जी०एस०आर० संख्या १४३२ ।

(तीन) उक्त अधिनियम को फल तथा सब्जी परिरक्षण उद्योग पर लागू करने वाली दिनांक १६ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० ७८६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २९ अगस्त, १९६३ की जी०एस०आर० संख्या १४६१ ।

(५) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की वर्तमान अधिवेशन में हुई छठी बैठक के कार्यवाही-सारांश ।

(६) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की वर्तमान अधिवेशन में हुई चौथी बैठक के कार्यवाही-सारांश ।

संसदीय समितियों के कार्यवाही का सारांश . . ३४५३—५४

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ३४५४

पन्द्रहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने सम्बन्धी प्रस्ताव—स्वीकृत . ३४५४—८६

संविधान (सत्रहवां संशोधन)) विधेयक, १९६३ को संयुक्त समिति को सौंपन सम्बन्धी प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . . . ३४५८—५९

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने विदेशी बैंकों में मंत्रियों के खाते संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या ७६० से सम्बन्धित अग्रेतर जानकारी देते हुए एक वक्तव्य दिया ।

नेफा जांच के बारे में वक्तव्य . . . . . ३४८६—९२

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने नेफा जांच के बारे में प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा २ सितम्बर, १९६३ को सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य पर चर्चा आरम्भ की । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

विषय पृष्ठ

आधे घंटे की चर्चा . . . ३४९२—३५००

श्री यशपाल सिंह ने आकाशवाणी से प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ५७१ के ९ सितम्बर, १९६३ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंट की चर्चा उठाई ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के भार-साधक मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) ने चर्चा का उत्तर दिया ।

शुक्रवार, २० सितम्बर, १९६३ / २९ भाद्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यवाही

नेफा जांच के बारे में अग्रेतर चर्चा और गर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर विचार ।

GMGIPND—LSIII —1300 (ai) LSD—24—10—63—160

विषय-सूची—क्रमशः

	पृष्ठ
डा० राम मनोहर लोहिया	३४७१—७४
श्री मुथिया	३४७४–७५
श्री सिंहासन सिंह	३४७५—७८
श्री वासुदेवन नायर	३४७८–७९
श्री कृष्णपाल सिंह	३४७९–८०
श्री अ० कु० सेन	३४८०—८६
तारांकित प्रश्न संख्या ७६० के बारे में वक्तव्य	३४५८–५९
विदेशी बैंकों में मंत्रियों के खाते	
नेफा जांच के बारे में चर्चा	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	३४८६—९२
आकाशवाणी से प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३४९२—३५००
श्री यशपाल सिंह	३४९२—९६
श्री सत्यनारायण सिंह	३४९६—३५००
दैनिक संक्षेपिका	३५०१—०६

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवा संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।